खण्ड-170, अंक-4
गुरूवार, 16 चैत्र, शक संवत् 1878
(5 अप्रैल, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 170 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ५ अप्रैल, १९५६

विधान सभा की बैठक, सभा-मण्डप लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (२४८)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
जिरंजीलाल जाटव, श्री
जिरंजी लाल पालीवाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथमल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री

दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति, राम श्री
देव राम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नवी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राज नारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री

राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लतीफत हुसैन, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लखराज सिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विश्रामराय, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्री निवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेवसिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हमीदखां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
होतीलालदास, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ५ अप्रैल, १९५६

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

उप-मंत्रियों तथा सभा सचिवों का पद एवं गोपनीयता की शपथ लेना

****१—श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस समय जनवरी, १९५६ में उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल के अधिकारियों और सदस्यों, मन्त्रियों, उप-मन्त्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का विधेयक, १९५५ विधान सभा में विचाराधीन था तो यह शंका उपस्थित की गई थी कि जब तक राज्य के उपमंत्री और सभासचिव, अपना कार्यभार संभालने से पूर्व राज्यपाल महोदय के सम्मुख शपथ नहीं लेते तो वह संविधान के अनुसार विधिवत् कार्य नहीं कर सकते ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी हां ।

****२—श्री नारायणदत्त तिवारी**—यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उप-मंत्रियों तथा सभा सचिवों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल महोदय ने मुख्य मंत्री को अधिकृत कर दिया था । तदनुसार मुख्य मंत्री ने प्रत्येक उपमंत्री तथा सभा सचिव को अपने कार्यभार संभालने से पूर्व शपथ दिलाई । अतः अन्य कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मुख्य मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि राज्यपाल महोदय ने माननीय मुख्य मंत्री जी को उपमंत्रियों तथा सभासचिवों को गोपनीयता की शपथ दिलाने के लिये विधान की किस धारा के अनुसार अधिकृत किया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—राज्यपाल को शपथ दिलाने का अधिकार है और विधान की किसी धारा में ऐसा नहीं लिखा है कि वे किसी दूसरे को अधिकृत नहीं कर सकते इसलिये ऐसा मानना चाहिये कि उनको अधिकृत करने का अधिकार है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को यह पता है कि जिस दिन यह शंका विधान सभा में उठाई गई थी उसी दिन माननीय अध्यक्ष ने एक शब्द यह प्रयुक्त किया था कि "समझदार को इशारा काफी" तो उस सम्बन्ध में इशारे को समझते हुये मुख्य मंत्री जी ने क्या कार्यवाही की ।

श्री अध्यक्ष—मैं इस प्रश्न की इजाजत नहीं देता । मैं स्पष्ट कर दूं कि वह व्यर्थक बात मैंने कही थी और दोनों ओर उसका इशारा होता था । मैंने कोई फैसला नहीं दिया था इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता । हमेशा यह होता है कि कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है तो उसमें बातों में गर्मी को टालने के लिये कुछ ऐसी बात कि जिससे लोगों का ध्यान दूसरी तरफ आगे के विषय की ओर चले ऐसा मैं कह देता हूं । इसलिये मैं उक्त प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं देता ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस आज्ञा के अनुसार राज्यपाल महोदय ने माननीय मुख्य मंत्री जी को अधिकृत किया था उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस वक्त तो वह प्रति मेरे पास नहीं है परन्तु मैं आप को आज्ञा से सदन को एक बात की याद दिलाना चाहता हूं कि जेनरल एलेक्शन के बाद जबकि पहली बार गवर्नमेंट बनी थी उस वक्त भी उपमंत्रियों की नियुक्ति हुई थी और उस वक्त जो तत्कालीन राज्यपाल थे उनके अधिकृत किये जाने के बाद तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने उपमंत्रियों को शपथ दिलाई थी और उस समय सदन में या सदन के बाहर किसी तरफ से कोई आक्षेप नहीं किया गया। इससे भी इस बात की पुष्टि होती है कि इसको कन्वेंशन कहा जाय सदन ने इसको स्वीकार किया है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को ज्ञात है कि दूसरे राज्यों में तथा केन्द्र में जहां पर कि यही विधान लागू है वहां पर किसी राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा मुख्य मंत्री जी को या किसी और मंत्री जी को अधिकृत नहीं किया जाता बल्कि राज्यपाल या राष्ट्रपति स्वयं ही शपथ दिलाया करते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जहां तक मैं जानता हूं माननीय सदस्य का कहना ठीक है लेकिन यह दुर्भाग्य है कि उन्होंने अपने यहां कोई नया कन्वेंशन बनाने की कोशिश की है ? हम अपने यहां नये कन्वेंशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं यह बहुत अच्छी बात मालूम होती है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी गवर्नर महोदय द्वारा अधिकृत किये जाने का यह भी अधिकार मानते हैं कि सभा सचिव और उपमंत्री लेजिस्लेटिव कौंसल में भी जा सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष---यह स्वतंत्र भिन्न प्रश्न है और कानूनी सवाल है । मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

तारांकित प्रश्न

बलिया जिले के हलधरपुर थाने के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप

*१---**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले के हलधरपुर थाने के पुलिस के विरुद्ध ७ व ८ मास के भीतर थाने के ग्राम अकोल्हा, सरैयां, गड़रा, चकरा, रतनपुरा, और चलईपुर सेब हुत से व्यक्तियों की दरख्वास्तें पुलिस कप्तान, बलिया और उनके पास आई हैं जिनमें डकैती एवं चोरी की रिपोर्ट न लिखने, निर्दोष व्यक्तियों को मारने एवं घूस लेने तथा स्त्रियों के साथ बलात्कार करने आदि की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

पुलिस उपमंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)---मामलों की रिपोर्ट न लिखने तथा घूस लेने की शिकायतें पुलिस कप्तान को प्राप्त हुई थीं । परन्तु किसी स्त्री पर बलात्कार करने की कोई शिकायत नहीं आई ।

*२---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन दरख्वास्तों की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई, तथा उसका परिणाम क्या निकला ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इन शिकायतों की जांच डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस द्वारा की गई जिसके परिणाम स्वरूप एक सब-इंस्पेक्टर तथा दो कांस्टेबुलों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

*३---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जांच करने वाले अधिकारियों ने मौके पर जा कर प्रार्थियों से बयान और प्रमाण नहीं लिये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जांच मौके पर जाकर की गई और संबंधित व्यक्तियों के बयान व प्रमाण भी वहीं लिये गये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मामलों की रिपोर्ट न लिखने तथा घूस लेने की कितनी शिकायतें पुलिस सुपरिटेंडेन्ट, बलिया को प्राप्त हुई थीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---एक साहब ने शिकायत की थी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि पुलिस सुपरिटेंडेंट ने डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट द्वारा जांच सवाल करने के बाद कराई ?

श्री जगनप्रसाद रावत---यह सम्भव हो सकता है कि उधर उसकी दरख्वास्त आयी हो इधर आपने सवाल किया हो और दोनों के बीच में कही जांच हो गयी हो ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन सब-इंसपेक्टर और कांस्टेबिलों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जा रही है ये तीनों कर्मचारी उसी थाने में मौजूद हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जिन सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ जांच की जा रही है वे ट्रेनिंग में गये हुये थे और ट्रेनिंग से लौटने के बाद उनके खिलाफ जांच हुई ।

श्री राम सुन्दर पांडेय---क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभागीय कार्यवाही कब से प्रारम्भ हुई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---मैंने जैसा कहा, वह ट्रेनिंग से लौट कर जब आये कुछ दिन हुये तभी विभागीय कार्यवाही शुरू हुई ।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रत्येक जिले में एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस इस काम के लिये नियुक्त किया गया है उसके द्वारा यह जांच क्यों नहीं कराई गयी ?

श्री जगन प्रसाद रावत---यह जांच का काम पहले ही शुरू कर दिया गया था और डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस, जो इस काम के लिये नियुक्त हुये हैं उनकी नियुक्ति कुछ बाद में हुई ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि उन दोनों कांस्टेबिलों और सब-इंस्पेक्टर के उस थाने में मौजूद रहने के कारण लोगों को विभागीय कार्यवाही में गवाही देने में दिक्कत हो रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---गवाहियां बहुत आसानी से आयीं । कठिनाई तो कोई नहीं दिखाई देती ।

जिला बलिया के थाना भरलीपुर में डकैती

*४--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतायेगी कि भरलीपुर थाना गड़वार जिला बलिया में ९ और १० अक्तूबर, १९५५ के बीच की रात में कोई डाका पड़ा था ?

श्री जगनप्रसाद रावत--जी नहीं ।

*५--श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतायेगी कि इस सिलसिले में कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--प्रश्न ही नहीं उठता ।

*६--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)--[२७ अप्रैल, १९५६ के लिये प्रश्न ३१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

जिला उन्नाव में हत्यायें व डाके

*७--श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले में जुलाई, १९५५ से १५ फरवरी, १९५६ तक कितनी हत्याएं हुईं और कितने डाके पड़े ?

श्री जगन प्रसाद रावत--२० हत्यायें हुई और १७ डकैतियां पड़ीं ।

*८--श्री देवदत्त मिश्र (अनुपस्थित)--क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष डेढ़ महीने अर्थात् १ जनवरी से १५ फरवरी, १९५६ तक कितनी हत्यायें हुईं और कितने डाके पड़े ?

श्री जगन प्रसाद रावत--६ हत्यायें हुईं और १० डकैतियां पड़ीं ।

श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि उनमें से कितने मामले अदालत में भेजे गये और कितने सजायाब हुए ?

श्री जगनप्रसाद रावत--१-७-५५ से १५-२-५६ तक २० मामले आए और उसमें से १६ अदालत में भेजे गये और १-१-५६ से १५-२-५६ तथा ६ मामलों की रिपोर्ट आई और ४ मामले अदालत में भेजे गए और डकैती के १-७-५५ से १५-२-५६ तक ८ मामले न्यायालय में भेजे गये । और १-१-५६ से १५-२-५६ तक २ मामले न्यायालय में भेजे गए ।

श्री रामदुलारे मिश्र--मैंने यह पूछा था कि जो मामलें अदालत में भेजे गए उनमें से कितने सजायाब हुए ?

श्री जगनप्रसाद रावत--वह अभी तो न्यायालय में विचाराधीन हैं ।

*९--श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--[२ मई, १९५६ के लिये प्रश्न ११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

जिला बहराइच के थाना पयागपुर में डकैती

*१०--श्री गज्जूराम (जिला झांसी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बहराइच के पयागपुर थाना में अभी हाल में जो डकैती पड़ी है उसमें कितना माल असबाब लूटा गया और कितने आदमी घायल हुये तथा मरे ?

नोट--तारांकित प्रश्न ४-५ श्री जोरावर वर्मा ने पूछे ।

नोट--तारांकित प्रश्न ७-८ श्री रामदुलारे मिश्र ने पूछे ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--५१० रु० का माल असबाब लूटा गया। तीन आदमियों के चोटें आईं, मरा कोई नहीं।

*११--श्री गज्जूराम (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि डाकुओं की संख्या कितनी थी तथा उनके पास क्या-क्या हथियार थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कहा जाता है कि १३ डाकू थे और उनके पास बन्दूक, देसी पिस्तौल और लाठियां थीं।

*१२-१३--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--[हटा दिये गये।]

जिला आजमगढ़ में पिस्तौल के लाइसेंस

*१४--श्री वृजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--क्या यह सत्य है कि आजमगढ़ जिले में बहुत से व्यक्तियों के पिस्तौल के लाइसेंस इस वर्ष जब्त कर लिये गये हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत--जी नहीं।

*१५--श्री वृजविहारी मिश्र--यदि हां, तो इसका कारण क्या है?

श्री जगनप्रसाद रावत--यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री वृजविहारी मिश्र--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिस्तौल के लाइसेंस होल्डरों की संख्या ५४-५५ में कितनी थी और ५५-५६ में वह कितनी रह गयी है?

श्री अध्यक्ष--यह सवाल इससे उठता नहीं है। आपने तो जब्ती के बारे में मूल प्रश्न में पूछा था कि कितने जब्त हुये?

श्री वृजविहारी मिश्र--क्या पिस्तौल का लाइसेंस देने के नियम में सरकार ने कोई संशोधन किया है?

श्री अध्यक्ष--यह भी नहीं उठता। जब वे इन्कार कर रहे हैं कि जब्त ही नहीं हुये तो यह प्रश्न भी नहीं उठता।

श्री वृजविहारी मिश्र--इसीलिये मैंने सवाल किया कि कितनी संख्या ५४-५५ में थी और कितनी ५५-५६ में थी।

श्री अध्यक्ष--आप तो क्रास एग्जामिनेशन कर रहे हैं।

गजटेड अफसरों के इण्टेगरिटी सर्टीफिकेट रोकने के लिए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इन्क्वायरी कमेटी की सिफारिश

*१६--श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि Disciplinary Proceedings Inquiry Committee की इस सिफारिश पर, कि उन गजटेड अफसरों के Integrity Certificate को रोक लिया जाय जिनके रहन-सहन का स्तर उनकी आर्थिक सीमा के बाहर है और जो विभागीय अपने अफसर द्वारा पूछे गये तत्संबंधी प्रश्न का समुचित उत्तर न दे सकें सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सरकार ने Disciplinary Proceedings Inquiry Committee की यह सिफारिश मान ली है और संबंधित अधिकारियों को इस विषय पर आदेश भेज दिया गया है।

श्री गंगाप्रसाद सिंह--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह आदेश किस तिथि को भेजे गये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---३० जनवरी, १९५३ को।

श्री गंगा प्रसाद सिंह---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि इस बीच में किसी अधिकारी के खिलाफ ऐसी कोई शिकायत सरकार के पास आई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---तीस जनवरी से लेकर आज तक सारा रेकार्ड मेरे दिमाग में नहीं है। बगैर इत्तिला के बतला नहीं सकता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---कोई गजटेड आफिसर अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करता है इसके जानने के लिये सरकार ने क्या तरीका अपनाया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---स्टेटिक तरीका तो होता नहीं है, रहन-सहन को देखा जाता है। ऊपर के आफिसर जिनको इंटेग्रिटी सार्टिफिकेट देना होता है उनसे उम्मीद की जाती है कि वे देखेंगे इस बात को।

*१७-१८---श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---[१८ अप्रैल, १९५६ के लिये प्रश्न ५९-६० के अन्तर्गत स्थानांतरित किये गये।]

मथुरा जिले में डकैती व कत्ल

*१९---श्री रामहेत सिंह (अनुपस्थित)---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले सन ५४-५५ व ५६ में कितनी डकैती व कत्ल हुये है ?

*२०---उक्त कत्लों में कितने केसों में सजा हुई तथा कितने छूटे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मांगी गई सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३०२ पर)

*२१---श्री रामहेत सिंह (अनुपस्थित)---[२४ अप्रैल, १९५६ के लिये प्रश्न ४८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

जिला देवरिया के बरियारपुर ग्राम में नयी पुलिस चौकी की स्थापना

*२२---श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)---क्या गृह मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि देवरिया जिला के कोतवाली देवरिया के बरियारपुर ग्राम में कोई नई पुलिस चौकी स्थापित की गई है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री जगनप्रसाद रावत---जी हां, बरियारपुर में एक अस्थाई पुलिस चौकी सितम्बर १३, १९५४ से स्थापित है।

*२३---श्री रामेश्वरलाल---क्या मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि वरियारपुर चौकी के पास अपना भवन है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कर्मचारियों की सुविधार्थ उक्त चौकी को निकटस्थ ग्राम बैकुन्ठपुर में ले जाने के प्रश्न पर विचार कर रही है जो उसी क्षेत्र का बाजार व एक छोटा कस्बा है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---बरियारपुर चौकी के पास कोई अपना भवन नहीं है और यह गांव वालों द्वारा निःशुल्क दिये गये एक मकान में स्थित है। इसको बरियापुर से हटाने का कोई विचार नहीं है।

श्री रामेश्वरलाल---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो बरियापुर ग्राम की चौकी जो बार्डर पर स्थित है उसकी सिचुएशन को देखते हुये इसे चौकी के स्थायी करने के प्रश्न पर विचार करेंगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---चौकी अपना कार्य कर रही है अगरअनुभव से ऐसा प्रतीत होगा कि इसको स्थायी कर दिया जाय तो कर देंगे।

श्री रामेश्वरलाल---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह चौकी जहां स्थित है वहां वह छोटी गंडक नदी और एक दो नालों से घिरी हुई है और बरसात में लोगों के तथासिपाहियों के आने जाने में असुविधा होती है, इस बातको ध्यान में रखते हुये इस चौकी को वहां से ट्रांसफर करने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---जब यह चौकी वहां कायम की गई थी तो इन सब बातों पर विचार कर लिया गया था।

जिला देवरिया में डकैती, चोरी इत्यादि

*२४---श्री रामेश्वरलाल---क्या गृह मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि देवरिया जिला में सन् १९५५ में कितनी चोरी, डकैती, बलवे, कत्ल एवं बैल खोलाई की घटनायें अलग-अलग थानों में हुईं ?

श्री जगन प्रसाद रावत---मांगी हुई सूचना संलग्न विवरण पत्र में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३०३ पर)

श्री रामेश्वरलाल---क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि प्रस्तुत तालिका के अनुसार देवरिया जिले के जो स्थान बोर्डर पर स्थित हैं वहां ज्यादा घटनायें हुई हैं यदि हां तो क्या वह उसका कारण बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत---यह तो स्पष्ट ही है कि बोर्डर पर जो गांव स्थित होते हैं वहां पर लोग इस प्रकार के जुल्म करके सरहद पार कर चले जाते हैं और उनके पकड़ने में कठिनाई होती है।

श्री रामेश्वरलाल---क्या मंत्री जी इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुये इस पर विचार करेंगे ताकि बैलों की चोरी कम हो जाय ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इस पर कार्यवाही जारी है।

*२५-२७---श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)---[१९ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

हाकिम परगनों के इजलास तहसील में स्थायी रूप से खोलने पर विचार

*२८---श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी (जिला बनारस)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हाकिम परगनों के इजलास तहसील में स्थायी रूप से खोलने को निश्चय कर लिया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जैसा कि मैंने सामान्य प्रशासन का अनुदान उपस्थित करते हुये बतलाया था, इस विषय में अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।

श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस पर अंतिम निर्णय कब तक हो जाने वाला है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जब सब जगह से सूचना आ जायगी कि कहां मकान है कहां नहीं है, किस किस अफसर को कहां रहना चाहिये और कौन का जुरिस्डिक्शन कहां होना चाहिये यह सब इत्तिला अभी नहीं आई है।

जिला इलाहाबाद के थाना सराय अकिल में कत्ल, चोरी व दफा १०७ के मुकदमें

*२९—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इलाहाबाद जिले के थाना सरायं अकिल में फरवरी, १९५५ से फरवरी, १९५६ तक कितने कत्ल हुये तथा चोरी के मुकदमें में दर्ज किये गये और उनमें कितने मुकदमें चालू किये गये ?

श्री जगनप्रसाद रावत—२ कत्ल तथा ६५ चोरियों की रिपोर्ट की दर्ज की गई। कत्ल का एक और चोरियों क १९ मुकदमें न्यायालय में भेजे गये।

*३०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले के सरायं अकिल के थाने में पिछले ६ माह में कितने मुकदमें दफा १०७ जाब्ता फौजदारी के चलाये गये ?

श्री जगनप्रसाद रावत—सितम्बर, १९५५ से फरवरी, १९५६ तथा पुलिस की रिपोर्ट पर कुल ५ मुकदमें धारा १०७/११७ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत चलाये गये ?

श्री कल्याणचन्द्र मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो चोरी का मुकदमा नहीं चलाया गया वह क्यों नहीं चलाया गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—क्योंकि उसमें कोई चीज साबित नहीं हो पाई।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन चोरियों में कितने आदमी पकड़े गये ?

श्री जगनप्रसाद रावत—८८ आदमी पकड़े गये।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि दो रिपोर्टें ऐसी लिखाई गई थीं कि जिन में पुलिस वालों के विरुद्ध भी चोरी करने का अभियोग लगाया गया था ?

श्री जगनप्रसाद रावत—यहां सब रिपोर्टों की तफसील मेरे पास नहीं है कि किस किस्म की रिपोर्ट लिखाई गई थीं।

*३१-३२—श्री तेजासिंह (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)—[२६ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

गाजियाबाद में पुलिस फोर्स बढ़ाने के संबंध में पूछताछ

*३३—श्री तेजासिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार गाजियाबाद में जहां से देश विदेश के महापुरुष बहुधा गुजरते हैं पुलिस फोर्स बढाने पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

थाना जालौन के अन्तर्गत पिछले दो वर्षों में हत्यायें

*३४—श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)—क्या सरकार जिला जालौन में थाना जालौन के अन्तर्गत सन् १९५४-५५ व सन् १९५५-५६ में प्रति वर्ष कितने २ कत्ल हुये इसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

*३५—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितने कत्ल के मामलों में पता लगाने में पुलिस को सफलता मिली तथा किन २ मामलों में मुल्जिमों को सजा मिली ?

*३६—क्या सरकार यह बतायेगी कि अभी कौन २ मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—मांगी गई सूचना संलग्न नक्शे में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३०४ पर)

श्री बसन्तलाल—जो मैंने प्रश्न पूछा था उसमें नामवार सूची सदन की मेज पर रखने की मांग की गयी थी। इसमें नाम नहीं आये, इसलिये मैं पूरी सूचना प्राप्त नहीं कर सकता ।

श्री अध्यक्ष—मुझे इस बात का अधिकार है कि कोई वैयक्तिक बात अगर आप पूछें तो उसे प्रश्न में से काट सकता हूं । मैंने इसी प्रकार उतने भाग की इजाजत नहीं दी ।

श्री बसन्तलाल—क्या सरकार यह १९५५ में जो दो रिपोर्टें लिखाई गई हैं उनके नाम बताने की कृपा करेगी कि कौन-कौन कत्ल हुए ?

श्री जगनप्रसाद रावत—तफसील तो मेरे पास नहीं है ।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो कत्ल हुये हैं उनमें से कितने ऐसे मामले हैं कि जिनमें मुलजिम नहीं पकड़े जा सके हैं अभी तक ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इसमें तो दो ही हैं और दोनों ही चालान हो गये हैं ।

श्री बसन्तलाल—यह जो सन् १९५४ में ३ कत्ल दिये गये हैं उनमें एक में सजा हुई, एक छूट गया और तीसरा जिसका पता नहीं चला, उसका क्या कारण है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—बात यह है कि ऐसे मामले भी हो जाते हैं कि जिसमें कोई नाम बतलाया नहीं जाता और असली आदमी जिसने कत्ल किया है उसका पता नहीं चल पाता ।

*३७—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—[१९ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

नये विधायक निवास से विधान भवन आने जाने में विधायकों को कठिनाई

*३८—श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर गया है कि विधान भवन से आने जाने वाले विधायकों को तथा अन्य संबंधित जनों को नये निवास भवन को आने जाने में राजमार्ग की व्यस्तता के कारण चिन्तनशील स्थिति में पार करना कठिन हो जाता है और संकट का स्वरूप सामने आ जाता है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जी नहीं ।

*३९—श्री रामलखन मिश्र (अनुपस्थित)—क्या सरकार कोई सुगम मार्ग (Underground or flooring bridge) बनवाने पर विचार करेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं ।

श्री जोरावर वर्मा—विधायक निवास से विधायकों को आने जाने में जो अड़चन व कठिनाई होती है उसको दूर करने के लिये क्या माननीय मंत्री कोई व्यवस्था करेंगे जिससे कि वे सुविधापूर्वक आ सकें ?

नोट—तारांकित प्रश्न ३८-३९ श्री जोरावर वर्मा ने पूछे ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जवाब में यह कहा गया है कि नहीं की गई है। इसलिये नहीं की गई है कि उस जगह पर सड़कों का कुछ बदलाव होने वाला है जिसके जरिये से यह बात खुदबखुद जाती रहेगी। अगर इत्तिफाक ऐसा हुआ कि वह नहीं हुआ और वह चीज बाकी रही तो इन्तजाम हो जायगा।

श्री रामेश्वरलाल--क्या माननीय मंत्री को इस बात का ज्ञान है कि पिछले साल वहां पर एक कांस्टेबिल किसी कार से टकरा कर मर गया ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी नहीं, मुझे इसकी कोई इत्तिला नहीं है।

श्री तेजप्रताप सिंह--क्या माननीय मंत्री इस सुझाव पर विचार करेंगे कि रायल होटल के पास जो चौराहा है और हजरतगंज के पास बीच में ५ मील की रफ्तार से गाड़ी चलाने का आदेश दिया जाय ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--अगर मुझे कोई वजह बतलायेंगे मेरे दोस्त मुझ से मिल कर तो मैं यकीनन करूंगा कि ऐसा हो।

सहारनपुर जिलान्तर्गत के जंगलाती ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा बाबड़ घास के ठेके के कुप्रबन्ध की शिकायत

*४०--श्री राम नारायण त्रिपाठी--क्या मुख्य मंत्री को जंगलाती ग्राम पंचायत इलाका घाढ़, जिला सहारनपुर के प्रधान का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें निकासी रसन्ना न दिये जाने और ठेके के कुप्रबन्ध आदि के विषय में शिकायत है ?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)--जी हां।

*४१--श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या मांगें न पूरी होने पर जनता की ओर से भूख हड़ताल करने की सूचना दी गई है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जी हां, परन्तु कन्जरवेटर महोदय से बातचीत करने के बाद भूख हड़ताल का इरादा स्थगित कर दिया गया है।

*४२--श्री रामनारायण त्रिपाठी--यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जांच की जा रही है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वह कौन २ सी शिकायतें प्रार्थना-पत्र में थीं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह बाबड़ घास लेने की बात थी कि हमें बाबड़ घास गृह उद्योगों के लिये मिले।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह जांच किस अधिकारी के द्वारा करायी जा रही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--अपने जंगलात के कंजर्वेटर द्वारा यह प्रश्नोत्तर में लिखा है।

डाकू मान सिंह की मृत्यु के उपरान्त उसके गिरोह द्वारा वारदातें

*४३—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मान सिंह डाकू की मृत्यु के बाद उसके गिरोहों की हलचलों की स्थिति क्या है? उनके द्वारा कितनी वारदातें हुईं और कितने आदमी मारे गये?

श्री जगनप्रसाद रावत—मानसिंह डाकू की मृत्यु के बाद उसके गिरोह की बागडोर रूपा ने संभाली। शस्त्रों की कमी के कारण गिरोह कुछ काल के लिये तितर-बितर हो गया। इस बीच में रूपा ने अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली और उसने लाखन नामक एक दूसरे नामी डकैत से भी संधि कर ली। इस संयुक्त गिरोह ने हर प्रकार से अपराध कर जनता को आतंकित करना शुरू कर दिया। अब तक इस गिरोह द्वारा की गई १३ वारदातों की सूचना मिली है जिसमें १२ व्यक्ति मारे गये।

*४४—श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)—क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की इन डाकुओं के सम्बन्ध में जो सम्मिलित योजना थी उसे क्यों समाप्त किया गया और इन गिरोहों को खत्म करने के लिये अब क्या प्रयत्न किया जा रहा है?

श्री जगनप्रसाद रावत—संयुक्त डकैती मोर्चे की स्थापना उत्तर प्रदेशीय तथा मध्य भारत पुलिस द्वारा कुख्यात डाकू मानसिंह व अन्य डाकुओं के गिरोहों को समाप्त करने के लिये की गई थी। इस उद्देश्य की पूर्ति के बाद संयुक्त मोर्चे का सामूहिक संचालन अनिवार्य नहीं समझा गया। अतएव उसे ३१ जनवरी, सन् १९५६ से समाप्त कर दिया गया। मानसिंह के शेष गिरोह को समाप्त करने के लिये उत्तर प्रदेश तथा मध्य भारत की पुलिस द्वारा कार्यवाही जारी है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि रूपा और लाखन सिंह के उत्पात को देखते हुए वह पुनः वहीं ज्वाइंट कमांड की व्यवस्था कायम करने की कृपा करेंगे ताकि शान्ति और व्यवस्था कायम हो सके?

श्री जगनप्रसाद रावत—काफी विचार करने के बाद ही यह निर्णय किया गया है कि अब इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री जोरावर वर्मा—क्या यह सत्य है कि ज्वाइंट कमांड को भंग करने से ही लाखनसिंह और रूपा का उत्पात अधिक बढ़ गया है?

श्री जगनप्रसाद रावत—ऐसी बात नहीं है।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि ज्वाइन्ट कमांड बन्द करने के कारण देवी सिंह, कुख्यात डाकू उस इलाके में पैदा हो गया है?

श्री जगनप्रसाद रावत—देवी सिंह तो बहुत पहले से है। जहां तक देवी सिंह का ताल्लुक है उसका कार्य हमारे उत्तर प्रदेश में करीब करीब नहीं के बराबर है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—क्या सरकार को विदित है कि मानसिंह के मरने के बाद रूपा के गिरोह ने एक-एक रात में तीन-तीन गांव लूटे हैं और एक-एक दिन में चार-चार कत्ल किये हैं जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ था?

श्री जगनप्रसाद रावत—माननीय सदस्य की यह सूचना सही है।

नोट—तारांकित प्रश्न ४३-४४ श्री जोरावर वर्मा ने पूछे।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने को कष्ट करेंगे कि रूपा के गिरोह ने कितने पुलिस के कर्मचारियों को मारा है और उनके मरने के बाद सरकार ने उनके परिवार का क्या इन्तजाम किया है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—मानसिंह के मरने के बाद १२ आदमियों का कत्ल हुआ है। इसमें कुछ कांस्टेबिल भी हैं। जो भी कांस्टेबिल या दूसरे पुलिस के अफसर डकैतों का मुकाबला करने में मारे जाते हैं उनके परिवार को तात्कालिक सहायता दे दी जाती है और उसके बाद उसका स्थायी प्रबन्ध भी किया जाता है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार इस नतीजे पर अभी नहीं पहुंची कि जो आपरेशंस वहां पर किये गये हैं, जो प्रबन्ध किया गया है वह इस खतरे का मुकाबला करने के लिए अपर्याप्त साबित हो रहा है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जो प्रबन्ध अपर्याप्त होता है उसकी कमी को पूरा करने की कोशिश की जाती है।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि १२ आदमी जो मारे गये इसमें कितने डाकू थे, इनमें कोई डाकू भी था ?

श्री जगन प्रसाद रावत—इनमें तो कोई डाकू नहीं था।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि रूपा और लाखन आज कल हमारे प्रदेश में हैं या प्रदेश के बाहर ?

श्री जगन प्रसाद रावत—आज और कल की बात तो मुझे मालूम नहीं।

श्री कृष्ण शरण आर्य (जिला रामपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो डाकुओं से मुकाबला हुआ उनमें कोई डाकू भी मारा गया या नहीं मारा गया ?

श्री जगन प्रसाद रावत—मुकाबले में आदमी नहीं मारे गये। यह उन लोगों ने कत्ल किया। मुकाबले से तो वह लोग भागते रहते हैं इस बीच में।

अस्थायी आडीटरों का स्थायी न किया जाना

*४५—**श्री रामसुभग वर्मा**—क्या सरकार बतायेगी कि गत ७–८ वर्षों से सुपरवाइजर और एकाउन्टेन्ट के पदों से तरक्की पाकर आये हुये रिक्त स्थानों पर काम करने वाले आडीटरों को स्थायी घोषित नहीं किया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अस्थायी आडिटरों को स्थायी घोषित न करने का क्या कारण है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—गैर-मुस्तकिल मुलाजमीन जो हैं किसी मुहकमे के, वह मुस्तकिल जब किये जाते हैं जो मुस्तकिल तादाद मुकर्रर है मुहकमे की उस तादाद में बढ़ोतरी की जाय। जिस वक्त मौका आयेगा बढ़ोतरी करने का तब इनमें से मुस्तकिल होने का नम्बर आयेगा।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अस्थायी और स्थायी आडिटरों के वेतन-क्रम क्या हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—तनख्वाहों में कोई फर्क नहीं है। फर्क यह होगा कि कोई दो वर्ष का होगा, कोई तीन वर्ष का होगा, जितने इन्क्रीमेंट्स होते रहते हैं उसके हिसाब से फर्क होगा।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अस्थायी आडिटरों को स्थायी घोषित करने पर वह विचार करेंगे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैंने तो विचार का समय बतला दिया है। विचार का समय आयेगा तो विचार जरूर करेंगे।

फैजाबाद जिले में राजनैतिक पेंशन की अदायगी

*४६—**श्री रामदास रविदास** (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जिले में कितने आदमियों को राजनैतिक पेन्शन दी गई है और कितने-कितने रुपये मासिक की ?

श्री जगन प्रसाद रावत—१६ व्यक्तियों को। अलग-अलग व्यक्तियों को दी गयी पेंशन की रकमें भिन्न-भिन्न हैं।

श्री रामदास रविदास—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन व्यक्तियों को कितने रुपये की मासिक पेंशन दी गयी ?

श्री अध्यक्ष—मैं यह उचित नहीं समझता हूं कि राजनैतिक पेंशन पाने वालों में हर एक का नाम लिया जाय। आप किसी का नाम न पूछिये।

श्री रामदास रविदास—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो १६ आदमियों को पेंशन दी गयी है उनके अलावा कुछ ऐसे आदमी हैं जिनका केस सीरियस था, उनको कुछ नहीं मिला है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह हो सकता है। अभी लिस्ट खत्म नहीं हुई है। ज्यों-ज्यों केस सामने आते जाते हैं विचार होता जाता है। अभी अन्तिम विचार नहीं हुआ है इसलिए कई लोगों के नाम बाकी होंगे।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कोई ऐसा सिद्धान्त है जिसके अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक मासिक पेंशन दी जाती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कोई विशेष सिद्धान्त तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज से कई वर्ष पहले जब पोलिटिकल पेंशन देना शुरू हुआ था उस वक्त कुछ ऐसी बहस चल गयी थी कि १० रुपये से ज्यादा किसी को न दिया जाय और अधिक से अधिक की बात यह है कि उसी का पालन करीब-करीब हो रहा है। कम से कम के लिए कोई ऐसी चीज नहीं है लेकिन जाहिर है कि १५-२० रुपये महीने से कम किसी को क्या दिया जायगा।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—क्या चीफ मिनिस्टर साहब मेहरबानी करके बतायेंगे कि जिन सियासी सफरर्स को आपने इमदाद दी है उस इमदाद को तय करने के लिए कोई कमेटी है या कोई फर्द है जो इसको तय करता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसकी पूरी जिम्मेदारी अकेले मेरी है।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सहायता लम्प-सम भी दी जाती है या माहवारी दी जाती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पेंशन तो माहवारी ही दी जाती है, लेकिन मैं सदन में जिक्र कर चुका हूं बजट के सिलसिले में कि लड़कियों की शादी के सिलसिले में यकमुश्त रुपया भी दिया गया, या रोजगार के लिए कुछ दिया गया है। लेकिन १०-५ ही ऐसे केसेज होंगे।

श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो राजनीतिक पीड़ित शरीर से अयोग्य हैं उनके लिए प्राथमिकता देने का विचार गवर्नमेंट के ध्यान में है कि उनको प्राथमिकता दी जाय?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---विचार का सवाल नहीं। इस पर तो काफी मुद्दत से अमल हो रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट पर बोलते हुये यह स्वीकार किया था कि किसी राजनीतिक पीड़ित को २० रुपये से कम पेंशन नहीं दी जायगी? यदि हां, तो क्या इसका आदेश राजनीतिक पीड़ित विभाग के विशेषाधिकारी को हिदायत कर दी गई कि वे राजनीतिक पीड़ित जो इससे कम पेंशन पाते हैं उनको २० रुपये कर दी जाय?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इधर जिन लोगों को पेंशनें दी जा रही हैं उनको अब २० रुपये से कम नहीं दी गयी है। इससे पहले कुछ लोग ऐसे थे जिनको कम रही है लेकिन पेंशन और महंगाई मिला कर उनको १५ रुपये मिलते हैं। पहले इन केसेज को देखने के बाद इन केसेज को देखेंगे और इनको मिलने की व्यवस्था करने का प्रयत्न होगा, हां अगर किसी की दरख्वास्त आ गई है तो उनको बढ़ा दिया गया है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी---क्या चीफ मिनिस्टर साहब मेहरबानी करके फरमायेंगे कि जिन लोगों को अपनी लड़कियों की शादी के लिये या जरूरत के मौके पर इमदाद पोलिटिकल सफरर्स को दी जाती है उनकी जरूरियात का तआउन करने के लिये दरयाफ्त करने का उनके पास क्या तरीका है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---आम तौर से लड़कियों की शादी के लिये हम पांच सौ रुपये देते हैं चाहे जरूरत कुछ भी हो लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दो सौ या ढाई सौ अपनी तरफ से चाहें तो यह उनकी मेहरबानी है, हम इससे ज्यादा उनको नहीं देते।

श्री तेजप्रताप सिंह---क्या मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि राजनीतिक पेंशनों में वृद्धावस्था के लिये जो आयु रखी गई है वह क्या है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---आम तौर पर हम ५० वर्ष मानते हैं।

चौकीदारों के स्थानों की समाप्ति

*४७---श्री हरिप्रसाद (जिला पीलीभीत)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किस-किस जिले में चौकीदारी के स्थानों को खत्म कर दिया गया है और इस वर्ष वह किन-किन जिलों में खत्म करने जा रही है?

श्री जगन प्रसाद रावत---चौकीदारों को हटा कर उनके स्थान पर कांस्टेबुलों को नियुक्त करने की योजना को प्रतापगढ़ और बुलन्दशहर जिलों के क्रमशः बघराय और सिकन्दराबाद पुलिस सर्किलों में प्रयोगात्मक रूप से चालू किया गया है। केवल उन्हीं सर्किलों में चौकीदारों को हटाने का अभी निश्चय किया गया है। प्रदेश के अन्य कुछ अथवा समस्त जिलों में चौकीदारों को इस वर्ष हटाने का अभी कोई विचार नहीं है।

श्री हरिप्रसाद---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जहां पर चौकीदारों को हटा कर कांस्टेबिल रखे गये हैं वहां के मैनेजमेंट में कुछ फर्क पड़ा?

श्री जगन प्रसाद रावत——अभी यह प्रयोग शुरू ही हुआ है।

श्री हरिप्रसाद——क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि और जिलों में कितने दिनों में चौकीदारों को हटाया जायगा ?

श्री जगन प्रसाद रावत——जब इस प्रयोग को देख लेंगे और अगर यह प्रयोग सफल होगा तो और जिलों में भी करेंगे।

जिला इटावा में १९५५ में डकैतियां व कत्ल

*४८——**श्री मिहरबान सिंह** (जिला इटावा)——क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले के अन्दर दिनांक १ जनवरी, सन् १९५५ से ३१ दिसम्बर, सन् १९५५ तक कितनी डकैतियां हुई हैं तथा कितने व्यक्ति डाकुओं द्वारा कत्ल किये गये ?

श्री जगन प्रसाद रावत——२८ डकैतियां हुईं जिनमें ३ व्यक्ति मारे गये।

श्री मिहरबान सिंह——क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले के अन्दर मानसिंह का लड़का तहसीलदार सिंह जो गिरफ्तार किया गया है उसमें वहां के स्थानीय किसी अहीर का हाथ था जिसकी वजह से वहां के लोगों को डाकू मारते और नुकसान पहुंचाते हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत——इसकी कोई खास सूचना तो मेरे पास नहीं है लेकिन माननीय सदस्य का विचार मुमकिन है कि ठीक हो।

श्री मिहरबान सिंह——क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि इटावा जिले के अन्दर वहां के अहीरों को डाकू लोग मार रहे हैं और उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत——वह तो जो भी वहां के आसपास के गांव हैं सभी में उन्होंने आतंक मचा रखा है। उसमें अहीर या किसी खास कौम के खिलाफ कोई बात हो ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)——क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जहां पर ऐसा आतंक मचा हुआ है वहां पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत——जहां इस प्रकार का आतंक होता है हम अपनी पी० ए० सी० का फोर्स रखते हैं और जो भी कुछ इन्तजाम हो सकता है वह करते हैं।

श्री मिहरबान सिंह——क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस तरह से मध्य भारत की सरकार ने वहां के लोगों के लिये अपनी रक्षा के लिये बन्दूक के लाइसेंस देने की आम तौर पर घोषणा कर दी है उसी तरह से वहां के लोगों को अपनी रक्षा के लिये बन्दूक का लाइसेंस देने की सरकार घोषणा करेगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत——हम तो जिसको हथियार की आवश्यकता होगी उसको लाइसेंस देंगे, किसी खास को इसकी छूट नहीं दे सकते।

निम्न वेतन भोगी कर्मचारियों को स्वीकृत २ रु० वृद्धि का वन विभाग के खूंट मुहर्ररों को न दिया जाना

*४९——**श्री नारायणदत्त तिवारी**——क्या सरकार द्वारा पिछली वर्ष निम्न वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन २) मासिक की जो वृद्धि स्वीकृत हुई थी, उसे वन विभाग के खूंट मुहर्ररों पर भी लागू किया गया है या नहीं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी——जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार जिस प्रकार से फारेस्ट गार्डों को दो रुपया मासिक रुपये की वृद्धि प्रदान की है उसी प्रकार से खूंट मुहर्रिरों को भी दो रुपया मासिक वेतन वृद्धि देने का विचार करेगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जी नहीं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन खूंट मुहर्रिरों की तनख्वाह क्या है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---इनका कोई फिक्स स्केल नहीं है और यह दैनिक वेतन पर कार्य के लिये गये हैं। इनका कोई मासिक वेतन नहीं है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उनको दैनिक वेतन क्या मिलता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

वन विभाग के निम्न कर्मचारियों को वर्किंग प्लान ड्यूटी पर विशेष वेतन का दिया जाना

*५०---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार को ज्ञात है कि वन विभाग के निम्न कर्मचारियों को वर्किंग प्लान ड्यूटी पर मिलने वाला विशेष वेतन पिछले वर्ष से या तो घटा दिया गया है, या समाप्त कर दिया गया है जबकि गजटेड आफिसरों का विशेष वेतन उसी प्रकार बना हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---वन विभाग में वर्किंग प्लान ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों में केवल रेंजरों को ही विशेष वेतन मिलता रहा है । नियमानुसार इस विशेष वेतन की अधिकतम मात्रा २५ रु० मासिक हो सकती है । सन् १९५४ से पहले इन रेंजरों को विशेष वेतन २५ रु० मासिक की दर से दिया जाता था, परन्तु अब इसकी मात्रा घटा कर १५ रु० मासिक कर दी गई है । १९५४ ही में सरकार ने बहुत से गजेटेड अफसरों के विशेष वेतन बिलकुल बन्द कर दिए हैं और इन अफसरों में वर्किंग प्लान ड्यूटी करने वाले असिस्टेंट कंजर-वेटर आफ फारेस्ट्स भी सम्मिलित हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि रेंजरों को जो मासिक विशेष वेतन दिया गया है उसकी मात्रा घटा कर १५ रुपया कब से कर दी गई है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---यह सन् ५४ से पहले की गयी है । ठीक तो नहीं मालूम, लेकिन अन्दाजा बताया जा सकता है कि वह दो तीन साल पहले ही किया गया है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या यह सही है कि वर्किंग प्लान ड्यूटी पर काम करने वाले कर्मचारियों में रेंजरों के अलावा और दूसरे कर्मचारियों को भी वर्किंग प्लान मिलता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---डिप्टी रेंजर वगैरा को भी मिलता है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या यह सही है कि वन कर्मचारी ऐशोसियेशन का एक डेपुटेशन माननीय वन मंत्री जी से मिला था और उन्होंने कुछ आश्वासन भी दिये थे ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जी हां, ऐशोसियेशन मिला था । उनकी कुछ मांगें भी थीं, उनमें जो मुनासिब थीं उनको कंसीडर भी किया गया । भत्ते वगैरा की जो मांगे थीं उन पर भी विचार किया गया था ।

*५१--श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)--[२७ अप्रैल, १९५६ के लिये प्रश्न २१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

मिर्जापुर में घरेलू तथा औद्योगिक बिजली की दरें

*५२--श्री व्रजभूषण मिश्र (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि मिर्जापुर में घरेलू तथा औद्योगिक बिजली का रेट प्रदेश में सबसे ज्यादा है और ऊपर से १५ प्रतिशत War Cost Surcharge अभी तक वसूल किया जा रहा है, जब कि युद्ध समाप्त हुये १० वर्ष से अधिक हुआ ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मिर्जापुर में बिजली के रेट उत्तर प्रदेश में सब से ज्यादा नहीं हैं किन्तु वार कास्ट सरचार्ज (War Cost Surcharge) वसूल किया जाता है।

*५३--श्री व्रजभूषण मिश्र (अनुपस्थित)--यदि हां, तो रेट घटाने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर में घरेलू उद्योग-धंधों के लिए बिजली का रेट क्या है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मिर्जापुर में हवा और रोशनी यानी पंखे और रोशनी के लिए है आठ आने पर यूनिट और २५ फीसदी का डिस्काउंट मिलता है। इन्डस्ट्री के लिए है दो आना ६ पाई पर यूनिट और तीन आने ६ पाई है घरेलू उद्योगों के लिए।

श्री तेज प्रताप सिंह--क्या माननीय वित्त मन्त्री जी के पास कोई ऐसे प्रार्थना-पत्र मिर्जापुर से घरेलू उद्योग-धंधा करने वालों की तरफ से आये हैं कि उनकी बिजली का रेट जो है वह कम कर दिया जाय ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--बिजली का रेट कम करने की विशेष प्रार्थना तो कोई मेरी याद में नहीं आयी है मगर यह आमतौर पर वहां के मुताल्लिक शिकायत रही है कि बिजली का वह रेट ज्यादा है। लेकिन मैंने उसकी जांच कराई थी और हर साल कराता हूं। जो कुछ कि हिसाब वहां पर खर्च वगैरह का है उसके हिसाब से ज्यादा नहीं है।

लखनऊ जिला जेल में हवालाती कैदियों को उपयोगी कार्य में लगाने की योजना

*५४--श्री बाबू नन्दन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ जिला जेल में कितने हवालाती कैदियों को उपयोगी कार्य में लगाये रखने के लिये कौन सी नई योजना चालू की गई है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--सन् १९५३ से प्रयोग के रूप में जिला जेल, लखनऊ में विचाराधीन कैदियों को काम पर लगाने की योजना चल रही है। इसके अन्तर्गत केवल वही विचाराधीन कैदी काम पर लगाये जाते हैं जो स्वयं काम करने के इच्छुक हों। काम करने वालों को यदि उनका आचरण और काम संतोषजनक रहा हो तो श्रमिकों के भोजन के अतिरिक्त काम पर व्यतीत प्रत्येक दिन के लिये एक दिन का विशेष परिहार दंड प्राप्त होने पर दिया जाता है।

नोट--तारांकित प्रश्न ५२-५३ श्री रामसुन्दर पांडेय ने पूछे।

श्री बाबू नन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अब तक कितने कैदियों को विशेष परिहार दिन प्राप्त हो चुके हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत---इन कैदियों की फेहरिस्त इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री बाबू नन्दन---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो कैदी दंडित नहीं हुए हैं उनको भी विशेष परिहार दिवस दिया जाता है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जो दंडित नहीं हुए हैं उनको विशेष परिहार दिवस का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला मुरादाबाद के अन्तर्गत सहकारी संघों में गबन

*५५---**श्री महीलाल** (अनुपस्थित)---क्या सहकारी मंत्री को ज्ञात है कि जिला मुरादाबाद के सहकारी संघ मूढ़ा पाड़े, चन्दौसी, सम्भल, जटपुरा, फतेहपुर विशनोई, आदि संघों में पिछले कई वर्षों से हजारों रुपये के गबन चल रहे हैं जिनकी ओर लेखा परीक्षकों ने अपने आपत्ति पत्रों द्वारा अधिकारियों का ध्यान दिलाया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मूढ़ा पांडे तथा फतेहपुर विशनोई संघों में गत दो वर्षों में कोई गबन नहीं मिला है और न लेखा परीक्षणों में कोई इसका उल्लेख है ।

चन्दौसी व जटपुरा संघों के लेखा परीक्षणों में कुछ गबनों का उल्लेख अवश्य है पर जांच करने पर ज्ञात हुआ है कि वह केवल हिसाब किताब की त्रुटियां हैं ।

सम्भल सहकारी संघ में कुछ गबन अवश्य पाया गया है, जिसमें उचित कार्यवाही की जा रही है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या वित्त मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने रुपये की कमी पायी गई ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---उसमें लिखा है कि लगभग साढ़े पांच हजार रुपये का जो स्टाक था उसकी कमी पड़ी ?

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लेखा परीक्षकों ने उनकी जांच कब की और यह कमी किस कारण से हुई ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---यह मामला तो सन् १९५४-५५ का था ।

गोरखपुर कमिश्नरी से सेल्सटैक्स से आमदनी

*५६---**श्री धनुषधारी पाण्डेय** (जिला बस्ती)---क्या वित्त मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५५ में गोरखपुर कमिश्नरी से सेल्स टैक्स में सरकार को कितना धन प्राप्त हुआ है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---सन् १९५५ में गोरखपुर कमिश्नरी से सरकार को सेल्स टैक्स से ३७,३४,९६७ रु० प्राप्त हुआ था ।

श्री धनुषधारी पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो सेल्स टैक्स प्राप्त हुआ उस पर सरकार का वसूली में कितना व्यय हुआ है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---हर जगह की अलग अलग कलेक्शन की खर्च की रकम मेरे पास इस वक्त नहीं है ।

नोट---तारांकित प्रश्न ५५ श्री रामसुन्दर पांडेय ने पूछा ।

प्रदेश में चौकीदारों की संख्या और उसमें हरिजन

*५७---श्री राम किंकर (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने चौकीदार हैं उनमें कितने हरिजन हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उत्तर प्रदेश में कुल ४९,२७८ चौकीदार हैं जिनमें से २२,३७४ हरिजन हैं ।

गणतंत्र दिवस पर बदायूं में पाकिस्तानी झंडा फहराने के संबंध में परिप्रश्न

*५८---श्री रामदुलारे मिश्र---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गणतंत्र दिवस (२६ जनवरी) के अवसर पर बदायूं में किसी सार्वजनिक संस्था ने राष्ट्रीय झंडे के बजाय पाकिस्तानी झंडा फहराया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं ।

*५९---श्री रामदुलारे मिश्र---क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि उपर्युक्त संस्था का क्या नाम है और इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्रश्न नहीं उठता ।

जेल उद्योग जांच समिति की रिपोर्ट

*६०---श्री गंगाप्रसाद सिंह---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने जेल उद्योग जांच समिति कब नियुक्त की और अब तक समिति ने अपने कार्य में क्या प्रगति की है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---समिति की नियुक्ति १९ फरवरी, १९५५ को हुई थी । उसका कार्य समाप्त हो गया है और सरकार के पास रिपोर्ट आ गई है ।

श्री गंगाप्रसाद सिंह---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह रिपोर्ट कब आई है और उस रिपोर्ट की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---रिपोर्ट अभी ५-६ दिन हुए आई है और अभी उसको देखने का और गौर करने का मौका नहीं मिला है ।

राज्य पुनस्संगठन विधेयक के आलेख्य तथा संविधान के संशोधन के निमित्त सम्बद्ध प्रस्तावों पर विचारार्थ संकल्प की सूचना

श्री अध्यक्ष---अब पहले मैं इस बात को जानना चाहूंगा कि राज्य पुनस्संगठन के सम्बन्ध में जो विधेयक उपस्थित है केन्द्र की लोक सभा में, तो उसके सम्बन्ध में कोई संकल्प आने के बारे में और उस पर वाद विवाद होने के लिये कौन सा दिन मुकर्रर होता है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---अध्यक्ष महोदय, कल आपने जैसा आदेश दिया था हमने संयुक्त दल के नेता से भी बातचीत कर ली है । हम लोग इस बात पर राजी हैं कि कल से इस पर बहस शुरू हो जाय ।

श्री अध्यक्ष---माननीय मुख्य मंत्री जी, क्या यह ठीक है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---जी हां, ठीक है ।

श्री अध्यक्ष––तो चूंकि कल से उस पर वाद-विवाद शुरू होने वाला है तो मैं आदरणीय सदन के सामने जो प्रस्ताव नेता सदन द्वारा प्रस्तुत होने वाला है उसकी सूचना दिये देता हूं। वह प्रस्ताव यह है :––

"मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन राज्यों के पुनस्संगठन से सम्बद्ध प्रस्तावों पर, जैसे कि वे राज्य पुनस्संगठन विधेयक के आलेख्य में तथा संविधान के संशोधन के निमित्त संबद्ध प्रस्तावों में उल्लिखित हैं, विचार विनिमय करे।"

यदि कोई माननीय सदस्य संशोधन देना चाहें तो अधिक अच्छा यह होगा कि तीन बजे तक दे दें जिससे छापने में आसानी होगी। अगर उसके बाद आयेंगे तो मैं यह नहीं कहता कि उनकी इजाजत नहीं दूंगा, लेकिन छप नहीं पायेगें। मैं तत्काल उनके लिये कोई दूसरी व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन आज जरूर आ जाने चाहिये। कल तत्काल आने से नहीं लिये जा सकेंगे।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)––श्रीमन्, प्रस्ताव है 'विचार विनिमय करे'। सदन की कोई राय का प्रस्ताव तो है नहीं। तो प्रस्ताव की भाषा के बारे में मुझे जरा आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष––आप भाषा को दुरुस्त करने के लिये पंडित हैं, अपने सुझाव को भेज दीजिये।

१९५१–५२ के अतिरिक्त अनुदानों की मांग पर मतदनार्थ निर्धारित तिथि में परिवर्तन

श्री अध्यक्षअरगुित––त अक्नुदानों के बारे में मतदान कल होने वाला था। वह अब १० तारीख को होगा।

राज्य पुनस्संगठन विधेयक की हिन्दी प्रतियों के लिए मांग

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)––मैं एक निवेदन करना चाहता था आपसे कि राज्य पुनस्संगठन का जो विधेयक हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है वह अंग्रेजी में है और मैं जानता हूं कि इस सदन में करीब ८० फी सदी माननीय सदस्य ऐसे हैं जो अंग्रेजी में पूरा ज्ञान भी नहीं रखते हैं, विचार करने की बात अलग रही। और जब हमारे प्रदेश और देश की राज्यभाषा हिन्दी घोषित कर दी गयी है तो मैं नहीं समझता कि क्यों यह बिल माननीय मुख्य मंत्री द्वारा हिन्दी में न रखा जाय ?

श्री अध्यक्ष––यह कोई अपत्ति उठाई नहीं जा सकती, क्योंकि यह विधेयक इस सदन का नहीं है। यह लोक सभा की तरफ से उपस्थित होने वाला है, आपकी राय के लिये आया है। वहां अब भी अंग्रेजी भाषा में सब कार्यवाही होती है। तो हम उनको बाध्य नहीं कर सकते हैं।

श्री राज नारायण (जिला बनारस)––जब ८० प्रतिशत सदस्य भाषा नहीं समझेंगे तो विचार क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष––जो शिकायत करने वाले हैं वे सब अंग्रेजी जानते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो न जानता हो।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)––जो कल बहस शुरू होगी, जिसके लिये वक्त मुकर्रर किया गया है वह बहस कितने दिन तक जारी रहेगी ?

श्री अध्यक्ष––माननीय मुख्य मंत्री, इस पर कोई निश्चय होगा ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अभी कोई खास निश्चय तो नहीं हुआ। कल की बहस देखने के बाद अन्दाज हो जायगा कि क्या रखा जाय।

टेहरी गढ़वाल राजस्व पदधारियों का (विशेषाधिकार) विधेयक, १९५६

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—श्रीमन्, मैं टेहरी-गढ़वाल राजस्व पदधारियों का (विशेषाधिकार) विधेयक, १९५६, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३०५–३०६ पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ के अननुमोदनार्थ संकल्प (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब श्री नारायण दत्त तिवारी जी के संकल्प पर जो विचार हो रहा था उसका श्री नारायणदत्त जी जवाब देंगे।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं यह कहने को विवश हूं कि मैंने कल सरकार को जितना निरुत्तर पाया इतना शायद पहले कभी नहीं पाया। माननीय वित्त मंत्री जी की ओर से और माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से इस बात की चेष्टा हुई कि वे अपने व्यक्तित्व और नेतृत्व का भार दे कर एक ऐसे सिद्धान्त का प्रतिपादन करें जो कि तर्कों की कसौटी में खरा नहीं उतरता। सरकार की ओर से और सरकारी पार्टी की ओर से चार व्यक्तियों ने विवाद में भाग लिया जिनमें से तीन व्यक्ति सरकार से सीधा सम्बन्ध रखते थे, माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय बनारसी दास जी। केवल राधामोहन सिंह जी ही एक ऐसे माननीय सदस्य थे जिन्होंने सरकार का साथ देने की चेष्टा की और उन तक ने भी यह कह दिया कि इसके अर्थ यह नहीं हैं कि जो टैक्स लगाये गये हैं उनसे मैं सहमत हूं। श्रीमन्, इस टैक्स के संबंध में कांग्रेस पार्टी के अन्दर कितना विवाद मचा हुआ है इससे स्पष्ट होता है कि कल सरकार की ओर से लिखा हुआ एक विशेष व्हिप जारी किया गया कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य इस पर विचार प्रगट न करें। श्रीमन्, इस प्रकार का सरक्यूलर जो आया है उस विशेष व्हिप की एक कापी मौजूद है।

श्री अध्यक्ष—मैं आपको इसके पढ़ने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं उसको पढ़ना नहीं चाहता हूं। लेकिन इस में आदेश स्पष्ट दिया हुआ है कि इसके सिद्धान्तों का समर्थन सभी सदस्यों को करना है। तो इस प्रकार से इस प्रस्ताव पर सामान्य रूप से विवाद होने की प्रेरणा कम से कम लोगों को नहीं मिली और अन्त में आपने देखा कि व्हिप विशेष ने प्रस्ताव रखा कि प्रश्न उपस्थित किया जाय, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि इस पर अधिक विवाद बढ़े।

श्रीमन्, एक तर्क बनारसी दास जी ने दिया और उन्होंने पहली बार स्टैलिन की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि किस प्रकार से उसने अपने यहां लोगों पर टैक्सेज लगाये और रूस ने उन्नति की और पहले पहल स्टैलिन की उन्होंने प्रशंसा की, वह बधाई के पात्र हैं। लेकिन आज जब सोवियट रूस में स्टैलिन की कल्ट आफ परसानेलिटी की बड़ी भारी निन्दा की जा रही है तो उस समय टैक्सेशन को जस्टीफाई करने के लिये उन्होंने स्टैलिन की बड़ी प्रशंसा की। क्या वह अपने देश के विकास करने में स्टैलिन के तरीकों को अपनाना चाहते हैं। अगर वह चाहते हैं तो यह उनको मुबारिक हो और वह इस तरह से अपने देश का विकास करें

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लें तो किसी को ऐतराज नहीं हो सकता है। लेकिन अगर गांधीवादी तरीके से, प्रजातंत्र वाद तरीके से आप अपने देश का विकास करना चाहते हैं तो उसका मार्ग दूसरा होगा।

बनारसी दास जी ने पर कैपिटा की बात कही कि यू० पी० में सब राज्यों से कम है। मालूम नहीं उनको कहां से यह जानकारी प्राप्त हुई है। लेकिन इस राज्य से बहुत से राज्यों की पर कैपिटा इंसीडेंस कम है जैसे उड़ीसा की ३.६७ है, बिहार की ४.२१ है, मध्य प्रदेश की ५.६९ है और मैसूर की ५.९८ है। इस प्रकार बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनका अभी मैंने नाम लिया, जहां टैक्सेशन प्रति व्यक्ति उत्तर प्रदेश से कितना कम है। उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ों ऐसे व्यक्तियों की संख्या है जो खरीद नहीं सकते हैं, इसलिए इन व्यक्तियों की गिनती तो नाममात्र के लिये है जो इतने गरीब हैं और पूर्वी जिलों के रहने वाले जिस श्रेणी पर पर कैपिटा इंसीडेंस पड़ती है उसका हिसाब लगाया जाय तो उत्तर प्रदेश के लिये कहा जा सकता है कि टैक्सेशन की सीमा एक निश्चित हद तक पहुंच गई है और आगे टैक्स बढ़ाने में फूंक-फूंक कर कदम उठाना होगा।

वित्त मंत्री जी ने यह कहा कि अगर हम आर्डीनेन्स जारी न करते तो स्टाक्स अंडर ग्राउंड चले जाते। मैं यह जानना चाहूंगा कि किन राज्यों ने आर्डीनेन्स निकाल कर टैक्स बढ़ाये हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसी प्रदेश में नहीं बल्कि देश के तमाम प्रदेशों में लागू है। विभिन्न प्रदेशों ने अपने यहां विभिन्न चीजों पर टैक्सेज लगाये हैं तो क्या इसी प्रकार आर्डीनेन्स निकाल कर लगाये हैं। केन्द्र में करीब ५७ करोड़ रुपये की टैक्सेज से पूर्ति की गई और इसके लिये उन्होंने बजट भाषण में ही कह दिया था। आंध्र में टैक्स लगाये गये, क्या वहां पर आर्डिनेन्स निकाला गया? मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि आपको एक भी मिसाल नहीं मिल सकेगी कि इस प्रकार अप्रजातांत्रिक ढंग से आर्डीनेन्स निकाल कर टैक्स बढ़ाये गये हों। माननीय वित्त मंत्री जी ने कल एक और बात कही कि सेल्स टैक्स कमेटी ने सिंगिल प्वाइंट टैक्स में सेल्स टैक्स लगाने की सिफारिश की थी। जिस प्रकार उन्होंने बात कही उससे लोगों को यह समझ में आ गया कि सेल्स टैक्स कमेटी ने सिफारिश कर दी कि फूड ग्रेन्स और साल्ट पर सिंगिल प्वाइंट टैक्स लगाया जाय। कल इसी प्रकार से यह बात उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दी। मुझे दुख है कि माननीय वित्त मंत्री जी उसके निष्कर्ष को घोषित कर दिया। मैं सेल्स टैक्स कमेटी का सदस्य हूं। मैं उसके क्या फैसले हुए, उनको यहां स्वभाव-वश और चूंकि एक शपथ भी मैंने ली है इसलिये, घोषित नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि जो कल माननीय वित्त मंत्री जी ने सफाई दी और यह कहा कि सिंगिल प्वाइंट टैक्स लगाने की सिफारिश भी इन वस्तुओं पर सेल्स टैक्स कमेटी ने की है, यह बिलकुल गलत है। सेल्स टैक्स कमेटी ने फूड ग्रेन्स पर, साल्ट पर कभी भी टैक्स लगाने की सिफारिश इस प्रकार नहीं की है कि सिंगिल प्वाइंट टैक्स इन वस्तुओं पर लगाया जाय। चूंकि माननीय वित्त मंत्री जी ने इसका जिक्र किया, इसलिये मैं उनसे मांग करूंगा और यह न्याय का तकाजा है कि वह सेल्स टैक्स कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित करें। बिना उसको प्रकाशित किये उन्होंने उसके फैसले को गलत रूप से सदन के सामने प्रस्तुत किया है।

श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री जी ने कल मेरे उस वाक्य को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने मद्रास और बिहार के संबंध में गलत सूचनायें दीं या न मालूम मैंने कहां से जानकारी प्राप्त कर ली। श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो मोटी किताब दिखलाई थी उसी से मैंने यह जानकारी ली है। उसको वह देखें। उन्होंने जो बिहार का ऐक्ट दिखलाया, उसके आगे उस ऐक्ट में वह जरा खोल कर देखें, पेज १९, बिहार सेल्स टैक्स ऐक्ट, जो १९४७ में पास हुआ उसमें लिखा हुआ है कि "Bihar Sales Tax Act, 1944 is hereby repealed." तो उन्होंने पढ़ लिया कि सन् १९४७ में ऐक्ट रिपील हुआ। इसके माने यह हुए कि सेल्स टैक्स ऐक्ट, १९४४ से लगा हुआ है।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---इसके माने यह हुए कि १९४७ से लागू हुआ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैंने यह कहा कि मद्रास में सेल्स टैक्स लगने की शुरुआत १९४४ में हुई। फूडग्रैन्स में भी सेल्स टैक्स मद्रास में लग चुका १९४४ में। लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी ने उसका रूप इस प्रकार दिया कि उससे यह प्रतीत होने लगा कि बिहार में सेल्स टैक्स फूड ग्रेन्स पर १९४७ में लगा और मद्रास में १९५५ में लगा। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि वह बतावें कि १९५५ में फूडग्रेन्स पर कहां टैक्स लगा और कौन टैक्स लगा मद्रास में? उन्होंने कहा कि आंध्र में आजादी के बाद फूड ग्रेन्स पर सेल्स टैक्स लगाया गया। श्रीमन्, आप जानते हैं कि आंध्र तो मद्रास राज्य का पहले हिस्सा था और आंध्र के जिलों में तो मद्रास का सेल्स टैक्स ऐक्ट पहले से लागू था। आंध्र के समस्त जिलों में फूड ग्रेन्स पर सेल्स टैक्स पहले से लागू था, तो जब आंध्र अलग हुआ तो उसी सेल्स टैक्स को उसने फिर रिइन्ऐक्ट कर दिया। तो श्रीमन्, आंध्र में भी वही प्रतिबन्ध लागू हुए जो मद्रास में थे। माननीय वित्त मंत्री जी क्या यह कह सकते हैं कि आंध्र में वह टैक्स नहीं लगा जो कि मद्रास में है? क्या मद्रास से भिन्न प्रकार का कोई टैक्स वहां लागू हुआ है? तो इससे स्पष्ट होता है कि आंध्र में या मद्रास में या बिहार में जो सेल्स टैक्स फूड ग्रेन्स पर लगा हुआ है वह आज का नहीं है, वह आजादी के और विधान के लागू होने के पहले का है जिसकी जिम्मेदारी उन सरकारों पर सीधी नहीं डाली जा सकती है। यह कहा जा सकता है कि उस टैक्स को समाप्त क्यों नहीं किया गया या उसके आज समाप्त करने की जरूरत है। इस तरह की अगर कोई बात है तो उन राज्यों को उसका निश्चय करना है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम उन राज्यों का भद्दा अनुकरण करें, जिसका आज यहां पर अनुकरण करने का प्रयास किया गया है।

माननीय वित्त मंत्री ने और माननीय मुख्य मंत्री ने विकास का नाम लिया कि विकास के लिये धन चाहिये तो वह कहां से लाया जाय। उन्होंने हमको इस बात का निमंत्रण दिया कि वह दल जो बिना रुपये के सरकार चला सकती है वह इधर बैठे। उन्होंने इस बात का संकेत किया और इस बात की भ्रांति फैलाने की कोशिश की कि आज का जो विरोधी दल है वह बिना टैक्स के सरकार चलाना चाहता है या प्रत्येक टैक्स का विरोध करना चाहता है या बिना रुपये के सरकार चलाना चाहता है। मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि अगर कोई भी सदस्य आज इस भ्रांति को, इस गलत धारणा को फैलाना चाहता है कि आज का विरोधी दल यहां बिना टैक्स के सरकार चलाने की बात कहता है तो उनको यह समझ लेना चाहिये कि यह भ्रान्ति और गलत धारणा जनता को प्रेरित करने वाली नहीं है। हम प्रत्येक टैक्स का विरोध नहीं करते। यदि हम प्रत्येक टैक्स का विरोध करते तो स्टेट ड्यूटी टैक्स का समर्थन नहीं करते। यदि हम प्रत्येक टैक्स का विरोध करते तो एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स का समर्थन कदापि नहीं करते। अगर हम प्रत्येक टैक्स का विरोध करते तो जिस समय इन्श्योरेन्स बिजनैस का नेशनलाइजेशन किया गया था उसका भी विरोध करते, लेकिन हमने किसी भी इस प्रकार के टैक्स का विरोध नहीं किया जिससे स्टेट या देश का लाभ होता हो। सवाल केवल यह है कि किस वस्तु को किस निश्चय और किस दृष्टिकोण से देखा जाय। हम सही बात को सही समझते हैं और गलत बात को गलत समझते हैं। इस हिम्मत के साथ ही हम अपनी नीति को प्रतिपादित करते हैं और विरोधी दल की नीति के आधार पर ही अगर कोई बात सही है तो उसका समर्थन करते हैं और अगर गलत है तो उसका विरोध करते हैं। सरकार अगर यह समझती हो कि विकास के नाम पर टैक्स लगा कर गलत फैसले को सही बना सके तो इस के लिये न देश और न जनता तैयार है और न हम तैयार हैं और न आपके पीछे बैठने वाले सदस्य ही तैयार हैं। इसलिये यह

सोचना कि आप लोग इस प्रकार से एक विकास का नाम लेकर और विकास का नारा लगा कर गलत टैक्स लगा देंगे यह हमारे लिये सम्भव नहीं है इसको मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम विचार करेंगे और हम विचार करने के लिये सदा तैयार हैं और हम डेपुटेशन वगैरह से हमेशा मिलने और बातचीत करने के लिये तैयार हैं। क्या आपको पता नहीं है कि सेल्स टैक्स कमेटी डेढ़ साल से काम कर रही है? क्या यह बात सही है कि सैकड़ों डेपुटेशन कमेटी से मिल चुके हैं और माननीय मुख्य मंत्री से मिल चुके हैं। जब कि आपको काफी इस पर विचार करने का मौका मिला है तो यह आप नहीं कह सकते कि आपको विचार करने का मौका नहीं मिला। आपने इस पर विचार किया, लेकिन आपने जो निश्चय किया वह गलत किया। विचार करने की बात कहीं जाती है। क्या गांधीवादी मनोवृत्ति के इस आजाद भारत में नमक पर टैक्स लगाने की बात हो सकती है? क्या इसमें विचार करने की गुंजाइश है? माननीय वित्त मंत्री जो जो कि गान्धीवादी विचार-धारा के उपासक अपने को कहते हैं वह तो एक क्षण के लिये नमक पर टैक्स लगाने की बात सोच भी नहीं सकते हैं विचार और परामर्श की बात कौन कहे? आज जब कि देश की क्रय शक्ति घट रही है और देहात की दशा भी अच्छी नहीं है तो हमको बहुत होशियारी के साथ इस पर सोचना होगा कि कौन सी चीज पर टैक्स लगायें और कौन सी चीज पर नहीं लगायें। अगर विरोधी दल इस बात की मांग करता है कि आप इन चीजों पर टैक्स न लगायें तो यह कौन सी न्याय की बात है कि आप उस पर टैक्स लगाते हैं? अगर सरकार से यह मांग की जाती है कि इस पर ठीक प्रकार से विचार नहीं किया गया तो यह कहां की गलत बात है? क्या इस पर सरकार ने ज्यादा समय तक नहीं सोचा है? आर्डिनेन्स तभी लाया गया जब कि इस पर निश्चय कर लिया गया। इस पर विचार किया गया और निश्चय किया गया और यह सब तय करके लाया गया और इसको स्थायी रखने के लिये ही यह लाया गया है। सरकार इस गलत सिद्धान्त को प्रतिपादित कर रही है तो हमारी यह जिम्मेदारी नहीं है। मैं आपसे यह कहता हूं कि इस सदन की इस समय यह भावना नहीं है कि टैक्स लगाया जाय। ऐसी सूरत में सरकार मेरे प्रस्ताव पर विचार करे और गम्भीरता के साथ विचार करें और अपने भारी बहुमत से इसको पास करने की बात को न सोचे।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--अध्यक्ष महोदय, अभी जो तकरीर इस सदन में हुई उसमें जो बातें कही गयीं, मैं चाहता था कि उनमें से कुछ बातों के सम्बन्ध में मुझे कुछ न कहना पड़ेगा, मगर जो बात मैंने सुनी, उसके लिहाज से मुझको कहने की जरूरत मालूम हुई। एक बात यह है कि कल मैंने अर्ज किया कि आर्डिनेंस क्यों निकाला गया। उससे पहले शायद एक दफा मैं यह भी अर्ज कर चुका था कि कुछ इशारा मुझे उधर से मिला इस मामले का और मैंने अर्ज किया कि स्पेकुलेशन को रोकने को और स्टाक्स को अन्डरग्राउन्ड जाने से रोकने के लिए आर्डिनेंस के जरिये से इस कानून को लागू किया गया। अब जो कुछ कहा गया मैं उसके जवाब में यह अर्ज करता हूं कि जिस रोज यहां बहस हो रही थी, ऐप्रोप्रिएशन बिल पर, उस बिल पर इस रिजोल्यूशन के पेश करने वाले साहेब ने जो तकरीर की, और उसमें उन्होंने जो कुछ कहा, थोड़ा सा वह यह.....

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैंने उस पर कोई तकरीर नहीं की। बिलकुल गलत आप कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--बजट के सिलसिले में, उनका मतलब है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—लेकिन वे तो ऐप्रोप्रिएशन बिल कह रहे हैं, इस लिए "गलत है" कह दीजिये आप।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इस बात को कल भी मैंने कुछ दबी जबान में दबे अल्फाज में अर्ज किया था कि इस तरह का इन्टरवेन्शन नहीं होना चाहिए। यह इस सदन की शान के खिलाफ बात है। जिस किसी को कुछ कहना हो, सुनने के बाद कहे या जब इसका मौका आये तब कहे। तो मैं किसी के इन्टरवेन्शन की तरफ कोई तवज्जेह नहीं करूंगा।

यह एक तकरीर है मेरे दोस्त की, जिन्होंने रिजोल्यूशन पेश किया है। उससे जरा सा पढ़कर मैं सुनाये देता हूं। "परन्तु हमारे यहां यह होता है कि घोषणा तो कर दी जाती है कि सेल्स टैक्स बढ़ाये जा रहे हैं, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि किस चीज पर और किस हिसाब से।" नतीजा यह होता है कि दूकानदार अपना स्पेकुलेशन करके कन्ज्यूमर्स से अधिक पैसा लेने लगता है कि उस पर टैक्स बढ़ रहे हैं। मैं कैसे कह दूं कि सरकार को इसका पता नहीं है? जब वह तकरीर हुई तो मैंने यह अर्ज किया था कि . . . . . .

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, यह किनकी तकरीर पढ़ी जा रही है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जिनकी तकरीर मेरे दोस्त की समझ में कभी नहीं आती।

मेरे दोस्त फर्मा रहे थे कि स्पेक्युलेशन होता है। तो आज मुझे यकीन हो गया है कि जरूर होगा और मुझे इस बात का इन्तजाम करना है। इसमें भी मैंने यह अर्ज किया था कि हां, मैं उसका इन्तजाम जरूर रखूंगा कि स्पेक्युलेशन हर्गिज न होने पावे।

श्री राजनारायण—जरा हमारी भी तकरीर पढ़ लीजिये।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—अगर वह तकरीर पढ़ने के काबिल है तो मुझे दिमाग में . . . (जोर से हंसी)

जहां तक इस आर्डिनेंस के जरिये से इसे लाने का ताल्लुक है, हमारे दिमाग में जो कुछ भी हो, लेकिन मैं इस हाउस से जनाब के जरिये से यही बात अर्ज करता हूं कि उस वक्त से जिस वक्त मैंने यह बात सुनी—मैं दलील के तौर पर नहीं कह रहा हूं बल्कि एक सही बात कह रहा हूं—मेरी तवज्जह उस वक्त से इस बात पर लग गयी कि मैं इस तरह से करूं कि स्पेक्युलेशन न हो। अब उससे खुद गुरेज करने का तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है।

सेल्स टैक्स कमेटी के मुताल्लिक इरशाद हुआ कि मैंने उसके मुताल्लिक कल यह कहा कि इस कमेटी ने यह तजवीज किया है कि गल्ला और नमक पर टैक्स लगे। अगर कहीं और मेरी इस किस्म की तकरीर को सुन कर कहा जाता, तो मैं नहीं कह सकता कि मैं क्या जवाब देता, इसलिए कि मैं वहां आजाद होता कि जैसा चाहे जवाब दूं, लेकिन मजबूरी मेरे सामने यह है कि यहां मैं उस तरीके से नहीं कह सकता हूं और वे अल्फाज मेरी जबान पर नहीं आ सकते हैं, जिनमें उसका जवाब दिया जाना चाहिए। मैंने तो सिर्फ इतनी बात कही कि सिन्गिल प्वाइन्ट टैक्स की तजवीज उस सेल्स टैक्स कमेटी ने की थी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—किस चीज पर की?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मेरी तकरीर में कोई पर नहीं लगा था। उस कमेटी ने यह कहा है कि हमारे यहां सिस्टम सेल्स टैक्स का सिंगिल प्वाइन्ट टैक्स हो।

दूसरी बात यह है कि सेल्स टैक्स कमेटी का यह काम नहीं था कि यहां पर टैक्स बढ़ाया जाय या नहीं। बिहार के और मदरास के कानूनों की बात कही गयी और फिर मेरी वह मोटी

किताब मालूम नहीं वहां कैसे पहुंच गयी। बहुत ही हैरत अन्गेज बात थी कि इस वक्त मैन उसका नाम दिया। मगर उस किताब की तरफदारी देखिये कि उनके हाथ में पहुंचने के बाद भी वह उस नतीजे पर नहीं पहुंच सके जिस पर पहुंचना चाहिए था। बिहार में और मदरास में सेल्स टैक्स लगा। इस कानून को उन्होंने रिपील किया और नया कानून सन् ४७ में बनाया और उसके जरिये से आज बिहार में उन चीजों पर जिन पर मैं लगाना चाहता हूं टैक्स लगा हुआ है और मेरी दलील इसलिए गलत हो गयी कि अंग्रेजों के जमाने के कुछ कानून खत्म करके नया कानून बनाया गया। मदरास में उन्होंने सन् ५५ में जब कुछ तरमीम की तो वे एक लफ्ज यह भी लिख सकते थे कि यह जो अंग्रेजों के जमाने की हिमाकत हमारे यहां चल रही है इसे हम खत्म करते हैं और अब हम नहीं चाहते हैं कि हमारे यहां यह टैक्स रहे और उसको इस तरीके से समझ करके, जिस तरीके से कि वे इसके मुताल्लिक जवाब दे रहे हैं, वह एक नामुनासिब बात है।

अब दूसरी बात यह है कि आर्डिनेंस के जरिये से टैक्स लगा। मैंने अर्ज किया कि वह आर्जी इन्तजाम किया गया है। बिल बनेगा और जो कुछ होगा, उसके जरिये से होगा। मैं आज ही बिल पेश करता, लेकिन जैसा मेरे कान में पड़ा कि स्पेक्युलेशन होगा, तो क्या मेरे लिए यह बात मुनासिब नहीं थी कि मैं हाउस के रिएक्शन को देखूं। जो बातें मेरे सामने आयीं तो क्या उन पर मैं विचार न करूं और अगर उस के लिए १–२–३–४–५ दिन का वक्त उसको पेश करने का लूं तो इसमें क्या बेजा बात है।

जहां तक आर्डिनेंस का ताल्लुक है, उसके ऊपर जो कुछ भी जिन लोगों को कहना था कह लिया गया। अब इन्तजार करिये। उसके नतीजे से जो भी स्टेट के लिए मैं मुनासिब समझूंगा, जिससे मैं यह समझूंगा कि इस तरह से स्टेट को किसी किस्म की खराबी नहीं होगी, उसको करूंगा। लेकिन मैं जनाब के जरिये से मेम्बरान की खिदमत में यह अर्ज करता हूं और उससे पहले विरोधी दल की जो बात मैं सुन रहा था, वह अर्ज कर दूं। विरोधी दल के कुछ नियम हैं। उसे उसके मुताबिक होना चाहिए। मैं यह मानता हूं कि आम को आम और अंगूर को अंगूर कहना चाहिए, लेकिन वह आम तो हो, वह अंगूर, अंगूर तो हो। मगर जो कुछ है, है। फिरवकाई जो होना चाहिए और वही हो तो मैं अर्ज करता हूं कि मैं उसकी बड़ी कद्र करता, बड़ी इज्जत करता, मैं यह नहीं कहता कि मैं कद्र नहीं करता हूं। लेकिन जिन्दगी में, दुनियां, मुल्क और नेशन्स की तारीख में मौके आते हैं जब आदमियों को उनके खर्चों में बड़ी एहतियात करने की जरूरत होती है, जिससे ह्युमैनिटी का फायदा हो। सिर्फ उस मुल्क के रहने वालों का ही नहीं। यह मसला जो इस वक्त हमारे सामने है, वह कांग्रेस पार्टी का नहीं है, किसी और पार्टी का नहीं है, यह उत्तर प्रदेश की किस्मत के फैसले का मसला है, उसकी भलाई और बुराई का इन्हिसार उसके ऊपर है। मैं मानता हूं कि मैं गलती कर सकता हूं, मेरी गलती की आप इस्लाह कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों का, जिनका वास्ता मुल्क के साथ है, अपने इस प्रदेश के साथ है, उनकी नजर से अगर मैं देखूं, तो उसके लिए फारसी के कुछ लफ्ज मेरे सामने आते हैं जो आम तौर पर बोले जाते हैं। "नादान दोस्त, दाना दुश्मन।" यानी अगर समझदार दुश्मन भी है, वह इतना खतरनाक नहीं है, जितना कि नादान दोस्त खतरनाक होता है। हिन्दी में मैं नहीं जानता उसको क्या कहते हैं, लेकिन यह जो मसला है वह आगाह करता है कि ऐ इन्सान, तू नादान दोस्त से डर, लेकिन दाना दुश्मन से न लड़। अब मैं आपको क्या बताऊं कि लखनऊ में, दूसरी जगहों पर, और सूबे में क्या हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है, वह तो है, लेकिन एक बात मैं खास तौर से कह रहा हूं और एक नया लफ्ज मेरी जबान पर आ रहा है उस को आप अभी सुनेंगे––वह है "स्पेक्युलेशन,, वह लफ्ज जिस का जिक्र उधर से पहले उठा, पहले मैंने उस को नहीं उठाया, उसको राइज कराया किसी नादान दोस्त नें और उसी नादान दोस्त ने उसको कराया। इस तरह से कि हमारे तरीके से जो स्टाक्स थे वह अन्डर ग्राउन्ड नहीं जा सके हर केस, में लेकिन हमारे नादान दोस्त के जरिए से इतना ब्लेक मार्केटिंग इन ४–५ रोज में हो गया।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

जब से हड़ताल चली और इतना अखलाक इन्सानों का बढ़ा और इतनी तरक्की इस अर्से में प्रदेश ने की कि मैंने सुना है कि १२ आना सेर और एक रुपया सेर आटा बिका गया इस दौरान में। अब कहने वाले कहें इसमें कोताही किसकी है। इस तरह से ऐसे वक्त में ब्लैक मार्केटिंग करना और यहां के आदमियों को इस तरह की राहें दिखलाना और इस तरह से गलत रास्ते पर लोगों को चला कर मुल्क को नुकसान पहुंचाना कोई अक्लमन्दी का काम नहीं कहा जा सकता।

कल यहां सदन में चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा था और मैं भी कहता हूं कि बराबर जब से यह आर्डिनेंस की बात चली है सुबह से शाम तक हमारे पास वफद आ रहे हैं और जो भी आता है उसकी बात इत्मिनान से हम सुन रहे हैं, सबकी बातें नोट कर रहे हैं और वह इस गरज से कि उनकी सुनें समझें और अगर किसी सही नतीजे पर पहुंचा जा सकता है तो हम उस पर पहुंचे और इसी वजह से अभी हम उसमें देर लगा रहे हैं, मैं बिल को आज भी रख सकता था और कल भी रख देता, लेकिन मैं रुक रहा हूं, महज इसलिए कि जो लोग हमसे मिल कर कहना या सुनना चाहते हैं वह कहें सुनें और अगर कहीं मेरी राय उनकी नजर में गलत है तो मैं उनको क्यों समझाने और कहने का मौका न दूं और क्यों न उसका फायदा उठा कर अपनी राय दुरुस्त करूं अगर कहीं गुंजायश है और क्यों न मुनासिब तब्दीली की भी अगर जरूरत है तो वह करें।

(श्री राजनारायण के कुछ कहने पर)

मुझे नहीं मालूम कि यह बीच में बोलने की वबा किस दिन यहां से जायगी। यह कब तक यहां से जाय, है तो बहुत खतरनाक कि वह इस हाउस में रहे और उसका यहां रहना बहुत ही खतरनाक है, वह वबा यहां न रहे बाजार में इधर उधर हो तो गनीमत है लेकिन कम से कम यहां न रहे तो अच्छा है लेकिन वह होता है एक इस किस्म का कीड़ा कि न जाने कैसे रेंग आता है, वह कीड़ा बाजार में और बाहर सब जगह तो है ही, लेकिन यहां भी वह आ गया, पता नहीं कब उससे निजात मिले। अब चूंकि वक्त खत्म हो रहा है इसलिए मैं बड़े अदब से हुजूर के जरिए से माननीय मेम्बरान की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि निहायत शान्ति से, इतमिनान से अपने आपको अपनी तबियतों में रखें और दूसरों को नेक मशवरा और नेक राय देकर समझावें और अगर जनता में कोई गलतफहमी पैदा होती है तो हममें से हर एक का फर्ज है कि अपनी अपनी जगहों से उस गलतफहमी को समझाकर दूर करने की कोशिश करें और अगर किसी की राय में कुछ बात गलत है तो वह मुझे समझावें और ठीक करावें, हर वक्त मेरे नजदीक रास्ता खुला है और मैं हर उस चीज को मानने के लिए हर वक्त तैयार हूं जो स्टेट के फायदे की बात है और जिससे किसी किस्म का नुकसान यहां के रहने वालों को नहीं होने वाला है।

श्री अध्यक्ष — मैं पहले इस प्रस्ताव के संशोधन को ले लेता हूं और फिर उसके बाद मूल प्रस्ताव ले लूंगा। श्री अवधेश प्रताप सिंह का संशोधन इस प्रकार है कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ जिसके द्वारा जीवन की आवश्यक वस्तुओं पर अनावश्यक कर लादा जा रहा है, जैसे अन्न तथा नमक इत्यादि पर, उस अध्यादेश का सदन घोर विरोध करते हुए अनुमोदन नहीं करता है।"

प्रश्न यह है कि यह संशोधन स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---अब मूल प्रस्ताव श्री नारायणदत्त जी का लेता हूं। प्रश्न यह है कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ जिसके द्वारा जीवन की अत्यन्त आवश्यक वस्तुओं, जैसे अन्न, नमक, कपड़ा आदि पर भी कर लगाया व बढ़ाया जा रहा है, अत्यन्त अयुक्तियुक्त तथा अवांछनीय है। अतएव यह सदन उक्त अध्यादेश का घोर विरोध करते हुए उसका अनुमोदन नहीं करता है।"

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, मैं विभाजन चाहूंगा और चूंकि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पर लिखित विभाजन हो जाय क्योंकि नमक का मामला है।

श्री अध्यक्ष---मैं इसके महत्व को अच्छी तरह से समझता हूं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :---

पक्ष में---२२

विपक्ष में---११९।)

श्री मदनमोहन उपाध्याय---अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुःख है और मैं आशा करता था कि माननीय वित्त मंत्री जी आज इस बात का ऐलान अवश्य करते कि फूडग्रेन्स, साल्ट और केरोसिन आयल पर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। पर मुझे बड़ा दुःख है कि उन्होंने अभी इस बात का ऐलान इस सदन के सामने नहीं किया। वह अब भी इस सदन को कांफीडेंस में नहीं लेना चाहते। इसलिए विरोधी दल के लिए अब एक ही रास्ता रह जाता है कि हम इसके विरोध में पांच मिनट के लिए इस सदन का त्याग कर दें।

(इसके बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य सदन के बाहर चले गये।)

श्री राजनारायण---हम पांच मिनट के लिए नहीं दस मिनट के लिए सदन का त्याग कर रहे हैं। इतना काला कानून, जो कि तानाशाही का कानून है..

श्री अध्यक्ष---देखिये, कृपा करके आप जा सकते हैं।

(सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य भी बाहर चले गये।)

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)---अध्यक्ष महोदय, मुझे इतना ही कहना है कि हमारे मंत्री महोदय ने जो बातें कही हैं, उनका मूल अभिप्राय यह है कि उन्होंने यह कार्य, अनजस्टीफाइड मीन्स से, बहुमत के अहंकार में किया है। यह असहाय और दुर्बल दल जो है, हम भी लाचार है, इसका साथ नहीं दे सकते हैं। इसलिए हम भी बाहर जाना चाहते हैं।

(संयुक्त दल के सदस्य भी बाहर चले गये।)

उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था संशोधन विधेयक, १९५६

†**माल मंत्री (श्री चरण सिंह)**---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५६ पर विचार किया जाय। अध्यक्ष महोदय, यह छोटा सा एक विधेयक है। इसमें उसूल की एक ही दो बातें हैं।

---

* १८ जनवरी, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरण सिंह]

बाकी तफसील की बातें हैं। और मैं यह उम्मीद करता हूं कि सदन को ये सारी चीजें स्वीकार होंगी।

श्री अध्यक्ष—कृपा करके जरा शान्तिपूर्वक बाहर जायं, जो जाना चाहते हैं।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से जो मोटे-मोटे संशोधन हैं, पांच सात, वैसे इसमें खंड हैं १९, उनकी तशरीह करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—उनके उसूलों की तशरीह ?

श्री चरण सिंह—हां उसूलों की तशरीह।

मूल अधिनियम की धारा २३ की एक उपधारा का एक खंड था, जिसका मतलब यह था कि ७ जुलाई, १९४९ के बाद में जब कि जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था विधेयक पेश किया गया था ७ जुलाई, १९४९ के बाद के बैनामे और हिबानामें वायड होंगे। अगर कोई जमींदार ७ जुलाई, १९४९ के बाद कोई बैनामा या हिबानामा करे तो बेअसर समझा जायगा।

यह धारा २३ की उपधारा (१) का उपखंड (II) था। वह इसलिए रखा गया था कि जो हमारे कानून का ढांचा है या जो उसकी नीति है वह फ्रस्ट्रेट हो जाती। उस पर अमल करने में हमको नाकामियाबी होती अगर बिल पेश हो जाने के बाद ही जमींदार लोग अपनी जमीन का बैनामा करते रहते। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से याद दिलाना चाहता हूं अपने माननीय मित्रों को जो उस जमाने में भी, बहुत से आजकल के सदस्यों में से थे, उस वक्त भी सदस्य थे और यह अधिनियम बाद में सबने देखा और पढ़ा ही होगा। स्कीम हमारी यह थी कि जो काश्तकार अपने लगान का दसगुना दे दे तो उसका लगान आधा हो जाय, और हस्तांतरण और कुछ और अधिकार उसको मिल जायं। लेकिन हमको अन्देशा यह था कि अगर बिल के पेश हो जाने के बाद भी बैनामे वगैरह की इजाजत रह जाती है तो जमींदार लोग काश्तकारों को यह कहके कि देखो गवर्नमेंट आपसे १० गुना लगान को लेकर तब आपको भूमिधर बना रही है और लगान आधा कर रही है। हम जिस जमीन में तुम काश्तकार हो इसी का जो प्रोप्राइटरी राइट है जो हक मिलकियत है, वह आठ गुना लगान पर तुमको देने को तैयार हैं, उनसे यह कह के वह उनको उसका बैनामा कर सकते थे, क्योंकि लगान के आठ गुना तक या नौ गुना या सात गुना तक भी बड़े जमींदारों को बतौर मुआवजा नहीं मिलता। दस हजार से ज्यादा मालगुजारी देने वाले जमींदारों को कोई पुनर्वासन अनुदान नहीं मिलता है, केवल प्रतिकर मिलता है और प्रतिकर मिलता है आठ गुना पक्की आय का, जिसका मतलब यह है कि लगान में से मालगुजारी एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, लोकल रेट, पन्द्रह प्रतिशत खर्चा वसूलयाबी वगैरह यह सब काट कर जो आमदनी बची उसका आठ गुना। तो बड़े जमींदारों के यह इकोनामिक इंटरेस्ट में था कि वह काश्तकारों को यह आफर करते कि गवर्नमेंट तुमको भूमिधर बना रही है दस गुना लगान लेकर और हम आठ गुना पर तुमको पूरी जमीन निकाल देंगे। तो अगर आगे को यह बैनामा करने की इजाजत रहती तो वह ऐसी सूरत हो सकती थी। जो दस हजार रुपये से कम मालगुजारी देने वाले थे, उनकी तादाद ज्यादा थी। ज्यादा देने वालों की तादाद तो तीन सौ या चार सौ के लगभग थी। जो दस हजार से कम मालगुजारी देने वाले थे, उनको तो हमने मुआवजा पक्की आय का नौ गुना, ग्यारह गुना, २८ गुना तक दिया। वे ऐसा आफर न करते क्योंकि उनको कोई फायदा नहीं था। उनको तो अपने लगान के दस गुने से ज्यादा मिलता है। २५, ५० या १५० रुपये तक के मालगुजारों को या जो पहले इस

तरह के जमींदार थे उनके लिए यह बात थी। इसलिये हमने यह रखा था उस कानून में कि ७ जुलाई, १९४९ के बाद से कोई बैनामा बायड होगा। इसके बाद में डिलीट कर दिया था सन् ५४ में जो अमेंडमेंट किया था तो इस उपधारा का यह खंड हमने डिलीट कर दिया था। अब डिलीट जब हमने किया तो उसको हमको करना चाहिए था पहली जुलाई सन् ५२ से, लेकिन वह डिलीट हुआ दस अक्तूबर १९५४ से, जब वह अमेंडमेंट हुआ। तो धारा २३ यह कहती है कि कम्पेंशेसन और रिहैबिलिटेशन का ग्रान्ट के आंकने के समय या उसको कैलकुलेट करने में ऐसे बैनामे वगैरह एकाउंट में लिए जायेंगे। वह तो बायड ही हो गए। तो जो नये मालिक हो गये उसको हमने नहीं माना। खैर, मैं इसकी और ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं मोटी सी बात समझाना चाहता था कि जो अमेंडमेंट होना चाहिए था वह पहली जुलाई सन् १९५२ से होना चाहिए था, अक्तूबर १९५४ से नहीं, क्योंकि उसके बीच में कम्पेंसेशन के स्टेटमेंट तैयार हो गए थे। तो वह हमको रोकना पड़ेगा। बाद में मालूम हुआ कि यह गलती हो गई। यह रिपील होना चाहिए था रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट से। तो उस रिपील को रिट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट दिया जा रहा है और जो कम्पेंसेशन रुके पड़े हैं वे इसीलिए रुके पड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, एक तो यह बात है। बात बहुत छोटी सी है लेकिन जिनका कम्पेंसेशन रुका हुआ है उनके लिए बहुत बड़ी है।

दूसरी बात यह है अध्यक्ष महोदय, कि दफा १० यह कहती है कि २५० रुपये से कम मालगुजारी देने वाले जमींदार की सीर के जो गैर-दखिलकार काश्तकार हैं वे तो माने जायंगे अधिवासी और ढाई सौ रुपये से ज्यादा मालगुजारी देने वाले जमींदार की सीर के जो गैर-दखीलकार काश्तकार थे वे सीरदार माने जायंगे, यह हमारा ऐक्ट कहता था। इसको हमने बनारस में लागू किया तो हाई कोर्ट में एक केस चला गया और वहां यह तय हुआ कि नहीं, इसमें कुछ कांस्टीटयूशनल डिफेक्ट्स हैं, क्योंकि वैसे का वैसा ही सेक्शन हमने लागू कर दिया था।

अब हम यह करने जा रहे हैं कि जहां तक बनारस स्टेट का सम्बन्ध है या ढाई सौ रुपये की वजह से जो कम देने वाले थे अध्यासी और ज्यादा देने वाले जमींदार की सीर के काश्तकार सीरदार, इस डिस्टिंक्शन को हम हटा दें। इस ख्याल से कि जब हमने यह किया था बनारस में तब सिर्फ अधिवासी का जिक्र था। अब हमने अधिवासी ही सीरदार बना दिया, लिहाजा कोई फर्क नहीं पड़ता। बजाय इसके कि पहले हम उनको अधिवासी बनायें और बावजूद हाई कोर्ट की रूलिंग के हम अपने उस सेक्शन को फालो करें और अधिवासी बना कर सीरदार बनावें; तो बनारस स्टेट का जहां तक सम्बन्ध है ढाई सौ रुपये की जो डिवाइडिंग लाइन है वह हमने हटा दी है। उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, एक यह है कि जहां तक गवर्नमेंट की जमींदारी है, एस्टेट है और गवर्नमेंट काश्तकारों को जमीन देती है जैसे तराई है तो जहां अपनी मिल्कियत वाली जमीन में किसी काश्तकार को जमीन देती है तो ग्राउंड ग्रांट्स ऐक्ट के मुताबिक अमल किया जाता है। उसमें काश्तकारों की क्या हैसियत होगी, यह सवाल उठा तो जो ऐक्ट था उसमें कोई जवाब नहीं था। मान लो कि जो जमीन रेलवे डिपार्टमेंट के पास है और किसी डिपार्टमेंट के पास है, वह हमारे पास रहती आई और गवर्नमेंट उस जमीन की मालिक रही और वह हम किसी काश्तकार को दें तो उस काश्तकार की क्या हैसियत होगी। उसको तो सीरदार होना चाहिये, लेकिन मौजूदा ऐक्ट में कोई प्रावीजन नहीं था। सीरदार कौन-कौन हो सकेंगे वह धारा १३१ है, उसमें उपधारा "ग" ऐड की गयी है कि ऐसे लोग भी सीरदार ही कहलायेंगे। यही उसका मंशा है।

[श्री चरणसिंह]

अध्यक्ष महोदय, एक यह कि गांव समाज अपनी जमीन में बगीचा लगायेगा और लगा रहे हैं बहुत से और उस बगीचे की खिदमत के लिए साल दो साल तो किसी आदमी को उसमें छोड़ दिया, उसके साथ रिआयत कर दी कि तुम खेती भी कर सकते हो जब तक पौधे बड़े हों और इसकी आमदनी तुम्हारे पास रहेगी, लगान तुम मत देना। खिदमत के बदले में लगान होगा। अब जो कानून है उसके मुताबिक वह सीरदार हो जाता है, लेकिन दरअसल यह खेती के लिए जमीन नहीं दी जा रही है, बल्कि यह बीच में तीन-चार साल या दो साल तक, जब तक वह पौधे बड़े हों तब तक खेती उसमें कर लेता है, मतलब यह कि उनके बड़े होने तक सेवा करेगा। तो ऐसा आदमी असामी होगा, कहीं वह क्लेम करने लगे कि मैं सीरदार हूं। अब खंड ७ है, जिसमें चकबन्दी जिन-जिन इलाकों में हो रही है और जहां होगी तो हो जाने के बाद बहुत से सदस्यों को यह भ्रम रहता है, भ्रम क्या शंका है और सही है वह शंका। इसके बाद क्या होगा कि फिर डिकंसालिडेशन हो जायगा कुछ दिनों के बाद और फिर ये चक टूट जायेंगे। तो अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में कुछ तो गलतफहमी है और कुछ शंकाओं पर गलत फहमी है।

कुछ लोगों का ख्याल है कि एक आदमी की मृत्यु हो गई है उसके तीन लड़के हुये और तीन टुकड़े हो गये उसके खाते के तो फिर ये चक टूट गये तो इस कंसालिडेशन से क्या फायदा। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से यह अपने मित्र के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि डिकंसालिडेशन नहीं हुआ यह तो फ्रेगमेंटेशन हुआ। कंसालिडेशन का मतलब तो यही है कि आज जितने दूर-दूर खाते हैं वह एकट्ठे हो जायं। जो १५ खेत थे उसके मरने के बाद तीन लड़कों में वह ४५ खेत हो सकते हैं। यह भी हो सकता है कि लड़के पांच-पांच खेत बांट लें अगर उनकी अक्ल सही हो, लेकिन वे एक-एक खेत के लिये झगड़ेंगे, एक-एक खेत की मेड़ लगती है। पांच बीघा के तीन खेत हैं। तो बाप के मरने के बाद एक-एक पांच-पांच बीघे का खेत नहीं लेते बल्कि हर खेत के तीन टुकड़े कर देते हैं यानी एक-एक खेत का बटवारा होता है। तो ये १५ खेत जो एक हो गये तो अब जो वारिसान होंगे उस किसान के उनके तीन चक हुये। यह तो सही है कि लड़कों के पास जमीन तिहाई रह गई लेकिन जितनी जमीन रही कंसालिडेटेड रही। तो मैं यह अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं कि डिकंसालिडेशन नहीं होगा। फ्रेगमेंटेशन होगा यानी उनके चक छोटे हो जायेंगे "बट इट विल रिमेन ए चक"। जमीन एकट्ठी रहेगी जब तक प्राइमोजेनीचर हमारे यहां है तब तक यहां यह रहेगी।

जर्मनी में यह है कि बाप के मरने के बाद जो छोटे भाई होंगे वे जब तक एबिल न हो जायं तब तक पैट्रीमोनी जिसको मिलती है तब तक उसका फर्ज है कि वे छोटे भाई बहिनों का जब तक एबिल न हो जायं उनके एजूकेशन का उनके मेंटिनेंस का और उनका दागर खर्चा बरदाश्त करे। इसके बाद उनका कोई खर्चा नहीं है। लेकिन अधिकतर इंगलैण्ड, फ्रांस और बेल्जियम वगैरह में बाप के मरने के बाद बड़े भाई को छोटे भाई के प्रति जिम्मेदारी नहीं है लेकिन वहां और सूरत है। उनके यहां इंडस्ट्री वगैरह बहुत हैं और यह बच्चे इन कामों में लग जाते हैं, बाहर चले जाते हैं उनके लिये रास्ते खुले हुये हैं।

हमारे यहां प्राइमोजेनीचर का भूत आज भी स्थित है और इसलिये हमारे यहां विरासत के कानून की वजह से आगे को चकबन्दी तकसीम दर तकसीम होती रहेगी लेकिन एक वारिस के पास वही एक चक रहेगा उसकी वजह से डिकंसालिडेशन नहीं होगा। लिहाजा हम अपने दिमागों को साफ कर लें कि उसकी वजह से डिकंसालिडेशन नहीं होगा जमीन थोड़ी-थोड़ी होती जायगी, क्योंकि आबादी बढ़ती जायगी लेकिन

एक वजह और होती है जिसकी वजह से डिकंसालिडेशन होता है कि जिनकी जमींन का राइट आफ ट्रांसफर जो है कि अगर एक सीरदार की जमींन नीलाम हो जायगी तो खरीददारी की जा सकती है। तो इसकी वजह से आज जो चक हैं वह डिकंसालिडेट हो सकते हैं तो उसका यह इलाज है जो संशोधन किया जा रहा है। खंड ७ के जरिये से उसका इलाज यह है जो किया जा रहा है जब हम लोग यहां तय कर चुके थे तब हमने दूसरे ऐक्ट में भी देखा और उसमें भी बिल्कुल इसी तरह से है। कि ३.१२५ एकड़ यानी ५ पक्के बीघे से कम अगर किसी जमींन का एक चक है तो वह अगर नान-एडज्वाईनिंग चक-होल्डर को बेचता है तो अपना सारा चक बेचेगा। अध्यक्ष महोदय, अगर मेरा चक दो एकड़ का है और जनाब मेरे एडज्वाईनिंग चक-होल्डर हैं या टेन्योर होल्डर हैं, तो अगर मैं आपको बेचना चाहूं तो एक हिस्सा बेच सकता हूं। मेरा चक हो जायगा १.३१ बिस्वा का और आपके में एक हिस्सा बढ़ जायगा। लेकिन डिकंसालिडेशन नहीं हुआ। अगर किसी गैर को बेचता हूं, जो एडज्वाइन नहीं करता तो उसको दो एकड़ का दो एकड़ ही बेचूंगा, कम नहीं बेचूंगा।

मुझे माफ करेंगे अगर मैं रिपीट करूं क्योंकि यह बात काफी इम्पार्टेन्ट है। एक किसान की जमींन अगर ५ बीघा पुख्ता या ३.१२५ एकड़ से कम का एक चक है। तो जो उसके चारों तरफ दूसरे चक वाले हैं उनको अगर वह जमींन बेचता है तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे जितनी बेंचे। उसमें चकबन्दी में फर्क नहीं आता। लेकिन ये जो चार, पांच चक-होल्डर्स एडज्वाइन करते हैं उनको न बेंच कर अगर किसी दूसरे को बेंचना चाहता है तो पाबन्दी यह रखी जा रही है कि फिर अगर ५ पक्के बीघे से कम का उसका चक है तो वह सारी जमींन बेंचे। और अगर ५ बीघे पुख्ता से ज्यादा बड़ा चक है और बिट्स में बेंचना चाहता है तो ५ बीघे पुख्ता से कम कोई बिट नहीं होगा। एक आदमी को बेचेगा तो ५ बीघे से कम नहीं बेचेंगा। उसको यों कहा जा सकता है कि एडज्वाईनिंग ओनर को बेचे, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है चाहे कितना ही चक हो। लेकिन अगर बाहर वाले को बेचता है और ५ बीघे से कम है तो सारी बेचेगा और ५ बीघे से ज्यादा है तो ५ बीघे से कम के टुकड़ों में नहीं बेचेगा। यह तो ठीक है कि जो बहुत बड़ा चक होगा, ५ बीघे से ज्यादा तो उसके बहुत चक हो जायंगे, लेकिन ज्यादा डिकंसालिडेशन नहीं होगा। और खास तौर से हमारे पूर्व के जिलों में तो औसत होल्डिंग ही तीन, साढ़े तीन एकड़ की है।

देवरिया में तीन से भी कम है और आजमगढ़ में भी, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं, तो साढ़े तीन एकड़ से ज्यादा नहीं है एवरेज फैमिली होल्डिंग। और क्योंकि उधर धान ज्यादा होता है तो बहुत से किसानों के दो-दो, चार-चार होल्डिंग्ज होती हैं। तो तीन एकड़ से भी कम चक होंगे। तीन एकड़ से ज्यादा बड़े एरिया के बिट्स बनाना यह पाबन्दी लगाना ठीक नहीं है। इसलिये हमने यह सोचा है कि यह रीजनएबिल रेस्ट्रिक्शन है जो कांस्टीटचूशन की कसौटी पर भी ठीक उतर जायगा। बुन्देलखंड के लिये सवा ६ एकड़ किया है। मिर्जापुर, ट्रांस-राप्ती वगैरह में वह छ एकड़ हो जायगा। तो इस संशोधन को कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्ज ऐक्ट में यों नहीं रख रहे हैं कि यह तो टेम्पोरेरी ऐक्ट है और जब ऐक्ट बनेगा तो वह परमानेंट ऐक्ट होगा। इसलिये यह संशोधन करना जरूरी होगा।

अध्यक्ष महोदय, गांव समाज की जमीन अगर असामी के पास है खरबूजे वगैरह लगाने के लिए तो वह उसको दे सकती है और उसका लगान वसूल करने में यदि गांव समाज को दिक्कत होती है और वह तहसीलदार को लिख दे कि हमारा लगान बतौर मालगुजारी के वसूल कर दिया जाय तो हम यह १२५ दफा में पावर दे रहे

[श्री चरणसिंह]

हैं कि ऐसा लगान बतौर मालगुजारी के वसूल करके गवर्नमेंट गांव समाज को दे सकती है। यह अमेंडमेंट खंड १० का है।

अध्यक्ष महोदय, अब एक धारा २२९ की है उसमें यह है कि कोई भी शख्स दूसरे शख्स के खिलाफ दावा दायर कर सकता है कि मैं असामी हूं और इस बात का डिक्लेरेशन दे दिया जाय। हम इसको करने जा रहे हैं कि मैं असामी हूं इसका डिक्लरेशन कर दिया जाय बल्कि यह कि मैं सीरदार हूं इसका भी डिक्लरेशन कर दिया जाय और सीरदार डिक्लरेशन होगा तो उसमें राज्य सरकार या गांव सभा पार्टी बनेगी।

अध्यक्ष महोदय, एक अमेंडमेंट यह है कि अब तक यह था कि अधिवासी का प्रश्न आगम में नहीं था। लेकिन अब यह कि फलां आदमी अधिवासी है या नहीं। अगर यह सवाल माल में उठेगा तो वह तय कर देगा। लेकिन अगर दीवानी में उठता है तो यह माल में ही जायगा कि यह अधिवासी है या था यहां पर है का कोई सवाल नहीं है। अब सवाल यह है कि सीरदार कोई व्यक्ति है या नहीं। यह मामला टाइटिल का नहीं माना जायगा और अदालत माल में तय होगा।

अध्यक्ष महोदय, बराबर यह शिकायत रही है . . . .

श्री अध्यक्ष—अब आप अपना भाषण सवा दो बजे जारी रखें।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री चरण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस बिल के पास हो जाने के बाद अधिवासी का प्रश्न भी टाइटिल, मल्कियत या आगम का प्रश्न होकर न रहे और सीरदारों के मामले भी अदालत माल में तय हों।

बस इसके अलावा और जो इक्कुई जायदाद है, उसके मुताल्लिक एक शैडचूल है ऐक्ट में नम्बर ५ का, उसमें कुछ गल्ती रह गई है, तो उसको दुरुस्त करने के लिए यह खंड १७ में संशोधन है। बाकी १८ वें खंड में सेविंग है, १९वें में ट्रांजीशन है। मोटी-मोटी जो तरमीमें करने की तजवीज थी वह मैंने अर्ज कर दी। मैं उम्मीद करता हूं कि सदन को किसी भी संशोधन से कोई आपत्ति न होगी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५६ को प्रवर समिति में भेजने के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य का प्रस्ताव संयुक्त प्रवर समिति के लिये है या प्रवर समिति के लिये ?

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—मेरा प्रस्ताव संयुक्त प्रवर समिति में भेजने के लिये है। यह प्रस्ताव मैंने इसलिये रखा है कि जमींन के संबंध में और खास कर जमींदारी उन्मूलन विधेयक, १९५०, जो हमारे प्रदेश में लागू है उसके सम्बन्ध में हमारे प्रदेश में तरह-तरह की कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं और उन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिये यह छोटा सा संशोधन विधेयक सदन के सामने उपस्थित किया गया है। श्रीमन् मैं इस नन्हें से संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में आपके द्वारा राजस्व मंत्री जी से बाद को निवेदन करूंगा लेकिन मैं उनसे अभी यह निवेदन करूंगा कि खेतीबारी के सम्बन्ध में जो हमारे प्रदेश में कानून कायदे बने हैं, उनसे सदन के सदस्यों के सामने और इस प्रदेश की जनता के सामने जो कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं उनके सम्बन्ध में

कोई तात्कालिक फल निकल सके यह हमारा मतलब है। मेरा मतलब श्रीमन्, यह हर्गिज नहीं है कि सिलेक्ट कमेटी में भेज करके इस विधेयक को पारित करने में देर की जाय। मैं चाहता जरूर हूं कि संशोधन विधेयक जल्दी से जल्दी पारित हो लेकिन साथ ही साथ यह जरूर चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में जो कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं यह इसमें और जोड़ा जाय और जोड़ने के साथ-साथ कुछ धाराओं में परिवर्तन करने के अलावा इसमें कुछ ऐसी धारायें भी हैं कि जिनसे हमको विरोध है, उसमें परिवर्तन पर विचार किया जाय। मैं, श्रीमन्, यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि सरकार की ओर से जो विधेयक पेश किया जाता है और सदन में जो उसके सम्बन्ध में संशोधन लाये जाते हैं उनको सरकार स्वीकार कर लेती है। उनको सरकार स्वीकार नहीं करती है और हठवादिता के रास्ते पर चली जाती है और मजबूर होकर वह सारे संशोधन अस्वीकार कर देती है और इसका नतीजा यह होता है कि लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है।

श्रीमन, आपको याद होगा कि दूसरा संशोधन विधेयक जब इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत हुआ था और जब वह सेलेक्ट कमेटी में गया था तो सेलेक्ट कमेटी में हम लोगों ने अपनी असहमति लिखी थी और जोरदार शब्दों में यह निवेदन किया था कि मुकदमों को माल में ही रखना उचित होगा और दीवानी में नहीं भेजना चाहिये। लेकिन अफसोस है उस वक्त माननीय माल मंत्री जी ने हमारे सुझाव को नहीं माना। उसका नतीजा यह हुआ कि हमारे प्रदेश के हजारों किसानों को मुसीबत भुगतनी पड़ी और साथ ही साथ उनको खेतों से हाथ भी धोना पड़ा है। वह गलती शायद अब राजस्व मंत्री जी को मालूम हुई है और इसी वजह से इस प्रकार का संशोधन विधेयक वह लाये हैं। अगर उस समय वह हमारी बात मान ली गयी होती तो लाखों रुपया हमारे प्रदेश की जनता का जो अदालतों में गया है वह न जाता और माननीय राजस्व मंत्री जी के जो पीछे बैठने वाले वकील लोग हैं उनके हाथ में रुपया नहीं गया होता और समय की जो बरबादी हुई है वह देखने को नहीं मिली होती। अतः मैं आग्रह करूंगा कि हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके इस छोटे से विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में भेज दें जिससे इन धाराओं पर बैठकर शान्तिपूर्वक विचार किया जा सके। श्रीमन् मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज वक्त का तकाजा है कि इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति को भेज कर राजस्व मंत्री जी इसकी भी घोषणा कर दें कि प्रदेश में जमीन का बटवारा हम करेंगे। जब जमीन के बटवारे की बात की जाती है तो राजस्व मंत्री जी लम्बी सांस लेने लगते हैं और सांस लेते-लेते इन्कार कर देते हैं।

श्री चरण सिंह—सांस इसलिये लेने लगता हूं कि जमीन उतनी नहीं है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—श्रीमन्, मैं किसकी बात सही मानूं। सरकार की बात सही मानूं या जिस पार्टी के आप नेता हैं राजस्व मंत्री जी उनकी बात को मानूं या पं० जवाहरलाल जी की बात को माना जाय या कांग्रेस की तरफ से जो विकास कमीशन बना हुआ है उसकी बात को माना जाय। मैं श्रीमन् कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा प्रस्ताव पास किया है अलाभकर खेतों की मालगुजारी की मुआफी का। जवाहरलाल जी ने अभी कहा है कि बिना जमीन की सीमा निर्धारित हुये समस्या हल होने वाली नहीं है। कमीशन की रिपोर्ट भी यही है कि सीमा निर्धारित होनी चाहिये और श्रीमन्, कई प्रदेश में सीमा निर्धारित होने के लिये विधेयक प्रस्तुत हो चुके हैं लेकिन हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहां पर माननीय राजस्व मंत्री जी यह मानने के लिये तैयार नहीं होते।

श्री चतुर्भुज शर्मा—मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर यह है कि जमीन के बटवारे का इससे क्या सम्बन्ध है?

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य विधेयक पर हो रहेंगे।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—मैंने जो प्रस्ताव किया है प्रवर समिति में भेजने का वह यदि स्वीकार हो जायगा तो इसको और बढ़ाया जा सकता है।

श्री चरण सिंह—पहले यह प्रस्ताव मंजूर हो जाय तब आप और बातें लायेंगे।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—यदि इस प्रकार का भाषण नहीं होगा तो सदन आकर्षित न हो सकेगा। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि इस संशोधन विधेयक में सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिये कि खेतों की मालगुजारी क्या हो। खेतों की मालगुजारी हमारे प्रदेश में एक ही गांव में भिन्न-भिन्न है। यह भी कहूंगा कि जिस प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत हमारे देश में लोगों को लूट लूट कर अपने खजाने भरा करती थी उसी तरह से यहां के दूर के जमींदार भी मालगुजारी बढ़ा-बढ़ा कर लूटते रहे हैं। उसी विभिन्न तरीकों से शोषण करते थे। और उसी को आज माननीय राजस्व मंत्री स्वीकार करते हैं। श्रीमन् मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं। हमारे यहां के जमींदार यहीं लखनऊ के रहने वाले थे। माननीय सदन के सदस्य, ब्रजबिहारी मिश्र जी की हमारे घर के पास परसिया गांव में जमींदारी थी। उस गांव में मालगुजारी का सर्किल रेट २ रुपया है और पास के दूसरे गांव मूसाडोही की मालगुजारी ६ रुपया १० आना प्रति एकड़ है। दूसरा सुल्तानपुर एक गांव है जहां पर ४ रुपया ३ आना है और उसके पास ही एक गांव मटिया है वहां पर १८ रु० १३ आ० है। जो भूतपूर्व जमींदार थे वे किसानों से हमदर्दी नहीं रखते थे। उनके अन्दर यह भावना नहीं थी कि हमारे प्रदेश के किसान फलें फूलें। अब इन जमींदारों के खत्म होने के बाद सरकार को नये सिरे से सोचना चाहिये और जो भूतपूर्व जमींदारों ने मालगुजारी स्थिर की है उसको परिवर्तन करना चाहिये। श्रीमन्, मैं आपके जरिये माननीय राजस्व मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता था कि जब तक वे इस समस्या को हल नहीं करते हैं, खेतों की मालगुजारी उसकी पैदावार के हिसाब से नहीं रखते हैं तब तक चाहे वे हजारों कानून इस प्रदेश में क्यों न बना लें लेकिन गरीब जनता जिसके पास छोटे छोटे खेत हैं वह मेहनत करती जायगी, गल्ला पैदा करती जायगी, गल्ला पैदा करके सस्ते दामों में बेचती जायगी, मालगुजारी और टैक्सों को अदा करती जायगी और खाली हाथ घर में बैठ कर उपवास करती ही रहेगी। लेकिन आपको यह तरीका बदलना होगा।

श्रीमन्, हमने शिकमी किसानों की मालगुजारी की निश्चित दर के सम्बन्ध में विरोध करते हुए कहा था कि उनसे दुगुना लगान न लिया जाय। मैं जानना चाहूंगा कि आज शिकमी किसानों की हालत क्या है? सर्किल रेट से दुगनी मालगुजारी उनसे क्यों वसूल की जा रही है? आज उनकी इस गयी गुजरी हालत के बावजूद भी सरकार आज यह कहते थकती नहीं है कि उनके कानून बहुत अच्छे हैं। माननीय राजस्व मंत्री जी को मैं जरूर ही बधाई दूंगा कि जब वे गांवों में जाते हैं तो वे अपने कानूनों की तारीफ करने में थकते नहीं हैं। इन कानूनों को सुनने के लिये किसान अपने सारे कामों को छोड़ कर आता है लेकिन सुनने के बाद क्या होता है? मैं दो-एक उदाहरण देना चाहता हूं। कुछ अखबारों की कटिंग भी साथ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों की मालगुजारी इतनी ज्यादा है कि वे उसको अदा नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं भूलता नहीं हूं तो माननीय राजस्व मंत्री जी ने यह कहा था कि आज शिकमी किसान ऐसे किसान हैं जो बेबस हैं उनकी रक्षा के लिये ही हम यह कानून बना रहे हैं और उनको इस प्रकार के अधिकार देने जा रहे हैं। ४४ लाख कई हजार किसान हमारे प्रदेश में शिकमी हैं और आजमगढ़ में सरकारी आंकड़ों के अनुसार ४ लाख ९५ हजार हैं। उनमें से अधिकांश मालगुजारी नहीं दे पा रहे हैं और उनको मालगुजारी देने में बड़ी दिक्कत हो रही है। माननीय राजस्व मंत्री जी को मालूम

होगा और उनको इसी सदन में एक मर्तबा नहीं बीसों मर्तबा कहा गया कि मालगुजरी वसूल करने में किसानों को खंभे में बांध दिया जाता है, बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाता है, जमाबन्दी उनकी बढ़ाई जा रही है, पहले जमींदार ही अबवाब देते थे, लेकिन आज सारे किसानों से अबवाब लिया जा रहा है। कहा जाता है कि हम समाजवादी राज्य बनाना चाहते हैं, कहा जाता है कि किसानों को शक्तिशाली बनाने के लिए उनकी छाती पर जो जमींदारी कायम थी उसको हमने खत्म किया, लेकिन मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जमींदारी के खात्मे के माने क्या हैं ?

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और कोरम होने पर पुनः सदन की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।)

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जमींदारी तो जरूर खत्म हुई लेकिन जमींदारी के खात्मे के बाद जो मालगुजारी हम से पहले जमींदार वसूल करते थे उसको अब माननीय राजस्व मंत्री जी के कुर्क अमीन वसूल करते हैं जमींदार अगर कुछ हरी बेगारी लेता था किसानों को मुर्गा बनाता था और आज भी राजस्व मंत्री जी के कुर्क अमीन और चपरासी उनको खम्भे और चारपाई में बांधते हैं। उनकी आय आज पौने ८ करोड़ से बढ़ कर २३ करोड़ ९० लाख हो गई है। इस लिए मैं फिर उनसे निवेदन करूंगा कि उनको जिस किसान से इतनी ज्यादा आमदनी होती है उस के खेतों की मालगुजारी आज भी भिन्न-भिन्न है, ऐसी परिस्थिति में यह सबसे जरूरी है कि खेतों की मालगुजारी फिर से निश्चित की जाय और जो सर्किल रेट्स हैं वह फिर से ठीक किए जायं और खेतों की पैदावार के अनुसार मालगुजारी निश्चित की जाय।

मैं दो चार धाराओं का सिंहावलोकन करते हुए मंत्री जी का ध्यान धारा २३२ की ओर दिलाना चाहता हूं। इस धारा के अनुसार हमारे सूबे में बहुत से शिकमी काश्तकारों ने जमीन वापसी की दरख्वास्तें दीं। अब उनकी जमीन वापसी की दशा क्या है, यह मेरा ख्याल है कि माननीय राजस्व मंत्री जी हमसे ज्यादा जानते होंगे, सारे सूबे के बारे में तो हमें जानकारी नहीं है लेकिन आजमगढ़ जिले के बारे में मुझे जानकारी है और मेरा उससे अन्दाजा है कि इसी तरह की हालत प्रदेश के अन्य जिलों में भी होगी। आजमगढ़ में धारा २३२ के अनुसार शिकमी किसानों ने खेतों की वापसी के लिए ११६४ दरख्वास्तें दीं और मुकदमे दाखिल किए। वह मामले दीवानी में आए, फिर माल में आए, फिर माल से दीवानी में गए, फिर दौड़ते, धूपते वह कमिश्नरी में गए और उनमें से केवल ३२८ मामले शिकमियों के पक्ष में तय हुए और बाकी ७८५ भू-स्वामियों के हक में ही फैसले हुए और उसके बाद के उन ३२८ में भी अपीलें हुईं और उनमें से फिर आधे से कम ही शिकमियों के हक में फैसले रह गए और आधे से ज्यादा फिर अपील में भू-स्वामियों के हक में रहे। कमिश्नर ने आर्डर दे दिया कि फिर वे दीवानी में जाकर अपने फैसले कराये। १३५९ फ० के इन्द्राज की दुरुस्ती के लिए कानून बना और कहा गया कि उस सन फसली में जिसका कब्जा होगा वह सीरदार माना जायगा, लेकिन मेरे पास सैकड़ों सबूत हैं कि १३५९ फ० में इन्द्राज है, अदालत से डिग्री हुई है लेकिन फिर भी वह किसान अपने खेत को नहीं काट पाते हैं और इस सरकार की अदालत और पुलिस सब अपाहिज है शिकमी किसानों की रक्षा करने में। यह श्रीमन्, एक दो नहीं मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है शिकमी किसान २० वर्ष से खेत को जोतता है। अदालतों से डिग्री है, उसका नाम इन्दराज है, कोई झगड़ा नहीं है, परगना हाकिम के यहां दरख्वास्त दी, राजस्व मंत्री के यहां दरख्वास्त दी, कलेक्टर के यहां दरख्वास्त दी, खेत काट लिया जाता है, मारा जाता है, थाने में रिपोर्ट होती है, डाक्टर मुलाहिजा करता है,

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

लेकिन उसके बाद भी उस शिकमी किसान की कोई पूछ नहीं होती। एक नहीं पचासों उदाहरण दे सकता हूं। श्रीमन्, मुझे अफसोस है कि बनारस में सब से ज्यादा बेदखली हुई है। जिस जिले के निवासी हमारे मुख्य मंत्री, भूतपूर्व हमारे विरोधी दल के नेता राजनारायण और प्रभुनारायण सिंह मौजूद रहें वहां पर श्रीमन्, किसानों को पीट-पीट कर अदालतों में बाकायदा उनसे इस्तीफा दाखिल कराया गया और जो धारा संशोधन विधेयक में है उसके द्वारा अधिकार दिया जा रहा है उनको सीरदारी का, क्या हक मिलेगा सीरदारी का?

श्री चरण सिंह—क्या अधिकार दिया जा रहा है। दिया जा चुका है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—जिसके लिए संशोधन आप ला रहे हैं कितना उनके पास खेत है। पता लगाइये, अदालत से पूछिये, अदालतों में कितने स्तीफे दाखिल हुए हैं। १३५९ फसली का इन्दराज क्यों नहीं हुआ। अदालतें इन कानूनों को क्यों मानती नहीं। अब श्रीमन्, मैं जानना चाहूंगा किसका दोष है। कानून की गलती है या अधिकारियों की गलती है। दोनों में किसी की गलती जरूर होगी। रेवेन्यू बोर्ड ने फैसला कर लिया। श्रीमन्, भूमिधर का हक सुपीरियर है। इस सेशन में काम रोको प्रस्ताव रक्खा और माननीय चौधरी साहब से निवेदन किया कि आप कोई संशोधन लायें इस धारा में। माननीय राजस्व मंत्री और उनके सलाहकार मानने के लिये तैयार नहीं हैं कि उनका विधेयक गलत है। श्रीमन्, मैं मानता हूं कि विधेयक गलत नहीं है। यदि विधेयक गलत नहीं है तो उनके अधिकारी गलत फैसला करते हैं। रेवेन्यू बोर्ड तक अपील होती है। हाई कोर्ट तक जाती है। लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। हाई कोर्ट वह शिकमी किसान जायगा कहां जिसे आप कमजोर और मूक कहते हैं। वह हाई कोर्ट में नहीं जा सकता। वही जाता है जिसके पास पैसा होता है। श्रीमन्, इस विधेयक में १३५९ फसली में २३२ धारा के मातहत अदालतों में जो हो रहा है उसकी बिना पर कुछ संशोधन करने के लिये आया होता तो मुनासिब था। लेकिन आज चूंकि प्रदेश में मनमाने फैसले हो रहे हैं, उस पर सरकार संशोधन नहीं ला रही है तो मजबूर होकर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस संशोधन विधेयक को आप प्रवर समिति में भेजें, जिससे गम्भीरतापूर्वक इस धारा पर विचार करके कुछ संशोधन लाया जा सके। श्रीमन्, एक और फजीहत है एक नियम है ११५ (सी)। उसके अनुसार जिन लोगों ने जमींदारी टूटने के बाद से परती जमीनों पर कब्जा कर लिया है उनके विरुद्ध गांव समाज के प्रधान या कोई भी सदस्य दरख्वास्त देंगे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां या अव्वल दर्जे के मैजिस्ट्रेट के यहां तो वह किसान बेदखल कर दिया जायगा। राजस्व मंत्री जी को हमसे ज्यादा जानकारी होगी, होनी भी चाहिये हमें इसमें शुबहा नहीं है। लेकिन श्रीमन्, हमको जानकारी जिस आधार पर है उस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि ११५—सी का बहुत दुरुपयोग किया जा रहा है। और आजमगढ़ में तीन हजार से अधिक मुकदमे दायर हुए हैं। एक एक एकड़ पर एक-एक हजार रुपया जुर्माना हुआ है। उस नियम में कहीं गुंजायश नहीं है कि किस प्रकार जुर्माना किया जायगा, उसके सामने कोई नियम नहीं। मैजिस्ट्रेट को पूरा अधिकार है मनमाना जुर्माना करने का। कोई सर्किल रेट का विचार नहीं, कोई मालगुजारी का ख्याल नहीं, कोई जमीन की पैदावार का ख्याल नहीं। एक-एक हजार रुपया जुर्माना एक एक एकड़ पर होता चला जा रहा है। सवाल हुआ और उसके बाद उम्मीद करता था कि सरकार इस पर कुछ सोचेगी। लेकिन सरकार सोचने में बिल्कुल असमर्थ रही है। ११५—सी के अन्तर्गत जो लोग आते हैं उनमें से ९५ फीसदी ऐसे आदमी हैं जो बिल्कुल भूमिहीन रहे हैं, जिसके पास खेत बहुत कम रहे हैं जमींदारी टूटने के बाद भूतपूर्व जमींदारों ने, जब जमींदारी टूटने का ऐलान हुआ तो

परती जमीनों को नजराना ले लेकर उठाया था। उस वक्त गरीब किसानों ने अपना पेट काट काट कर भूतपूर्व जमींदारों से जमीन खरीदी थी और उसका इन्दराज नहीं हुआ।

श्रीमन्, आजमगढ़ में इतने मुकदमे दायर हुए दीवानी में और माल में; और ऐसे मुकदमे हैं जिनमें गांव के सभापति ने जाकर अपना बयान दिया कि किसान वर्षों से खेत जोतता है, सारा गांव बयान देता है। लेकिन कोई परवाह नहीं। अदालतें दुश्मनी खरीद करके, लोगों के खेतों को निकालती हैं, इतना जुर्माना करती हैं। जरा माननीय राजस्व मंत्री जी इधर भी खयाल करें कि एक-एक हजार रुपया जुर्माना देना और उन खेतों का देना जिसमें कुछ नहीं हुआ या हुआ भी तो एक साल जोता, दो साल जोता, तीन साल जोता। इस पर सरकार को खयाल करना चाहिए। श्रीमन्, सरकार को इन चीजों के सम्बन्ध में या तो कानून में संशोधन करना चाहिए और अगर अधिकारी सरकार के बनाये कानून का उल्लंघन करते हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर गलत कानून बना है तो उसका संशोधन शीघ्रातिशीघ्र होना चाहिए। इसीलिए मैंने प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

श्रीमन्, मैं धाराओं के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। इसमें एक दो धाराएं ऐसी हैं जिनका समर्थन किया जा सकता है। लेकिन एक दो धाराएं ऐसी हैं जिसका समर्थन करने में मैं अपने को असमर्थ पाता हूं। खंड ६ में १३२-ग के स्थान पर संशोधन लाया गया है। जो मूल अधिनियम है उसमें मैं यह समझता था कि धूर्तता करने का रास्ता नहीं था। लेकिन यह संशोधन जो है उससे लोगों का बेईमानी करने का रास्ता कुछ साफ किया जा रहा है। यह रास्ता बताया जा रहा है कि शिकमी किसान जो खेत बीसों वर्षों से जोत रहे हैं, उनको सीरदारी का हक भले ही प्राप्त हो गया हो, लेकिन कुछ लोग यदि कोआपरेटिव बेसिस पर फल का बाग लगाना चाहते हों, या कोआपरेटिव बेसिस पर और कोई सामुदायिक काम करना चाहते हों, म्यूनिसिपैलिटी गड्ढा बनाना चाहती है, उन सबके लिए इस संशोधन के जरिये छूट दे दी गई है निकालने की। १३२ धारा में सिर्फ "ग" में केवल टांगिया से बन लगाने का अधिकार दिया गया है। लेकिन इसके जरिये पूरा अधिकार दिया जा रहा है। मैं राजस्व मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस अधिकार का दुरुपयोग हो सकता है। आप विश्वास कीजिये कोआपरेटिव सोसाइटियां बनना आसान है। पांच आदमी से जहां ज्यादा हो गये कोआपरेटिव सोसाइटी बन गयी। श्रीमन्, उसकी रजिस्ट्री में कोई रोकथाम नहीं। दस आदमी मिल कर कोआपरेटिव सोसाइटी बना लें और किसान को जो सीरदारी का हक मिला है उसको बेदखल किया जा सकता है। गांव के जो भूतपूर्व जमींदार हैं, जिनके पास पचास बीघे, १०० बीघे खेती है, राजस्व मंत्री उनसे वाकिफ नहीं हैं, उनकी जो पुरानी भावना रही है वह आज भी मौजूद है।

श्रीमन्, इसके अलावा खंड ७ के सम्बन्ध में, १६८-ग में संशोधन के लिए जो कहा गया है उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। यह बात सही है कि जहां चकबन्दी हो रही है और चकबन्दी में पास का जो छोटा सा टुकड़ा वाला है वह खेत को बेचना चाहता है तो उसको खेत मिलना चाहिए, जो पास का खातेदार है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा राजस्व मंत्री जी से कि क्या इस संशोधन से यह नहीं होने वाला है कि उस किसान को उस खेत की पूरी कीमत नहीं मिलने वाली है। आप मजबूर कर रहे हैं एक किसान को जो खेत बेचना चाहता है। खेत कई तरह से बेचा जाता है। कुछ लोग गरीबी के कारण खेत बेच सकते हैं। कुछ लोग कम खेत होने की वजह से बेच सकते हैं। लेकिन जब चकबन्दी होगी तो जो बड़े खेत वाले हैं उनका छोटा टुकड़ा अगर कहीं है तो वह टुकड़ा उनके बड़े चक में चला जायगा। लेकिन छोटा खेत किसका बिकेगा? छोटा खेत उसका होगा जो छोटा किसान है। तो छोटे

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

किसान को आप इस संशोधन के द्वारा मजबूर कर रहे हैं कि अपने खेत को बेचे और उसको बेचे जो पास का है।

श्री चरण सिंह—बेचने को मजबूर कैसे कर रहे हैं?

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—यह विधेयक है अगर बेंचना चाहे। तो फिर क्या यह ठीक है? मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। और यह गरीब किसान जो हैं उनके हक में यह नुकसान होने वाला है; उसको पूरी कीमत खेत की मिलने वाली नहीं है। इसमें संशोधन करना चाहिए।

श्री चरण सिंह—क्या होना चाहिए, यह बता दीजिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—यह होना चाहिए कि अगर वह खेत बेंचना चाहता है तो बोली बोली जाय। दस बीस उस गांव के आदमी जो उस खेत को खरीदना चाहें वह बोली बोलें और सबसे ज्यादा बोली जो हो उतनी कीमत देकर पास के खेत वाले किसान खरीद लें। तब तो मैं समझूंगा कि उसके खेत की कीमत उसको भरपूर मिलेगी।

एक संशोधन खंड ६ में किया गया है कि रास्ता और तालाब के बीच में "पोखरा" शब्द जोड़ दिया जाय। इससे माननीय मंत्री जी को कुछ सान्त्वना हो सकेगी कि पोखरा शब्द जोड़ देने से सभी गांव समाजों की सम्पत्ति वापस हो जायगी धारा २१२ में, लेकिन, श्रीमन्, मैं इस मौके पर राजस्व मंत्री जी से फिर सवाल करना चाहता हूं कि जरा बतावें तो मुझको वह इस प्रदेश में कितने जिलों के कलेक्टरों ने धारा २१२ के अनुसार सार्वजनिक भूमि को वापस किया है गांव समाज के पक्ष में। मेरा खयाल है कि शायद ही किया होगा।

आजमगढ़ के सम्बन्ध में पूरी जानकारी मुझे है कि पोखरे और कब्रिस्तान, रामलीला का मैदान ऐसे स्थानों पर, श्रीमन्, गांव समाज के प्रधान ने अगर दरख्वास्त दी है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां वापसी के लिए तो वह जेलखाना गया है; वापस होने की बात तो दूर है। सरकार कोई अपने बनाये हुए कानून की पाबन्दी अपने अधिकारियों से नहीं करा पायी। कहा जा सकता है कि कानून तो है ठीक। कानून की पाबन्दी नहीं होती तो जिम्मेदारी किसकी है? अगर इस प्रदेश में कानून की पाबन्दी न हो तो जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है, श्रीमन्, और सरकार अब अपने बनाये हुए कानूनों की जिम्मेदारी सिर पर उठा कर उनको मजबूर नहीं कर सकती है तो मैं समझता हूं कि ऐसे कानूनों के बनाने की कोई आवश्यकता नहीं और यदि राजस्व मंत्री जी चाहें तो, श्रीमन्, मैं प्रमाण दे सकता हूं उनको। पोखरे हैं आज भी उसमें से खेत में पानी चलता है लेकिन कागज में काश्तकारी दर्ज है। कागज में जौ, गेहूं आदि की पैदावार लिखी जा रही है और उनका दुलारा लेखपाल रिपोर्ट नहीं करता है। गांव समाज का प्रधान रिपोर्ट करता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं। मुकदमा लड़ता है, कलेक्टर मानता नहीं। एक दो सबूत भी दे दें माननीय राजस्व मंत्री जी आजमगढ़ जिले का, तो मैं मान जाऊं कि हां, इस तरह से सार्वजनिक स्थान वापस किए गए हैं। मैं इसलिए विधेयक के इस खंड का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन इस अपनी बात के जरिये राजस्व मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जरा इस धारा को अमली जामा तो पहनावें, जरा देखें तो सही कि इस धारा का इस खंड का दुरुपयोग हो रहा है या सदुपयोग हो रहा है और, श्रीमन्, निष्क्रान्त सम्पत्ति पर २० गुना के बदले १५ गुना लेकर के सीरदार बनाने का अधिकार इस विधेयक के जरिये राजस्व मंत्री जी दे रहे हैं। ठीक है २० प्रतिशत के बदले १५ प्रतिशत हो जाय।

राजस्व मंत्री जी को शायद महसूस होने लगा कि अब हमारे प्रदेश के किसान की धीरे-धीरे आमदनी घटती चली जा रही है। अगर यह बात सही है तो मैं निवेदन करूंगा कि इस पन्द्रह गुना की पाबन्दी को हटाइए। क्यों बार बार बदलने की बात होती है? जो किसान जमीन को जोतता है, उसका अधिकार है, वह खेत का मालिक है। जमीन, जोतने वाले की है। जब आपने एक तरीका बना लिया तो फिर मुआवजे की बात क्यों करते हैं? राजस्व मंत्री जी, मुआवजे की बात छोड़िए। एक और निवेदन करूंगा आपसे निष्क्रान्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कि बहुत से लोग पकिस्तान चले गये और पाकिस्तान जाने के बाद अपनी सम्पत्ति खेत को छोड़ गये, लेकिन उस खेत पर शिकमी किसानों का भी कब्जा है। कोई किसान है, जिसका कोई भाई पाकिस्तान चला गया। उसके पास पूरे १० बीघा खेत है, लेकिन १० बीघा खेत भी खास भाई के पास है। आपको एक रास्ता तय करना होगा कि ऐसे किसान को वह जमीन मिलनी चाहिए। इस विधेयक में इसकी कोई चर्चा नहीं है। मैं चाहता हूं कि यह चर्चा ऐसी भी होनी चाहिए निष्क्रान्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में।

मैं आपके जरिये, श्रीमन्, यह निवेदन करूंगा कि अनुसूची में मूल अधिनियम की अनुसूची २ के स्थान पर जो अनुसूची रखी गयी है यह भी देखने योग्य है। इस में भी कई ऐसी धाराएं हैं जिनका संशोधन है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से धारा २१२ के सम्बन्ध में हमने आपसे निवेदन किया कार्यवाही करने को, उसी प्रकार मैं निवेदन करूंगा कि इसमें भी कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। ऐसे अफसरान जो बनाये हुए कानूनों का उल्लंघन करते हैं, सदन का अपमान करते रहते हैं, उनको ठीक करना चाहिये। और इसको प्रवर समिति में भेजने का इरादा हमारा इसी कारण है, यह नहीं कि कोई देरी की जाय। जिसको राजस्व मंत्री जी चाहें उस सदन की संयुक्त समिति बना कर, रात दिन बैठ कर इस पर विचार और गौर किया जाय और गौर करने के बाद मूल अधिनियम में भी कुछ धाराओं को बदलें और इसमें कुछ परिवर्तन और संशोधन करें, जिससे सही माने में लोगों को स्थिर किया जा सके और उनको भरोसा दिलाया जा सके कि जो अधिनियम बनाया गया है उसकी ठीक तौर से पाबन्दी हो और हक लोगों का बरकरार रहता है। अगर हक बरकरार रहता है तो कानूनों की इज्जत होती है। अगर कानून एक बार ठीक तरह से बन जाता है तो आगे के लिए भी उसका पालन विकास की ओर होता है। लेकिन बहुत से कानून इस सदन में ऐसे बने जिनकी हाई कोर्ट में और अदालत में छीछालेदर हुई और सरकार हठवादिता की तरफ गयी और जिले के अधिकारियों ने जैसी राय दे दी उसके मुताबिक फिर उसमें संशोधन हो जाता है, न तो जनता की राय का और न सदन की राय का खयाल किया जाता है। इसलिए प्रवर समिति में भेजने से उसमें उचित परिवर्तन होगा। मैं अपने इस प्रस्ताव को पुनः पेश करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, जो संशोधन माननीय पांडेय जी ने रखा है, उसमें भी मेरा थोड़ा सा अमेंडमेंट है, वह यह कि जब यह समिति को भेजा जाय तो समिति को यह भी अधिकार दिया जाय कि वह इसके स्कोप को भी बढ़ा दे। तो अब हमारा संशोधन हो गया कि यह विधेयक प्रवर समिति में, समिति को यह अधिकार देते हुए कि वह स्कोप को भी बढ़ा दे, भेज दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—आप संयुक्त प्रवर समिति को चाहते हैं या प्रवर समिति को?

श्री राजनारायण—अगर माननीय पाण्डेय जी का संशोधन "संयुक्त" का है तो संयुक्त हम मान लेंगे, लेकिन उसमें हम एक अवधि चाहते हैं कि वह एक महीने की अवधि रख दी जाय ताकि सरकार उस को अनिश्चित काल तक के लिये न टाले।

श्री उपाध्यक्ष—तो आप दोनों चाहते हैं ?

श्री राजनारायण—जी हां, हम दोनों चाहते हैं, एक तो इसका स्कोप बढ़ाया जाय और दूसरा संयुक्त प्रवर समिति में एक महीने से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिये, उसकी रिपोर्ट सदन में इतने समय के अन्दर प्रस्तुत हो जाय। श्रीमन्, मैं सर्वप्रथम ही माननीय मंत्री जी से यह पहले ही निवेदन करना चाहूंगा कि वे हमारी बात को व्यक्तिगत ढंग पर और निजी ढंग पर न लें और यह भी कभी न समझेंगे कि मैं उनकी भावना, उनके इंटेन्शन्स या उनके मोटिव को खराब समझता हूं या अच्छा समझता हूं। मैं उनसे जो भी निवेदन करूंगा वह यही है कि फल क्या हो रहा है। यानी यह हमारा चौथा संशोधन विधेयक तो है ही। जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट आया सन् १९५० में, उसके बाद ५२ में, ५४ में और ५६ में यानी करीब-करीब हर साल संशोधन लाने पड़ रहे हैं। आरम्भ में ही हमने जो कुछ माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था, यदि उस निवेदन के अनुसार ये काम किये होते तो सदन का समय भी नष्ट न होता और आज जो मुसीबत का पहाड़ खेतिहर जनता पर टूट पड़ा है वह भी न टूटा होता।

श्री चरण सिंह—वह हम पर टूट रहा है।

श्री राजनारायण—आप पर नहीं टूट रहा है। श्रीमन्, मैं यह साफ-साफ बता दूं कि माल मंत्री जी का जिस भूमि-व्यवस्था के विभाग से सम्बन्ध है वे कम से कम अपने विभाग से परिचित तो जरूर हैं इतना मैं मानता हूं। यहां बहुत से मंत्री हैं जिनको अपने विभाग के बारे में कोई जानकारी नहीं है जैसे शिक्षा मन्त्री इसमें हैं मगर इनके बारे में मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये परिचित हैं। हमारी इच्छा इनके मोटिव पर अटैक करने की नहीं है लेकिन हमारी इच्छा यह है कि हम इस सदन में साफ-साफ बतावें कि यह सरकार क्या चाहती है। हम चाहते हैं कि इस बात को समझ लिया जाय कि आज जो कुछ भी संघर्ष है वह यही है कि हम इक्वैलिटी की ओर बढ़ना चाहते हैं। हम यह देखें कि जो विधेयक आया है वह हमें इक्वैलिटी की ओर ले चल रहा है या नहीं।

माननीय परिपूर्णानन्द जी यहां बैठे हैं भूमि-व्यवस्था से उनकी काफी जानकारी है। वे भी इस बारे में सोचें। माननीय मंत्री जी कहेंगे कि हमने कानूनी समानता तो दे दी। कानून सब के लिये बना है जो चाहे अपना फैसला करा सकता है। माननीय मंत्री जी कहेंगे कि हमने राजनीतिक समानता भी दे दी। जनता पसन्द करती है इसलिये कांग्रेस की सरकार बनी हुई है, नहीं पसन्द करेगी, हट जायेगी। तो कानूनी समानता और राजनीतिक समानता दोनों ही बुरी हैं जब तक कि सोशल और इकनामिक इक्वैलिटी न हो। आज सामाजिक समानता और आर्थिक समानता का संघर्ष है। हमारे देश में सामाजिक समानता का ज्यादा है। दुनिया के मुल्कों में अधिकांश में इस समय सामाजिक समानता भी प्राप्त है लेकिन आज हमारे देश में आर्थिक विषमता भी कायम है और सामाजिक विषमता भी कायम है। तो उस आर्थिक विषमता के लिये माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं और जो संशोधन विधेयक यहां प्रस्तुत हुआ है क्या वह उधर प्रगतिशील है ? मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि तनिक भी उधर नहीं बढ़ता है। आज बड़े तपाक के साथ जब यह ढिंढोरा पीटा जाता है कि चारों तरफ राष्ट्रीय विकास हो रहा है और सरकार राष्ट्रीय विकास के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ है तो मैं जानना चाहता हूं कि यदि जमीन पर कोई कैप लागा दी जाय, ऐसा संशोधन प्रस्तुत किया जाय जिससे जमीन का बंटवारा संभव हो और जो कोई असीम जमीन अपने पास रखता चला जा रहा हो उस पर एक प्रतिबन्ध लगे, आज इस संशोधन में जब कि यह ५६ का संशोधन है इसकी कहीं भी हमें गुंजायश नहीं दिखलायी पड़ रही है कि माननीय मंत्री जी जमीन के बंटवारे की ओर भी बढ़ रहे हैं। जब माननीय पांडेय जी बोल रहे थे तो उस बीच में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि जमीन कहां है। इस सदन में हमने बार बार आंकड़े प्रस्तुत किये हैं और आज भी मैं अपने आंकड़े

को बता दूं थोड़े में, श्रीमन्, कि यदि ३० एकड़ बड़ी से बड़ी जोत की सीमा मान ली जाय तो सारे प्रदेश में ३० एकड़ के ऊपर वालों की जमीन अगर ली जाय तो हमारे आंकड़े के मुताबिक जो इन्हीं सरकारी किताबों से निकाला है मैंने, कम से कम ३० और ३५ लाख एकड़ जमीन बचेगी जिसका कि हम बंटवारा कर सकते हैं।

इसी के साथ-साथ, श्रीमन्, आप ध्यान रखें कि मैं इकोनामिक इक्वैलिटी की तरफ आ रहा हूं और यदि हमारा मतलब इकोनामिक इक्वैलिटी का है और ३० एकड़ अधिकतम जोत की सीमा रखने से हम अधिकांश लोगों को जमीन नहीं दे पाते हैं तो हम कहीं बंधे हुये नहीं हैं, हम उस परिधि को घटा कर २० एकड़ भी ला सकते हैं और हमने १० एकड़ का भी हिसाब लगाया है। अगर २० एकड़ अधिकतम जोत की सीमा रखी जाय तो हमारे यहां ६५ लाख एकड़ जमीन बचेगी जिसको कि हम गरीब किसानों में बांट सकते हैं। और यदि १० एकड़ अधिकतम जोत की सीमा रख दी जाय तो ६५ लाख एकड़ के ऊपर बचती है। श्रीमन्, इसके बाद कितनी जमीन ऐसी है जो ऊसर है, परती है, बंजर है, पानी से ढका हुआ इलाका है, तराई भावर का इलाका है। माननीय मंत्री जी समुचित आंकड़े अगर अपने सामने रखते होंगे तो इन तमाम जमीनों को अगर लिया जाय तो इसमें भी कम से कम ६० एकड़ जमीन तो ऐसी निकलेगी जो बांटने के काम में आ सकती है।

श्रीमन्, इवैकुई प्रापर्टी की भी चर्चा है इसके उद्देश्य में। मैं निवेदन करूंगा कि यदि सरकार की मंशा है और सरकार चाहती है कि आज ऐसे लोग जो जीवन के साधनों से वंचित हैं, जिनके पास धन पैदा करने के साधन नहीं हैं, जो खेती के सहारे ही अपने जीवन निर्वाह पर आश्रित हैं उनके लिये खेती की व्यवस्था हो तो क्यों नहीं इवैकुई प्रापर्टी में इस तरह की बात शामिल की जाती कि जो लोग यहां आये हुये हैं, चाहे आप उनको शरणार्थी कहें या पुरुषार्थी कहें, उनको बदले में जो जमीन देनी है वह सरकार दे, मगर जो जमीन बचती है वह जमीन फिर नीलाम क्यों की जाय, उसके लिये यह क्यों न तय किया जाय कि वह जमीन हरिजनों को बांटी जायगी, पिछड़े लोगों को बांटी जायगी, यह जमीन उन लोगों को दी जायगी जिनके पास भूमि नहीं है, जो भूमि रहित हैं? मैं देखता हूं तो मुझे इस विधेयक में कहीं नहीं मिलता है। फिर किस माने में हम यह मानें कि यह सरकार जो खेती के बारे में विषमता फैली हुई है उस विषमता को निकालना चाहती है? चाहे मंत्री जी बार बार कहें, पहाड़ पर चढ़ कर बोलें और कहें कि हम समानता लाना चाहते हैं तो मैं यह कहूंगा कि सरकार की यह समानता स्वप्न की है, इस सरकार की समानता भाव की है, इस सरकार की समानता इमोशन की है और सरकार इस ओर कोई निश्चित कदम उठाना नहीं चाहती है और अगर यह अपना कोई निश्चित कदम नहीं उठायेगी तब समानता और स्वतंत्रता का नारा बुलंद करना उनके लिये लज्जा की बात है और सरकार को यह नारा बुलंद करना बन्द करना चाहिये। अन्यथा जनता ऊब जायगी और निराशावादिता तेजी से फैल रही है।

श्रीमन्, लोग एक ही बात कहते हैं कि हम समानता लाना चाहते हैं, हम विषमता मिटाना चाहते हैं। लेकिन यह कैसे होगा? आज कोई चोरी करे, डाका मारे, और कहीं से रुपया लाकर रखे और जितनी जमीन चाहे खरीदता चला जाय। कहीं इस पर रोक है? क्या प्रतिबन्ध है कि कोई अधिक से अधिक कितनी जमीन जोत में रख सकता है? श्रीमन्, सरकार कहती है कि वह समानता की ओर बढ़ रही है तो वही इस समानता का मतलब समझ सकती है। मैं समझता हूं कि आम जनता इस आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्य न भूलें और वह बुद्धि विभ्रम में न पड़ें। समानता का नारा सही और सच्चा होना चाहिये जो कानून में विषमता को मिटाने के लिये आगे बढ़े। श्रीमन्, इसी लिये मैंने अपने संशोधन में निवेदन किया है कि जब यह सिलेक्ट कमेटी या जवाइंट सिलेक्ट कमेटी में विचारार्थ जाय तो इसका स्कोप बढ़ा दिया जाय।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर । निवेदन यह है कि सिलेक्ट कमेटी किसी विधेयक का स्कोप नहीं बढ़ाती है बल्कि सदन बढ़ाता है ।

श्री उपाध्यक्ष---सदन इसके स्कोप को बढ़ाने का आदेश दे सकता है और ऐसा पहले हुआ भी है ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, अभी कानपुर से इम्तहान दे कर आये हैं । मैं अर्ज कर रहा था कि हमें एक मिनट की भी देर नहीं करनी चाहिये और सदन अविलम्ब अपनी राय दे दे कि जमीन का बंटवारा हो कर रहेगा । कोई भी परिवार पांच आदमियों का हो वह किसी भी माने में एक हल बैल के परिश्रम से जितनी जमीन जोत सकता है उससे ज्यादा जमीन नहीं रख सकता है । आज यह सरकार इस संशोधन के जरिये इस विधेयक की धाराओं में यह बात रख दे कि एक हल बैल से जितनी खेती हो सकती है उससे तिगुनी से ज्यादा जमीन से ज्यादा किसी के पास नहीं रह सकेगी । यदि ऐसा सरकार कर दे तब ठीक होगा । तिगुनी जमीन चाहे २० एकड़ हो या २५ एकड़ हो अगर ३० एकड़ से ज्यादा हो जाती है तो हर्गिज नहीं रखनी चाहिये । हम इसलिये दो शर्त लगाना चाहते हैं कि एक हल बैल से जितनी जुताई तथा बुवाई हो सके, यांत्रिक खेती नहीं, बल्कि एक साधारण किसान जितनी जुताई या बुवाई एक हल बैल से करता है, उससे तिगुनी से ज्यादा जमीन किसी परिवार के पास नहीं रहनी चाहिये । अगर किसी के पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन है तो वह उसके पास नहीं रहना चाहिये यानी, "Three times or 30 acres whichever is less—" या तो तीन गुनी हो या ३० एकड़ हो । इन दोनों में से जो कम हो उससे ज्यादा जोत की जमीन किसी भी परिवार के पास नहीं रहनी चाहिये । यह मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि अब जो कोई विधेयक जमीन से संबंधित यहां पेश हो उसमें यह धारा जरूर रहे ।

इसके साथ-साथ, श्रीमन्, मैं यह भी आप के द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत समय तक नारा लगाया गया हरिजन उत्थान हरिजन उत्थान । हरिजन उत्थान का शाब्दिक पक्ष अब अगर मूर्तिमान स्वरूप लेने वाला है तो इसको माना जाना चाहिये, किन्तु यदि केवल मौखिक रूप में, शाब्दिक रूप में ही यह हरिजन उत्थान होने वाला है तो मैं कहूंगा कि यह खेल बन्द होना चाहिये । मैं सदन को उन सम्मानित सदस्यों से जो हरिजनों के प्रतिनिधि बन कर यहां बैठते हैं, यह निवेदन करूंगा कि हरिजन विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग से कुछ दान दिला कर, हरिजन विद्यार्थियों को हरिजन सहायक विभाग से कुछ सहायता दिला कर, उत्थान नहीं हो सकता है । क्योंन हरिजनों के हाथ में धन पैदा करने के साधन दिये जायं ? जब तक हरिजनों के हाथ में धन पैदा करने के साधन नहीं दिये जायंगे वह कभी भी सेल्फसफीशियेन्ट, स्वतः आत्मनिर्भर नहीं हो सकते । वह हमेशा मुखापेक्षी रहेंगे । श्रीमन्, आप जानते होंगे कि कानून जो बना दिये जाते हैं उनका बहुधा पालन नहीं होता । विश्वनाथ जी के मन्दिर में क्या हुआ? गिरफ्तारियां हो रही हैं हरिजनों की, और इस सेवक को भी जेल की हवा खानी पड़ी .....

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य विधेयक से ही सम्बन्ध रखें, बाहर न जायें ।

श्री राजनारायण---तो, श्रीमन्, मैं केवल रेफरेंस इसलिये दे रहा था कि जो हरिजनों के एम० एल० एज० रिजर्व सीट से यहां आते हैं वह भी अपने कर्त्तव्य को न भूलें । अब उनके कर्त्तव्य की पूर्णाहुति केवल दान और भिक्षा दिलाने में नहीं होनी चाहिये; अब उनके कर्त्तव्य की पूर्णाहुति होनी चाहिये इस बात में कि समाज के जितने अंग हैं, उसके जितने प्राणी हैं वह सब समान हों । "समम् बर्तते इति समाजे" कि जहां मनुष्य समानता का व्यवहार करे और वह समान हों । अगर इस समाज को बनाना चाहते हैं तो हमारे इस संशोधन को मुक्त कंठ से एक स्वर से आप सब सहयोग दें और कहें कि हमारा देश कृषि प्रधान है, हमारा देश खेतिहरों का देश है और इस खेतिहर देश में कितने ऐसे

खेतिहर मजदूर हैं कि जिनके पास खाने का ठिकाना नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं, मकान नहीं, पैसा नहीं, उनका काम कैसे चलेगा, वह अपने बच्चों का पालन कैसे कर पायेंगे, वह तरक्की कैसे कर पायेंगे। इसलिये उनके लिये जमीन की व्यवस्था होनी चाहिये। ऐसे लोगों के पास से जमीन छीनी जानी चाहिये कि जो जमीन को स्वतः जोत बो नहीं सकते और दूसरों के श्रम का उपयोग करते हैं, उनसे खेती बारी कराते हैं। जब तक यह व्यवस्था नहीं हो पाती तब तक मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि चाहे कितने ही संशोधन हो जायं .....

श्री हरिसिंह (जिला मेरठ)--आपकी जमीन के बारे में क्या है ?

श्री राजनारायण--यदि माननीय परिपूर्णानन्द जी आप को कुछ सिखलावें तो उससे अच्छा है कि उनको चाहिये कि वह खुद ही उठ कर पूछें। मैं तो कहता हूं कि जो "फूके घर आपना, चलै हमारे साथ।" मैंने बतलाया कि चाहे वह हमारी जमीन हो संपूर्णानन्द जी का बगीचा हो या परिपूर्णानन्द जी का कोई इलाका हो या कमलापति जी की ताल्लुकेदारी हो ; बिना किसी डिस्टिंक्शन के सब की जमीन ली जाय और मेरी जमीन जो कुछ भी हो वह पहले ले ली जाय। कुछ लोगों ने सदन में यह भ्रम डाल रखा है और खास कर मेरे लायक दोस्त ने कि मेरे पास काफी जमीन है। मगर मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि मैं गरीब हूं जिसको सच्चे मायने में.....

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--जो भाषण हो रहा है वह कहां तक संगत है, यह मैं नहीं समझता।

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वह इसके सम्बन्ध में ही अपने भाषण को सीमित रखें।

श्री राजनारायण--आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है। मैं समझता हूं और सदस्यों को भी यह शिरोधार्य होगी। यह जो ५६ में संशोधन आया है माननीय मंत्री जी को अच्छी तरह से यह समझ लेना चाहिये कि अब इस संशोधन विधेयक के जरिये से जमीन का बटवारा उसी दृष्टिकोण से जैसा हमने बतलाया है उसी दृष्टि कोण से बटवारा होना अवश्यम्भावी है। बिना जमीन के बंटवारे के यदि ऐसा संशोधन आयेगा तो उससे भला होने वाला नहीं है।

दूसरी बात इस संशोधन के सिलसिले में यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी की ख्वाहिश है कि सही मानों में जो जमीन का जोतने वाला है जमीन उसके पास रहनी चाहिये। आपने इस बात को सदन में और सदन के बाहर कहा है कि हमने सब को सीरदार बना दिया। मगर मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कानून वह सही जो मूर्त रूप में लोगों की मदद करे और मूर्त रूप में लोगों के पास पहुंचे। हर जिले में देखा कि बहुत से किसानों का नाम सीरदार हो गया उनसे लगान भी लिया जाता है। मगर वह जमीन उनके पास नहीं है। उसका कारण यह है कि पटवारी के जो कागज पुराने बने उस पुराने कागज में सीरदार का, उनको हक तो हो गया और उसके पास लिखित पहुंच गया कि तुम सीरदार हो गये मगर पटवारी के कागज में या लेखपाल के कागज में कैफियत के खाने में दूसरे का कब्जा लिख दिया है। उस कैफियत के खाने में जिसका कब्जा लिखा हुआ है उसने लाठी के जरिये से उस पर कब्जा किया हुआ है। उसके पास वह जमीन नहीं है। वह सीरदार बना हुआ है और उससे सीरदार का लगान भी वसूल किया जाता है मगर उसके पास जमीन का एक धुर भी नहीं है। यह व्यवस्था है या अव्यवस्था है ? माननीय मंत्री जी इसको चाहे जो भी कहें लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अव्यवस्था है और सरकार यह लूट कर रही है। मैं नहीं मानता हूं कि सरकार के पास यह खबर नहीं आती है। सरकार के पास खबरें आती हैं मगर वह अपनी मजबूरी को स्वतः समझ सकते हैं ; मैं तो उसको समझ नहीं पाता हूं कि क्या मजबूरी है। मगर

[श्री राजनारायण]

मुझे याद है। मैंने माननीय मंत्री जी को एक पत्र लिखा था और उसका जवाब भी मेरे पास है मगर मैं नहीं समझ पाता हूं कि उस जवाब के मुताबिक कहां काम लिया जाता है। अगर वह सीरदार लोगों को बनाना चाहते हैं कि जितने अधिवासी हैं वह सब सीरदार हो गये तो क्यों नहीं कानून में इस बात को ठीक-ठीक रख दिया जाता कि जो सही माने में ५६, ५९ में जमीन पर काबिज था और जिसका नाम लेखपाल के कागज में दर्ज है आगे चल कर चाहे किसी दूसरे का नाम लिख दिया हो तो वह नहीं माना जायगा? सरकार का दिमाग इसमें साफ होना चाहिये। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चय रूप से धारा लिखें कि ५६, ५९ में जिसका कब्जा था वह सब सीरदार हो गये। अगर किसी प्रकार से उसके कब्जे से वह जमीन निकल गयी है तो उस जमीन पर उसका कब्जा मिलेगा, वह जमीन उसे मिलेगी और उसके बाद मैं चाहता हूं कि सरकार की ओर से इसकी सफाई हो। मेरे मित्र पांडेय जी ने बनारस की भी चर्चा की। यह सही है और मैं इतमें लज्जित भी हूं कि हमने बनारस में वह आबहवा और जनशक्ति पैदा नहीं की कि सही खेत जोतने वाला उसका मालिक हो। हजारों की तादाद में एक एक परगना हाकिम की इजलास में जबरदस्ती दिलाये हुये इस्तीफे पड़े हुये हैं। आदमी इजलास में गया भी नहीं है, दूसरे लोग जाकर उसका इस्तीफा दाखिल कर देते हैं और कह देते हैं कि वह यहां आदमी है। दूसरे का दस्तखत भी बना दिया जाता है। जब मैं चल रहा था तो हमारे यहां का फागू चमार जो हरिजन मन्दिर प्रवेश में सत्याग्रही के रूप में आया था और जब वह गिरफ्तार नहीं हुआ तो वह हमारे पास आया और कहा कि उसे लोग जबरदस्ती कचेहरी ले गये, एक कागज पर दस्तखत करा लिये और कह दिया कि तुम्हारा इस्तीफा हो गया और खेत नहीं जोतने दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को वर्तमान विधेयक में जो वे सुधार चाहें उन्हीं पर बोलना चाहिये।

श्री चरण सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, अगर गुस्ताखी नहीं हो तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आपकी उदारता का प्याला भी भर गया है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)---मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। इस भूमि व्यवस्था विधेयक के संबंध में माननीय राजनारायण जी बार-बार हरिजन प्रवेश और मंदिर प्रवेश और सत्याग्रह की बात कर रहे हैं और जानबूझ कर ऐसे विषय को ला रहे हैं जिसका वह अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं।

(श्री राजनारायण ने खड़े होकर कुछ कहा)

मैं बोल रहा हूं तो वह कैसे खड़े होते हैं? उन्हें तमीज भी तो सीखनी चाहिये। मैं चाहता हूं कि आप कृपा करके उन्हें रोक दें।

श्री उपाध्यक्ष---मैं माननीय सदस्य से कह चुका हूं और उन्होंने किसी हद तक मेरी बात को मान भी लिया है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, आपकी बात वह जल्दी नहीं समझ पावेंगे। उनकी बुद्धि ही ऐसी है। मैं इस विधेयक के उद्देश्य और कारण को पढ़ता हूं। इससे यह मालूम हो जायगा कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वह इस विधेयक के अन्दर आता है या नहीं। इसमें लिखा है कि १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की कार्यान्विति के अध्ययन से जोतों की चकबन्दी योजना तथा निष्क्रांत कृषि भूमियों के प्रशासन के संबंध में कुछ दोषों और न्यूनताओं का पता चला है। तो इन दोषों को अगर हम नहीं बतावेंगे तो कौन बतावेगा? क्या उनकी परेशानियां हैं, उनको हम नहीं यहां रखेंगे तो कौन रखेगा? इसके आगे है कि "खातेदारों के लिये, जिन में से अधिकांश साधारण स्थिति के व्यक्ति हैं, माल न्यायालयों में मुकदमेबाजी करना अधिक सुविधाजनक और मितव्ययितापूर्ण होगा। इन तथा छोटी-छोटी कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन से यह विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है

तो मैंने आपके द्वारा यह कहा है कि इस विधेयक का स्कोप बढ़ा दिया जाय। अगर मैं अपनी बात नहीं रखूंगा तो कैसे सदन इसे ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में भेजने का समर्थन करेगा? कैसे स्कोप बढाने की बात करेगा?

श्री चरण सिंह--माननीय परिपूर्णानन्द जी के प्वाइन्ट आफ आर्डर का आपने कुछ जवाब दिया। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि क्योंकि उद्देश्य और कारण में यह लिखा है कि कुछ दोष है तो उन्हें दूर करने के लिये यह कानून लाया जा रहा है, लिहाजा वह सारे दोष गिनवा देंगे। तो मैं चाहता हूं कि इसके लिये आप अपनी व्यवस्था दे दें। जिन विशेष धाराओं का इसमें जिक्र है उन्हीं के ऊपर उन्हें बोलने का अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य से पहले भी कह चुका हूं कि जो सुधार वह चाहते हैं वे बतला दें।

श्री राजनारायण---यही तो मैं कह रहा हूं। एक चीज भी बाहर की नहीं कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--मंदिर सत्याग्रह इसके अन्दर नहीं आता है।

श्री राजनारायण---मंदिर चर्चा तो ऐसी हो गई है कि अब उनका दिल जानता है और अगर हमने थोड़ा कह दिया तो कोई बात नहीं है।

मैं यह कह रहा था कि आज गरीब किसान लूटा जा रहा है। अगर अधिनियम में यह बात साफ होती कि जो सीरदार हो गया और जिसका नाम ५६ और ५९ में था, जिसके कब्जे में जमीन थी वह सीरदार हो गया और आगे चलकर अगर कैफियत के खाने में लेखपाल जो कुछ भी लिख दें उसका कानून के हिसाब से कोई मतलब नहीं है तो यह मुकदमेबाजी नहीं होती। आखिर यह परेशानी इस अधिनियम की खराबी के कारण तो हो रही है। और जब मैं ऐसा चाहता हूं तो ट्रेजरी बैंचेज के लोग चाहते हैं कि मैं उन बातों को अच्छी तरह से स्पष्ट न करूं।

तीसरी बात यह है कि निश्चय रूप से मेरा मत है कि किसी भी दशा में अब यह मुकदमेबाजी नहीं होनी चाहिये। सरकार को स्पष्ट से ऐलान कर देना चाहिये कि जो इस्तीफे कचहरी में जाकर पड़े हुये हैं वह नाजायज माने जावेंगे और सन् ५९ में जिसका नाम दर्ज था और जो खेतिहर के रूप में शिकमी आसामी के रूप में खेत जोतता था उसी के पास जमीन रहेगी अगर सरकार ऐसा करती है तो हम समझेंगे कि सरकार किसान के साथ भलाई करना चाहती है। हमने इस्तीफा शब्द का प्रयोग किया है। मुझे ध्यान आगया, माननीय बेचनराम जी यहां इस समय नहीं हैं। ऐसा भी होता है कि लोग इस्तीफा नहीं दिलाते कोर्ट में। इस्तीफा शब्द का प्रचलन है इसलिये हमने उसका प्रयोग किया है। वे ऐसा करते हैं कि कचेहरी में जाकर उसका बयान दिलवाते हैं, चाहे वह झूठा हो या सही हो, मगर उससे ही कहलवाया जाता है कि हमारा नाम लेखपाल ने फरजी या गलती से लिख दिया है या इस खेत पर चढ़ा रखा है, यह खेत हमारे कब्जे में नहीं था, इसलिये हमारा नाम काटकर असली मालिक का नाम उसमें चढ़ा दिया जाय।

श्रीमन्, जैसी चर्चा अभी हुई कि अपने पापों को खूब धुलवाया जाता है, प्रायश्चित्त होता है। अब हमारे यहां खेत जोतने वाले शिकमी किसानों को जबरदस्ती डन्डे के जोर से कहीं-कहीं ऐसा भी सुना जाता है कि चारपाई पर उठा लिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य जिन अत्याचारों का वर्णन कर रहे हैं, उनका इस विधेयक से क्या संबंध है?

श्री राजनारायण---श्रीमन्, इसी का कारण है कि यह मुकदमेबाजी हो रही है नहीं तो यह मुकदमे हों ही नहीं। अगर वे विधेयक में यह रख दें कि १३५६ से १३५९ फसली में जिनके नाम का इन्दराज था या जिनके पजेशन में जमीन थी वह सीरदार हो गये और यदि आगे

[श्री राजनारायण]

की किसी भी कार्यवाही से जो उसके विरुद्ध जाती है, उसके हक पर असर पड़ता है तो वह नहीं मानी जायगी। वह मुकदमें नहीं होंगे न उनको दीवानी में जाना पड़ेगा और न माल विभाग में और जमीन उनके पास रह जायगी।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी और इस सदन के सम्मानित सदस्य समझ लें, क्योंकि यहां सही और सच्चे किसानों के प्रतिनिधि कम हैं, हम जब पहले यह कहते थे कि इन्दराज गलत है तो सरकार कहती थी कि उनमें गलती नहीं है। अगर इन्दराज गलत नहीं थे तो फिर ये दो तीन हजार दरख्वास्त कैसे पड़ी हुई हैं कि हमारा नाम फर्जी जोड़ दिया गया है, हमारा नाम काट कर असली स्वामी का नाम जोड़ दिया जाय? जब हम कहते थे कि इन्दराज गलत है तो सरकार कहती थी कि ऐसा नहीं है लेकिन अब खुले इजलास में दरख्वास्त दी जाती है कि इन्दराज गलत है और उन गलत इन्दराजों की बुनियाद पर सारे शिकमी आसामी जो सीरदार हो गये थे बेदखल किये जा रहे हैं। क्या यह कानून की दकियानूसियत नहीं है? अगर इस कानून के रहते हुये जो खेत जोतने वाले शिकमी आसामी हैं चाहे उनको आप सीरदार या भूमिधर या और कोई संज्ञा दें लेकिन अगर उनके पास जमीन नहीं रहती है तो वह उस संज्ञा को लेकर क्या करेगा? सरकार क्यों नहीं सीधे-सीधे आती है, क्यों नहीं ऐलान करती है कि कचेहरियों में जो इस तरह की दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं कि उनका नाम काट दिया जाय, उनका कोई असर नहीं होगा?

सरकार की ओर दूसरी से यह दलील दी जातीहै कि जब कोई आदमी अपने आप अपनी जमीन को छोड़ता हो तो फिर आप क्यों उससे जमीन जुतवाना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इस समय ऐसा कौन व्यक्ति मिलेगा जो यह कहेगा कि हम जमीन नहीं जोतना चाहते। ऐसे लोग मौजूद हैं जो यह कहते हैं कि हमसे जबरदस्ती दरख्वास्त दिलाई गई है। अगर ऐसा है तो उनके लिये इस विधेयक में कोई धारा क्यों नहीं रक्खी गयी है? कहां है ऐसी धारा इस विधेयक में? क्यों नहीं आप विधेयक में कहते हैं कि ऐसी दरख्वातें जो सीरदार कानून बनने के बाद कचेहरियों में आयी हैं नाजायज समझी जायंगी? क्या यह मैं कोई नाजायज या अनुचित बात कह रहा हूं? सरकार भी कहती है कि वह सीरदार बनाना चाहती है मगर सही मानी में वह डरती है और इसीलिये वह इन बातों को ब्योरे के साथ नहीं लाना चाहती। ऐसा करना उनका स्वभाव ही है। जब आजमगढ़ में बेदखली का सत्याग्रह जारी था तो सरकार के कर्मचारियों ने जबरदस्ती उन किसानों की फसलों को उठवा कर बड़े-बड़े ताल्लुकेदारों के घरों में रखवा दिया और वहां यह बात साबित हो चुकी है कि सही मानों में सरकार और उसके अफसर जो बड़े लोग हैं उनकी ही मदद करती है, गरीबों की वह मदद नहीं करती, हरिजनों की वह मदद नहीं करती, वह बेकवर्ड क्लालेज का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है, न वह मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है, वह आज उच्च मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है और उन का प्रतिनिधित्व रखते हुये ही वह कानून में इस तरह की घपले बाजियां रखते हैं जिस से उन में फंस कर हम परेशान हो जायं। मैं सरकार से पूछुंगा कि वह शिकमी किसान जो गरीब २ बीघे जमीन जोतकर सीरदार बना, उस को जमीन भी नहीं मिली और उस से लगान भी लिया जा रहा है, उससे कहते हैं कि माल विभाग में जाओ और माल विभाग हुक्म देता है हमसे कुछ मतलब नही, दीवानी में जाओ, कहां उसके पास पैसा है, इक्वैलिटी बिफोर ला है, कानून के लिये समानता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है और वह कचेहरी का भार सहन नहीं कर सकता, अदालतों में वह जा नहीं सकता और वहां से अपना हक और न्याय वह पा नहीं सकता। तो फिर इस कानून के रहते हुये गरीब जनता का और खेतिहरों का उद्धार कैसे हो सकता है? इसलिये यह इस नुक्तेनजर से ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में जाय इसके स्कोप को बढाते हुये।

इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा कि जोतो की चकबन्दी की जो बात है उसके संबंध में माननीय रामसुन्दर जी ने ठीक ही कहा है कि इस कानून के द्वारा बांधा जा रहा है। मान लें कि अब दो किसान हैं, एक के पास अगर ४-५ एकड़ जोत है और अगर दूसरे के पास सौ एकड़

जोत है तो वह पहला अपनी जमीन को सौ एकड़ वाले को बेचने के लिये बाध्य होगा और वह सौ एकड़ वाला उसको मजबूर करेगा कि तुम अपनी जमीन हमें ही बेचो। क्या यही न्याय है, यही हक है, इससे कैसे हक मिलता है ? मौर्य जी जानते हैं; वह किसानों से परिचित हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा प्रोविजन होना चाहिये कि २० एकड़ से ज्यादा किसी के पास न रहे लेकिन ऐसा कहीं नहीं है, जरा कानून की भाषा को पढ़िये, मैंने जो कहा है वह कहीं भी इसमें नहीं है। मैंने तो पहले भी कहा और अब फिर कहता हूं और दिमाग में इस चीज को पहले समझ लिया जाय कि पहले प्राविजन होना चाहिये कि एक हल बैल से जितनी जमीन बोई जोती जा सकती है उसकी तिगुनी या ३० एकड़ दोनों में से जो कम हो उससे ज्यादा जोत किसी भी परिवार के पास न रहे। इस नुक्तेनजर को आप ध्यान में रखें अगर आप यह पहली बुनियादी बात को छोड़ देंगे तो आप चक्कर में फंसते जायेंगे। अगर आप इस चीज को अब सन् ५६ में नहीं करेंगे तो अगले सात-आठ मास में जनता जबरदस्ती आप के ऊपर चढ़ बैठेगी और यह सरकार ही कानून बनाने के लिये यहाँ नहीं रहेगी। मैं तो एक तरह से इस सरकार का हित कर रहा हूं, मैं उसको आगाह कर रहा हूं, उसको बता रहा हूं कि वह सम्हल जाय। इसके बाद गाँव समाज के देय वसूली की कठिनाई की बात थी। जो लोग देहात से परिचित होंगे वे इस बात को जानते होंगे—हमारे श्री टीकाराम जी, श्री रामसेवक जी बतायेंगे कि यह दिक्कत अब तक है। पटवारी लेखपाल ने कागज बना दिया। कागज बना कर गाँव समाज को दे दिया कि यह बंजर भूमि गांव समाज को मिल गई। लेकिन मैंने स्वतः दो केस देखे हैं और पैरवी की है और पैरवी करने के बाद भी आखीर में जा कर नाकामयाब हुआ हूं। श्रीमन्, बनारस का मामला है। काशी विश्वविद्यालय के पास पंचकाशी सड़क आती है। उस पर एक बड़ा तालाब है, उसका एक बगीचा आप देखेंगे कि गांव समाज का हो गया है। उस पर लेखपाल ने नक्शा बनाया लेकिन एक बड़े भारी रईस जो कि वहां के अफसर थे उनसे मिले और एक रात में पोखरे को घेर लिया और जो उनका बंगला था उससे दरवाजा खुलवा दिया। उन्होंने कहा कि यह हमारा पोखरा है, हमारी जमीन है, हमारी इंटें लगी हुई हैं हमारे बंगले से रास्ता है। परगना हाकिम के यहां हाजिर हुये, जिलाधीश के दरबार में हाजिर हुये और सब के दरबार में हाजिर होते-होते जो आफिसर साहब मौका मुआयना करने गये उन्होंने कहा कि मेरा तो यही खयाल है कि यह बाबू साहब का ही पोखरा है क्योंकि उनके बंगले से ५० गज की दूरी पर कोई तालाब या बगीचा हो और उनका न हो, यह कैसे संभव है ? यह दे दिया फैसला, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सरकार के पास भी हमारी दरख्वास्तें होंगी। वे जाकर खुद क्यों नहीं देख लेते कि वह पंचकाशी सड़क है, बड़ा पुराना पत्थर लगा हुआ है और वहां यात्री देश के कोने-कोने से आते हैं और वे अब तालाब में स्नान नहीं कर पायेंगे क्योंकि पुराने ताल्लुकेदार अव्वल नम्बर के दरबारी हैं। ज्योंही कलेक्टर साहब का तबादला हो कर आया तो पहले वे पहुंचे। अब वह उनके कब्जे में चला गया है और तार वाले कांटे लग गये हैं। इसी तरह से ग्रांड ट्रंक रोड पर एक जमीन थी। बाकायदा नक्शा बन कर उसका मिला हुआ है। गांव समाज की यह बंजर जमीन है।

(इस समय ३ बजकर ५९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

लेकिन एक बड़े पुराने ताल्लुकेदार शाह साहब पहले देहात में नहीं रहते थे, शहर में रहते थे और शहर में रहते हुये देहात के जमींदार थे, यकायक एक रात को जा कर, श्रीमन्, उस तमाम जमीन का दावा किया। कुछ दाने बिखरा दिये और अब जो अफसर साहब वहां मुआयना करते हैं और कहते हैं कि यह तो खेत है, बंजर जबरदस्ती लिख दी है। पटवारी जबरदस्ती बंजर लिख दे तो हम क्या उसे बंजर मान लेंगे यह तो शाह साहब का खेत है। अब क्या हुआ, करीब पच्चीसों बीघों के दायरे में बड़ी भारी चहारदीवारी बन गई है। यह मजाक किया जा रहा है, जनता के हित के साथ खेल किया जा रहा है और आज ६ साल हो गये जमींदारी उन्मूलन कानून बने हुये। तब से बराबर इस सरकार से सादर साग्रह निवेदन किया, अर्जियां लिख कर दीं, प्रदर्शन किये, लेकिन यह सरकार सुनती नहीं। आपके द्वारा, श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से

[श्री राजनारायण]

पुनः निवेदन करूंगा कि कानून में दुविधा की भाषा नहीं रहनी चाहिये। कानून में सफाई की भाषा रहनी चाहिये और सफाई की भाषा में सही तरीके पर कहना चाहिये कि जो बंजर जमीन थी, जिसको लेखपाल ने बंजर लिख कर गांव समाज को दिया था अब वह जमीन गांव समाज की हो करके रहेगी। अगर किसी ने इस कानून के बनने के बाद उस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है तो उसका कब्जा नहीं माना जायगा। कहां इसमें हम पाते हैं कि यह बातें आ रही हैं? क्या यह छोटी-मोटी कठिनाइयां नहीं हैं? छोटी मोटी कठिनाइयां हैं। जब १९५० में संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुआ तो इस अवसर पर मैं सरकार से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो लगान में गड़बड़ी है, लगान की वसूली के तरीके में जो गड़बडी है उसमें भी संशोधन होना चाहिये यह कहा गया। उस पर सरकार की ओर से आश्वासन हुआ कि लगान समान होगा और लगान की व्यवस्था सम होगी। एक ही परगने में तीन तरह, दो तरह के लगान नहीं होंगे।

श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)---मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है, अध्यक्ष महोदय। माननीय राजनारायण जी ने यह समझ रखा है कि भूमि-व्यवस्था संशोधन का जो बिल आया हुआ है उसके जरिये से सरकार की नीति पर.....

श्री अध्यक्ष---आप का प्वाइन्ट आफ आर्डर क्या है?

श्री राधामोहन सिंह---जो यह कह रहे हैं इस बिल से वह संबंध नहीं रखता। इसलिये मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूं कि जो बिल के अन्दर प्वाइन्ट्स हैं उन्हीं पर उनको बोलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---इस वक्त जो बिल के सिद्धांत हैं, उन्हीं के ऊपर आप सीमित रह कर अपना भाषण करें।

श्री राजनारायण---जी हां, वही कर रहा हूं। मैं आपके द्वारा, श्रीमन्, माननीय सदस्य से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जरा एक बार उद्देश्य और कारण खुद पढ़ लें तो हमको भी परेशानी न हो और आपकी भी न हो। वह बीच में टोक कर यह चाहते हैं कि हमारी धारा टूट जाय। मैं यह निवेदन कर रहा था कि गांव समाज की देय की वसूली में भी कठिनाई हुई है। खुद उद्देश्य और कारणों में लिखा हुआ है। पता नहीं किस तरह से कितनी जमीन किस तरहसे ले लिये होंगे, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि गांव सभा का देय क्या है और क्या कठिनाइयां अनुभव हो रही हैं। उन कठिनाइयों के अनुभव का समाधान यहां कैसे है? समाधान नहीं है। बहुत से गांव समाजों के पास बड़े-बड़े तालाब हैं जिनमें मछलियां निकलती हैं, और गांव समाज एक वर्ष दो वर्ष, उसकी मछली भी बेंच चुका है। लेकिन दूसरे एक्स-जमींदार उस तालाब पर जबरदस्ती कब्जा करके जिनको मछली बेची उनसे कहते हैं कि रुपया हम को दो, उनको मत दो; ये कठिनाइयां हैं। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि हमने जो यह मोटी-मोटी बातें रखी हैं उनकी ओर वह और सरकार ध्यान दे। अगर सरकार ध्यान देगी और अगर यह विधेयक प्रवर समिति में लाया जाय, इसके स्कोप को बढाते हुये, एक महीने के अन्दर इसकी रिपोर्ट पेश हो, तो मैं समझूंगा कि सही मानो में जनता का कुछ हित सरकार कर पायेगी और यदि सरकार हठवादिता का परिचय देगी और कहेगी कि नहीं यह संशोधन विधेयक हर हालत में इस समय विचाराधीन होगा ही और इसको कानून की शक्ल भी दिया जायगा ही तो मैं आपके द्वारा, श्रीमन्, निवेदन करना चाहूंगा जैसे हमने पूर्व अवसरों पर भी निवेदन किया है कि सरकार को परिस्थितियां फिर बाध्य करेंगी और सरकार फिर कोई न कोई विधेयक इस सदन में लायेगी। अब इस सरकार के दिन पूरे हो चुके हैं। अंतिम समय में मैं चाहता हूं कि कुछ श्रेय लग जाय इस सरकार के हाथ में। इसलिये आपके द्वारा, श्रीमन्,

मैं इतना समय लेकर के इस सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि इन बातों को जमीन के बटवारे को, अधिक से अधिक जोत की ३० एकड़ की सीमा की बात को, जब से सीरदारी का कानून बना उसके बाद जितनी अर्जियां, दरख्वास्तें, इस्तीफे पड़े हुये हैं, उन तमाम इस्तीफों को गैरकानूनी मानने की और जिनके नाम सीरदारी भी हो गई है उनसे लगान भी लिया जा रहा है और उनके कब्जे में जमीन नहीं है तो वह जमीन भी उनके कब्जे में दिलाने की यह सारी की सारी बातें यहां आनी चाहिये, इसको वह ले आवे और जब तक यह बातें नहीं आयेंगी तब तक निश्चित माने में चाहे यह सरकार संज्ञा का प्रयोग करे, मैं हमेशा यही कहूंगा कि यह सरकार की नीति किसान-हित विरोधी नीति है, जनहित विरोधी नीति है। यह सरकार कानून में दुविधा की भाषा रखकर किसानों और गरीब जनता की जिन्दगी पर कुठाराघात करना चाहती है । इन शब्दों के साथ मैं फिर निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को मान ले ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि जो हमारी चकबंदी हो तो फिर भी हस्तांतरण द्वारा वह चकबंदी व्यर्थ न हो जाय इसलिये जो भी व्यक्ति अपना भाग या कोई टुकड़ा हस्तांतरित करना चाहे तो अपने पड़ोस के चक वाले को ही हस्तांतरित करे। इससे यह बात होगी कि जो भी टुकड़ा हस्तांतरित होगा वह दूसरे चक में शामिल होकर के पूरा चक बना रहेगा। लेकिन अगर वह टुकड़ा है यानी ३ १/८ एकड़ से कम भूमि है अगर उसको कोई हस्तांतरित करना चाहता है तो फिर पूरे का पूरा हस्तांतरित होगा। इससे यह लाभ होगा कि फिर वह चक ज्यों का त्यों बना रह जायगा। लेकिन हमारे भाई माननीय रामसुन्दर पांडे जी ने इसका विरोध किया है और यह कहा है कि हस्तांतरण पर कोई प्रतिबन्ध न होना चाहिये। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि वह इसका क्या उपाय बताना चाहते हैं कि जो चकबंदी होगी और फिर उस हस्तांतरण से जो चकबंदी नष्ट होगी उसके लिये दूसरा क्या प्रबंध हो सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल सही है और इस चीज को पहले लाया भी नहीं जा सकता था जैसा कि माननीय राजनारायण जी ने कहा कि यह चौथा संशोधन इस समय क्यों उपस्थित किया गया, तो मैं उनको यह बतलाना चाहता हूं कि इसलिये भी इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी कि जो चकबंदी होने के बाद हस्तांतरण हो उससे चकबंदी को नष्ट होने से कैसे बचाया जा सके। चूंकि चकबंदी कानून उस वक्त नहीं बना था या उसकी क्रिया नहीं हो रही थी उस वक्त इसलिये यह एक नयी चीज अनफोरसीन थी पहले। अब उसको इस विधेयक के जरिये से दुरुस्त किया जा रहा है। लेकिन मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो खंड ७ में व्यवस्था की गयी है इसके सम्बन्ध में आपके द्वारा माननीय उपमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह धारा पूरी नहीं हो पायी है क्योंकि इस धारा में १६८—क की उपधारा (२) में जो यह कहा है कि हस्तांतरण वायड होगा तो फिर उसके कांसीक्वेंसीज क्या होंगे यह बात इसमें नहीं रखी गयी।

जहां तक अगर कोई चक वाला भूमिधर हस्तांतरण करता है तो उसके लिये प्रतिबन्ध धारा १५४ मूल अधिनियम में यह है कि ३० एकड़ से ज्यादा के रखने पर ही वह रद्द किया जा सकता है। जिसके पास उससे कम है, उसके हक में अगर हस्तांतरण हो तो वह वैध होता है, उसके खिलाफ करने पर ही वह रद्द किया जा सकता है। इस तरह से धारा १६३ में यह है कि कोई सीरदार या असामी अगर हस्तांतरण करे तो दोनों बेदखल कर दिये जायेंगे गांव सभा के वाद करने पर। इस हस्तांतरण के बारे में जो कि चकबंदी को नष्ट होने से रोकने के लिये इस धारा के द्वारा रखा गया है अगर वायड हो गया तो क्या उसके कांसिक्वेंसेज होंगे, यह बात पूरी नहीं होती है और वायड हो गया। किसी ने कर दिया, वायड हुआ। लेकिन फिर वह बेदखल हो जायेंगे या गांव सभा उसका वाद प्रस्तुत करेगी, या फिर जिसका है उसी के पास रह जायगा। इसका कोई क्लियर समावेश नहीं किया गया है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि उसे गौर से देख लें। मैंने अच्छी तरह से देखने का प्रयत्न किया है, इसलिये उसमें कोई न कोई सरकार की तरफ से सुधार आना चाहिये।

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

जहां तक सीरदारी के वाद जो होंगे वह कलक्टरी की अदालत में होंगे, यह बात पिछले संशोधन के समय भी और इसके पहले भी कही गयी थी। सरकार से निवेदन किया था बहुत से लोगों ने कि सीरदारी के मुकदमे अदालत कलक्टरी में होने चाहिये, लेकिन उस वक्त यह बात मानी नहीं गयी थी। लेकिन जो कठिनाइयां उपस्थित हुयीं, अदालत दीवानी में सीरदारी की नालिशात हुयी और उसमें इस तरह के जवाब लिये गये कि सीरदार नहीं है, असामी है तो उसके ईश्यूज ट्रांस्फर हो गये अदालत कलक्टरी को। गलत तरह के कम्पलीकेशंस पैदा हुए। अब अदालत कलेक्टरी में सीरदारी के मुकदमे होंगे, यह व्यवस्था इस विधेयक के जरिये की गयी है और मैं उसका स्वागत करता हूं। जो बात पहले नहीं मानी गयी थी, अगर वह पहले ही मान ली जाती तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद, अगर अब भी इस विधेयक के जरिये से संशोधन किया गया कि सीरदारी के मुकदमे अदालत कलेक्टरी में होंगे तो इससे कठिनाई दूर होगी। तो इससे स्पष्ट हो गया कि अब भूमिधरी के मुकदमे दीवानी अदालत में और सीरदारी के, चाहे वह पहले के हों या अधिवासी से बने हों, सब अदालत कलक्टरी में होंगे और इससे दिक्कत रफा हो गयी।

धारा २१२ में पोखरा को जोड़ दिया गया है, उसमें तालाब तो पहले से था, लेकिन यह दिक्कतें शायद सरकार को महसूस हुई और उसके नोटिस में यह बात आयी कि कहीं-कहीं पोखरों पर अदालतों ने एतराज किया कि तालाब नहीं है पोखरी है, इसलिये २१२ के अन्दर उस सवाल को उठाने का उसको हक नहीं है, इसलिये इस कठिनाई को दूर करने के लिये यह जोड़ दिया गया। पहले गांव सभा को उस धारा २१२ में वाद प्रस्तुत करने का अधिकार था, लेकिन बाद में संशोधन के जरिये कलेक्टर को भी यह अधिकार दे दिया गया। लेकिन मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस प्रदेश में आज तक कलेक्टर के द्वारा कितने मुकदमेदायर हुये किसी तालाब या पोखर के बारे मे जोकि गांव सभा का तालाब या पोखरा होना चाहिये था और जिस पर कि दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा है। आया भूतपूर्व जमींदारों ने कब्जा कर रखा है, या भूतपूर्व मध्यवर्तियों या उनकी तरफ से दूसरे आदमियों ने या किसी ट्रेस्पासर ने। मैं तो जहां तक समझता हूं कोई भी मुकदमा कलेक्टर की तरफ से आज तक दायर नहीं हुआ। अगर हुआ हो तो वह माननीय मंत्री महोदय सदन में बतलाने की कृपा करें। मैंने स्वयं अपने जिले में देखा है कि बहुत से तालाब और पोखरे जो निहित होने के दिनांक पर गांव सभा को मिलने चाहिये थे उन पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा है और भूतपूर्व मध्यवर्तियों ने तोड़कर, खेत बनाकर दूसरे लोगों को दे दिया है और कब्जा कर लिया है और आज तक गांव सभा का अधिकार उन पर नहीं हो पाया है। स्वयं मेरे गांव में ऐसा एक तालाब है जिसकी बाबत मुकदमा चल रहा है और जिसके लिये इस बात की काफी कोशिश की गयी कि गांव सभा की मिल्कियत वह बनी रहे। चूंकि दीवानी अदालत में मुकदमा है इसलिये उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं लेकिन यह बतलाना चाहता हूं कि सन् ५२ में जमींदारी उन्मूलन हुआ। आज सन् १९५६ है और अभी तक उसके बारे में निर्णय हो सका है। उसमें मैं भी चाहता था कि जो सही बात है वह आ जाय लेकिन आज तक वहां जब कुछ नहीं हो पाया तो बहुत से गांवों में जो गांव सभाओं के सभापति हैं या सदस्य हैं उनके लिये मुकदमा लड़ना, या ऐसे मध्यवर्तियों के मुकाबिले में खड़े होकर पैरवी करना असम्भव होता है क्योंकि सभापति लोगों की यह व्यक्तिगत चीज तो होती नहीं और गांव के प्रतिनिधि के नाते सारा झगड़ा अपने ऊपर मोल लेना ठीक नहीं समझते। अगर कहीं किसी सभा ने ऐसा झगड़ा मोल लिया भूतपूर्व मध्यवर्ती से तो उसको उसकी वजह से काफी क्षति उठानी पड़ी और वह काफी परेशान किया गया।

मैं स्वयं जानता हूं कि आज गांवों में बहुत से पोखरे के झगड़े चल रहे हैं। मेरे गांव के तालाब के सम्बन्ध में मेरे खिलाफ भी एक कंटेम्प्ट आफ कोर्ट का मुकदमा हाईकोर्ट में दायर हुआ उसी भूतपूर्व मध्यवर्ती की तरफ से, और हालांकि वह मुकदमा हाईकोर्ट म खारिज हुआ और उसमें डिग्री भी खर्चे के लिये दी गयी लेकिन उसकी वजह से मुझे कितनी परेशानी उठानी

पड़ी और उसमें जो इंटरेस्टेड लोग थे उसमें उन लोगों ने काफी मदद की। तो ऐसी सूरत गांव सभा के बारे में हो सकती है। जहां तालाब पोखरी का भी कोई प्रश्न गांव समाज का हो जिसपर दूसरे लोगों ने नाजायज कब्जा किया है और इस तरह के कब्जे बहुत ज्यादा है। तीन वर्ष की जो मियाद है कि उसके अन्दर अगर गांव सभा की सम्पत्ति पर किसी ने कब्जा कर रखा हो तो नालिश हो सकती है, वह वक्त भी खत्म हो गया और बहुत से गांव सभाओं ने नालिशें भी नहीं की हैं जब कि गांव सभा की प्रापर्टी पर ट्रेसपासर्स लोगों का गलत तरीके से कब्जा है तो इसलिये सरकार को जहां तक गांव सभा की प्रापर्टी का सम्बन्ध में है उसको सोचना चाहिये कि कैसे उस गांव सभा की प्रापर्टी की रक्षा हो। उसमें अगर मियाद खत्म हो गयी है तो उस मियाद को भी सरकार बढ़ाये क्योंकि गांव सभा में अभी तक ताकत नहीं हुयी है और उसके पास फंड भी नहीं है और गांव सभा के सभापति हिम्मत नहीं कर पाये कि नालिश कर सकें। मियाद खत्म हो जाय तो इसका मतलब यह है कि जो लोग खेत पर नाजायज तरीके पर कब्जा कर रहे हैं उनका कब्जा बना रहे और उनको मिल्कियत हो जाय। इतना ही नहीं बल्कि माननीय मंत्री महोदय ने जो दरख्वास्त देने का प्राविजन किया है कि जिलाधीश के यहां गांव सभा दरख्वास्त दे दे, ऐसी जायदाद के बारे में जहां पर गांव सभा की सम्पत्ति हो और दूसरों ने कब्जा किया हो, तो जिलाधीश उसको देख करके तय कर दे, वह तो ठीक है, लेकिन बहुत से मुकदमे अदालत दीवानी में जो तय होने वाले नहीं हैं उसमें विशेष रूप में जिलाधीश को आदेश जारी करने के लिये प्राविजन होना चाहिये कि वह उचित मामलों की तहकीकात करावे। जो गलत तरीके पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं उन सबकी तहकीकात करा कर सरकार की तरफ से सारे मुकदमे दायर हों तथा उन गलत आदमियों से जमीनों को वापस लिया जाय और वे गांव सभाओं के कब्जे में दी जायं।

अध्यक्ष महोदय, इसमें एक संशोधन धारा २४६ में सीरदार की मालगुजारी की बाबत आया है। सीरदार की मालगुजारी के लिये यह विधान पहले से है कि जो अधिवासी से सीरदार बने हैं अगर उनकी मालगुजारी रोस्टर रेट के दुगने से ज्यादा होगी तो वह रोस्टर रेट के दूने के बराबर कर दी जायगी और अगर वह रोस्टर रेट के दूने से कम है तो जितनी है उतनी ही रहेगी। जमींदारों और दूसरे काश्तकारों ने समय-समय पर जब अपनी जमीनें छोटे, गरीब किसानों को लगान पर उठायीं तो वह लगान काफी बढ़ा हुआ था। उसको सरकार ने कृपा करके रोस्टर रेट के दूने तक किया। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ भूमिधर या सीरदार ऐसे हैं जिनके लगान की दर उनकी जमीन की हैसियत से बहुत कम है और ऐसे सीरदार जिनको लगान की दर उनकी जमीन की हैसियत से कहीं ज्यादा है उसमें तारतम्य होना चाहिये। जब हमने एक तरह की नौयत कर दी तो जमीन की मालगुजारी में भी जो इतना अन्तर है उसको दुरुस्त करना चाहिये क्योंकि यह शोभा की बात नहीं है कि जमीन की हैसियत के खिलाफ मालगुजारी की दरें हों। जो भी मालगुजारी निर्धारित की जाय उसमें सरकार अगर इस तरह का कोई कदम उठाये तो वह जनता के हित में होगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि जो छोटे खाते वाले लोग हैं, जिनकी अलाभकर जोतें हैं उनके खेतों की मालगुजारी माफ होनी चाहिये। यह मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, यह तो हमारा कमिटमेंट है। फैजपुर में कांग्रेस का यह प्रस्ताव पास हो चुका था कि अलाभकर जोतों की मालगुजारी माफ हो।

श्री चरण सिंह—कराची में।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने मुझे दुरुस्त किया, तो मैं अपने को करेक्ट किये लेता हूं। सन् ३६ में कांग्रेस के मैनीफेस्टो में भी यह बात कही गयी थी कि छोटे खातों की मालगुजारी कम की जायगी और अलाभकर की जोतों मालगुजारी माफ की जायगी। पहले सवा छः एकड़ अलाभकर जोत मानी गयी थी। लेकिन अब जो छोटे टुकड़े हैं, जैसा कि टुकड़े की परिभाषा में लिखा है वह ३ १/८ एकड़ है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जो टुकड़े हैं उनकी मालगुजारी सरकार माफ करे। आप स्वयं देखें श्रीमन्, कि ५ बीघे में कोई किसान क्या अपना पेट भर सकता है,

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

क्या अपने बच्चों को कपड़े पहना सकता है और क्या अपने लड़कों को पढ़ा सकता है, और क्या अपनी और जरूरतों को पूरा कर सकता है ? किसान खेत का मालिक है। सरकार मालगुजारी के रूप में जो लेती है वह तो सरकार इन्तजाम के लिये लेती है। तो ऐसे छोटे और गरीब किसानों की मालगुजारी माफ होना ही न्याय है। पहले तो मैं यह समझता हूं कि माननीय माल मंत्री जो इन गरीब किसानों की स्थिति को समझते हैं, उनकी कठिनाइयों को जानते हैं। शायद उनके दिल में उनकी तरफ कुछ हमदर्दी है उसका इजहार करें और मेरी बात मान लें, ऐसी हमें आशा थी लेकिन उनके सामने दिक्कत जरूर है कि मालगुजारी का जो नुकसान हो जायगा उसको सरकार बरदाश्त करना नहीं चाहती है। मुझे आशा जरूर थी कि वह इस पर गौर करेंगे जबकि हमारी कांग्रेस ने इस बात को अपने मैनीफैस्टों में माना था और उसका निर्णय किया था लेकिन अब मुझे आशा दिखायी नहीं दे रही है क्योंकि इस सरकार की अब नीति यह हो गयी है कि रुपये की कमी की वजह से प्रोहीबीशन बंद नहीं किया जा सकता है। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि रुपये की कमी की वजह से प्रोहीबीशन लागू नहीं कर सकते हैं और जब हम देखते हैं कि रुपये की कमी की वजह से नमक पर भी टैक्स लगाया जा रहा है, तो हम यह आशा छोड़ देना चाहते हैं जो हम माननीय मंत्री जी से आशा करते थे कि वह कम से कम अलाभकर जोतों से मालगुजारी हटा देंगे और गरीब किसानों को इससे मुक्त कर देंगे।

श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मौजूदा विधेयक में जो बातें मैंने कही हैं उसकी तरफ माननीय मंत्री महोदय ध्यान देने की कृपा करेंगे। धारा ७ का जो मैंने जिक्र किया मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय उसको देख लें। मैंने प्रस्ताव रख दिया है लेकिन वह छपा नहीं है और अगर उसमें कमी हो तो उसको वह पूरा करने की कृपा करेंगे।

इसके अलावा बहुत सी बातें विरोधी पक्ष की ओर से कही गयी हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक की खामियों को दूर करने की ओर सरकार का ध्यान आगे बढ़ा है। जैसे इवैकुई प्रापर्टी थी उसमें पहले यह था कि वह २० गुना जमा करें और अपनी जमीन के भूमिधर हो जायं और इसके लिये एक वर्ष की मियाद थी और वह खत्म हो गयी। अब ३० सितम्बर १९५६ तक मियाद रखी गयी है और २० गुने के बजाय केवल १५ गुना कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि जिन किसानों के पास इवैकुई प्रापर्टी थी उनके लिये यह विशेष सुविधा की गयी है और उनके साथ एक रियायत की गयी है। इसलिये इसमें ऐतराज करने की कोई बात नहीं है।

माननीय राजनारायण जी ने इस सम्बन्ध में इस कमी की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है कि इस विधेयक में जमीन के हस्तांतरण या बटवारे की ओर कि किसके पास कितनी जमीन रहे इसकी कोई धारा नहीं रखी गयी है। मैं समझता हूं कि यह इस विधेयक के स्कोप के बाहर की चीज है और जमीन के बटवारे का प्रश्न इसमें नहीं आ सकता है। अगर उनको यह करना है तो वह स्वयं अलग से अपना विधेयक ला सकते हैं। इसमें यह चीज कहीं नहीं बैठती है। मैं नहीं समझता हूं कि इसको प्रवर समिति के पास जाने की कोई आवश्यकता है। जहां तक इसके प्रवर समिति में जाने का सवाल है कि इससे खामियां दूर हो जायंगी तो उसकी तरफ कोई ध्यान आकर्षित नहीं किया गया है। जहां तक यह कहा गया कि बड़े बड़े लोग इससे नाजायज फायदा उठा लेंगे और सामुदायिक तरीके पर उसमें फलोद्यान वगैरह के लिये जमीनें ले लेंगे, तो उस के लिये मैं माननीय श्री राम सुन्दर जी से कहना चाहता हूं कि वह तो उनके लिये घातक होगा। क्योंकि सामुदायिक उद्यान लगाने वाले व्यक्ति को कोई राइट उसमें सीरदारी का नहीं होगा, वह तो असामी रहेगा, जैसे टैंगिया रीति से कोई वन लगाने की व्यवस्था है तो सीरदारी का अधिकार उसमें रोकने के लिये और उसी तरह से म्युनिसिपैलिटी का कूड़ा करकट डालने के लिये जरूरत पड़ती है कि जिससे लिया जाय। उसमें सीरदारी

का हक हो जाय, उसको रोकने के लिये यह धारा रखी गयी है । मैं समझता हूं कि इसमें कोई एतराज की बात न होगी ।

तो यह जो विधेयक है, इसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इसमें जो छोटी-मोटी कमी रह गयी है उसको सुधार लिया जायगा ।

श्री शिवनारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक हमारे सामने है और उसमें जो विरोधी दल का यह प्रस्ताव है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय, मैं उसका विरोध करता हूं । माननीय राजनारायण जी ने स्वयं कहा कि सरकार इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दे और वह एक महीने में इसको वापस भेजे । हम तो इससे भी जल्दी करना चाहते हैं और इसको यहीं खत्म कर देना चाहते हैं । मैं उनसे चार कदम आगे हूं । वह एक महीने की बात करते हैं और मैं चार दिन की, अब कौन आगे है इसका फैसला यहां बड़े-बड़े मैथमिटीशियन और वकील बैठे हैं, वह स्वयं ही कर लें । श्रीमन्, कहा जाता है कुछ और किया जाता है कुछ और । इस विधेयक के सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि अधिवासी जो जमीन जोतते थे, उनकी जमीनों को जिन्हों ने हड़पा है उनके लिये सरकार कुछ नहीं कर रही है । मैं सरकार के अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि उन्होंने ढाई-ढाई सौ एकड़ जमीन तक एक-एक साल में छीनी है और वह बैठे हैं जमीन दबाये हुये और उनकी चेकिंग नहीं हो रही है । वह अधिकारी पहले अपने दिल पर हाथ रख कर देखें । वह अपने विभाग में ही कुछ नहीं देखते ।

माननीय राजनारायण जी ने कहा कि बनारस के लोगों के पास अच्छी-अच्छी कोठियां हैं, अगर वह हममें बंट जायं तो बहुत अच्छा हो । मैं सब से खुश होऊंगा कि अगर धन और धरती बंट जाय और इससे सब से ज्यादा फायदा हम चमारों को होगा, लेकिन कोई बांटता नहीं है । इसलिये मैं इस पर एतराज करता हूं । मैं कहता हूं कि 'डू आर डाई' करो या मरो । तो मैं कहूंगा कि सरकार भी इस पर ध्यान दे और अपने अधिकारियों से कहे कि क्या हो रहा है । मान्यवर, मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि गांव में आज पुराने ताल्लुकेदारों और जमींदारों का तालाबों आदि पर बड़ा दबदबा है । और इस सम्बन्ध में सरकार को अपने कवानीन पर अमल कराना चाहिये । वह जमीन चाहे श्री शिवनारायण की हो, श्री राजनारायण जी की हो या श्री संपूर्णनन्द जी की हो, वह सब गांव समाज को मिलनी चाहिये, यह नहीं कि करता करता बहुत मिला, गहता मिला न कोय" । मैं श्री राजनारायण जी से कहना चाहता हूं कि अमल कीजिये, शिक्षा मंत्री पर यह किसी और पर अटैक किया जाय यह बात ठीक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—आप संगत रहें, असंगति का जवाब असंगति नहीं है ।

श्री शिवनारायण—आप कहते हैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन जमीन की कमी बहुत है । मैं राजनारायण जी से कहना चाहता हूं कि वह जमींदार हैं, बड़े आदमी हैं, वह अपने दामन को देखें कि वह क्या कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—आप बिल की तरफ जाइये, उनकी तरफ़ नहीं ।

श्री राजनारायण—अगर हम दूसरी तरफ़ जा रहे हैं तो सरकार को चाहिये कि हमारी जायदाद छीन ले ।

श्री शिवनारायण—मैं भी वही चाहता हूं । हम तो बिना खेती बारी के थे, हल जोतत थे, लोगों की खेतीबारी करते थे । वह तो पटवारी की मेहरबानी से कहीं, कहीं एक दो बीघा नाम में लिख गया, लेकिन देहात में आज भी बड़े लोगों का डंडा चल रहा है । तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप गरीब किसानों की मदद कीजिये । जो छोटे खेत वाले हैं उनके लिये जैसा मौर्य जी ने कहा कि उनका लगान माफ कर दीजिये,

[श्री शिवनारायण]

मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। जो खेत जोते उसका लगान उसको देना चाहिये और लगान में समता होनी चाहिये। आज सरकार ने १० गुना लेकर भूमिधर बना दिये हैं और सीरदार को भी भूमिधर बना दिया गया है, इससे गरीब किसानों को बहुत लाभ हुआ है। तो मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग मान्यवर शोर करते हैं उन पर चेकिंग होनी चाहिये। मैं अपनी सी० आई० डी० से पूछना चाहता हूं कि वह क्या करती है? उसको जाकर देखना चाहिये कि क्या ज्यादतियां हो रही हैं? उन लोगों को देखना चाहिये जो रास्तों को खराब कर रहे हैं, सरकार को उसका प्रबन्ध करना चाहिये। जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिये। लोगों को बड़ी दिक्कतें होती हैं जब माल विभाग के मामले दीवानी में भेज दिये जाते हैं। लोगों के पास पैसा नहीं है कि वे दीवानी में जायं और वहां पर मुद्दत तक लड़ते रहें। वहां पर लोगों को ६ महीने लग जाते हैं। वकील लोग इसके लिये कहते हैं कि तुम्हारे कानून पूरे नहीं हैं सब अधूरे हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि वह माल विभाग में लाये जायं। माल विभाग में लोगों को सुविधा होगी। जो भी गलती हो उस को सुधारना चाहिये। जहां पर गड़बड़ है वहां पर खेतों को ठीक करना चाहिये। जहां पर जरूरत हो नया कानून बना कर लोगों की कठिनाइयों को दूर किया जाय। इसलिये मैं विरोधी दल के लोगों से अपील करूंगा कि आप का सजेशन अच्छा होना चाहिये। बनारस की मन्दिर की बात कहने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। हरिजनों के लिये आपने चैलेंज किया, जब कांग्रेस की पुकार होगी तो हम देश के लिये आगे आयेंगे और अपना कर्त्तव्य पालन करेंगे।

मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि माननीय मंत्री जी खेत दिलायें और इसका मुनासिब तरीके से कलेक्टर को अधिकार दें कि उसके पास दरख्वास्त पहुंचते ही वह तुरन्त कार्यवाही करे। हम सरकार से यह कहना चाहते हैं कि हमारा पैसा बचाया जाय। मामूली बात पर पैसा खर्च करना उचित नहीं है। हमारे भाई करते हैं खुद इस तरह की बातें लेकिन कहते हैं सरकार को। जो भी बात कही जाय उस पर अमल किया जाय। यदि आप सरकार को थ्रो आउट करना चाहते हैं तो जनता के बीच में जा कर कहिये। कोई शक्ति नहीं है कि जो हमको हमारे लक्ष्य से हटाये। आप तो आपस में ही इस तरह से लड़ा करते हैं। वह पहला बिल ठीक नहीं था यह ठीक है। इन शब्दोंके साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री ब्रजबिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े गौर से इस बिल पर हुए भाषणों को सुनता रहा हूं। माननीय राम सुन्दर जी ने तो कुछ बातें ऐसी भी कहीं हैं जिनका कुछ सम्बन्ध इस विधेयक से था मगर माननीय राजनारायण जी ने तो कई दिनों के बाद सदन में भाषण दिया है, उन्होंने एक भी बात इस विधेयक से संबंध रखने वाली नहीं कही है। जैसा वक्त बे वक्त भूमि के बटवारे का प्रश्न वह उपस्थित करते हैं वही उन्होंने फिर दुहरा दिया और इसी तरह से माननीय मौर्य जी ने भी अलाभकर जोतों का सवाल उठा दिया। अगर इस बिल के उद्देश्य और कारणों को देखा जाय तो मालूम होगा कि क्यों इस विधेयक को लगाया गया है। जोतों की चकबन्दी की योजना कार्यरूप में परिणत की जा रही है उसके लिये क्या व्यवस्था होनी चाहिये, इस सम्बन्ध में कानून बनाने की आवश्यकता है। अगर चकबन्दी बीच में हो गई और उसके बीच में बैनामे का अधिकार दे दिया गया और कोई लिमिटेशन न रखा गया तो वह व्यक्ति चाहे जिसे बैनामा कर दें, इस तरह से तो चकबन्दी का सिद्धांत ही समाप्त हो जायगा। इसे हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। निष्क्रान्त भूमि के सम्बन्ध में बड़ी कठिनाई पड़ती थी। हम सरकार को बधाई देना चाहते हैं कि आज उन्होंने यह कर दिया कि उस भूमि के सम्बन्ध में अधिकार प्राप्त कर सकता है। कुछ मियाद भी बढ़ा दी गई है कि सितम्बर, सन् ५६ तक लोग १५ गुना जो जमा कर के अधिकार प्राप्त कर सकते हैं यह भी सराहनीय कार्य है, इससे लोगों की परेशानी दूर होगी। दीवानी अदालतों में सीरदारी के मुकद्दमे

मुद्दत तक चलते रहते थे और वर्षों की तारीख़ लगती थी और लोग परेशान होते थे। पहले भी हम लोगों ने इस बात के लिये प्रयत्न किया था, माननीय राजस्व मन्त्री जी के समक्ष इस बात को रखा था कि सीरदारी के मामले अदालत माल में ही देखे जावें परन्तु उस समय किसी कारण से वे बातें स्वीकार नहीं की गई थीं, माननीय मन्त्री महोदय ने अब इसे स्वीकार किया है, इस सम्बन्ध में इस विधेयक में शर्त रख दी गयी है, कि वह बहुत ही उत्तम कार्य है। हम इसके लिये माननीय राजस्व मंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं।

माननीय राजनारायण जी ने कहा कि इस विधेयक का स्कोप बढ़ाया जाय और इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। मैं समझता हूं कि यह एक छोटा सा विधेयक है, जो १६, १७ खण्डों का है और बहुत ही मोटी-मोटी बातें इसमें हैं, उसके लिये सेलेक्ट कमेटी में भेजना आवश्यक नहीं है। सदन का समय बेकार बरबाद करना भी उचित नहीं है। जो संशोधन हैं उन पर यहां विचार हो सकता है और यह सदन उन पर निर्णय ले सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय राजस्व मंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और जो प्रस्ताव इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजने का है, उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह जो भूमि व्यवस्था संशोधन विधेयक माननीय मंत्री जी ने सदन के सामने उपस्थित किया है कि जो इस विधेयक में कमियां, दोष और कठिनाइयां रह गई हैं उनको दूर करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। श्रीमन्, यों तो माननीय मंत्री जी अपने को एक निपुण कृषि पंडित समझते हैं लेकिन श्रीमन्, मैं कहता हूं कि वे ऐसे पंडित हैं जैसे एक किसान का लड़का था। जो देहात का था। वह कहीं बाहर गया और बाहर के देश में जाकर सारी विद्यायें उसने अध्ययन की। घर आया। उसके घर वाले अनपढ़ थे। संयोग से घर में वह बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने के बाद जब उसको प्यास लगी तो पानी मांगने के बजाय वह "आब आब" कह कर पानी मांगने लगा। वह आब-आब कहता कहता मर गया लेकिन घर का कोई उसको पानी नहीं दे पाया। उसी प्रकार से माननीय मंत्री जी किसानों की हालत को अच्छी तरह से जानते हुए भी, किसानों की सारी शिकायतों को जानते हुए भी, वह पढ़ लिख कर ऐसे पंडित हो गये हैं कि ऐसा कानून बनाते हैं जिससे नुक्सान होता है। अब तक जितने कानून किसानों के हित को सोच कर उन्होंने बनाये हैं, सचमुच उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार किसानों की हित की बात सोची है और कानून बनाया है, लेकिन वह कानून देहात में जाकर बिलकुल उल्टा हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय, वह कानून बहुत से ऐसे हैं जो हमारे माननीय सदन के सदस्य भी बहुत से नहीं समझ पाते। शुरू-शुरू में उन्होंने बेदखली को रोकने का कानून बनाया लेकिन लाखों किसानों के खाते उसमें बिक गये और मुकदमा लड़ते-लड़ते उनके घर भी बरबाद हो गये। उसे सब तरह की परेशानियां हुईं लेकिन उनके खाते वापिस न हो सके। भूमिधर बनने के लिये उसने घर की धन दौलत और गहना बेचा और वह बरबाद हो गया। इसी प्रकार यह शिकमी वाला कानून माननीय मंत्री जी ने बनाया है। श्रीमन्, मैं भी देहात का रहने वाला किसान हूं और खुद भुक्तभोगी हूं। मेरा खेत ग़लती से एक आदमी के नाम से पटवारी ने लिख दिया है। वह जानता भी नहीं था, जब जाना तो इस्तीफ़ा देने को तैयार है लेकिन लोग कहते हैं कि इन्हीं का कानून बनाया है मत छोड़ो। जब यह कानून शिकमी का बना तो लोगों ने यह सोचा कि वे सीरदार हो जायेंगे लेकिन आज देहात में इस कानून में क्या हो रहा है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिन लोगों के पास धन है, शक्ति है, लाठी है, वही लोग शिकमी वालों को अपने पास रक्खे हुये हैं लेकिन छोटे-छोटे किसान जिनके हित के लिये यह कानून बनाया गया था उसको न मिल कर उनकी जमीन बड़े-बड़े लोगों को मिल रही है। माननीय

[श्री रामसुभग वर्मा]

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस ओर ले जाना चाहता हूं कि छोटे-छोटे किसानों को जमीनें नहीं मिल पा रही हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि देहातों में जो छोटे-छोटे किसान हैं उनके खेत पटवारियों ने या लेखपालों ने गलती से या किसी तरह से पहले से जो पुराने जमींदार थे या बड़े-बड़े काश्तकार हैं और जो पटवारियों को सालाना फसल में गल्ला दिया करते थे कि हमारे दूसरे के नाम न लिख दिये जायं बल्कि दूसरे के खेत हमारे नाम लिखे जायं। दूसरे के खेत उनके नाम दर्ज कर दिये और जो हरवाही या हजामत वगैरा कर के उनके खेत जोतते थे उनके नाम दर्ज न कर के वह उन्हीं सत्ता वालों के नाम दर्ज किये रहते थे और उन बड़े-बड़े लोगों के नाम ही खेत चढ़े रहते थे और अब भी जो आज कानून बना वह भी उन्हीं के हक में हो गया, आज अगर इन बड़े लोगों के कब्जे में खेत नहीं भी है, तब भी वह कब्जा कर लेते हैं लेकिन अगर किसी छोटे काश्तकार के नाम दर्ज हो रहा है तब भी लाठी के बल से कब्जा कर लेते हैं।

श्री चरण सिंह—मैं आपकी इजाजत से अध्यक्ष महोदय, एक बात अर्ज कर दूं कि क्या मुझे माननीय मित्र बतलायेंगे कि शिकमियों के नाम कितने रकबे पर अब से ४ साल पहले देवरिया जिले में दर्ज थे और इस साल में कितने दर्ज हैं या वह बता दें। आप जरा यह आंकड़े तो दें।

श्री रामसुभग वर्मा—माननीय मंत्री जी को घबराना नहीं चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस तरफ आ ही रहा था और मंत्री जी को बता रहा था कि जिन लोगों का कब्जा था और बराबर जोतते चले आ रहे थे उनके नाम गायब हो गए और वह लोग आज कब्जा नहीं पा रहे हैं। वह लगान देते हैं, एक तरफ काश्तकार लगान देते हैं और शिकमी काश्तकार भी देता है, दोनों से लगान वसूल किया जा रहा है लेकिन जिनके पास शक्ति है, लाठी है, वह खेत पर कब्जा किये हैं। मंत्री जी ने उनको कानून बना दिया कि दीवानी में जाओ, वहां से कहा गया कि फिर माल विभाग में जाओ और फिर वह दीवानी में भेजे जाते हैं, इस तरह से दौड़ने और पैसा व्यय करने की उन गरीबों के पास शक्ति नहीं है और इस तरह से उनके लिए न्याय पाना, जमीन पर कब्जा पाना सम्भव नहीं है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोई ऐसा आंकड़ा देवरिया का बताइए। मैं अपने यहां की बताता हूं। हमारे यहां एक गांव है ठाढ़ीभार, मंत्री जी तो पूरे जिले की बात कह रहे हैं मैं उनको केवल एक गांव की ही बात बताता हूं। ठाढ़ीभार में मंत्री जी ने एक जो स्पेशल परताल करवा रहे थे इस वक्त पटवारी ने किसी पेड़ के नीचे या किसी के दरवाजे पर बैठ कर पड़ताल कर ली और जिस तरह से सारे गांव की परताल एक जगह बैठ कर लेख पाल कर लेता है उसी तरह से उसने किया। संयोग से इस पड़ताल के खिलाफ गांव के सभापति ने और सैकड़ों लोगों ने दरख्वास्तें दीं और सैकड़ों की तादाद में दरख्वास्तें थीं। मैंने सैकड़ों खेतों में जा कर देखा कि किसी खेत में घुरहू का बिज है तो निरहू का नाम दर्ज है, कहीं धान बोये हैं तो कुछ और दर्ज है, कोई खेत बोया जोता जा रहा है तो वह पर्ती दर्ज है और दस दस बारह बारह साल से इस तरह के गलती परताल वहां होती चली आ रही थी। सैकड़ों की तादाद में मैंने खुद गलतियां नोट कर के और लोगों के बयान लेकर तहसीलदार को तहसील पर दरख्वास्तें भेजीं और हाकिम परगना को भी भेजीं और सम्भव है माननीय मंत्री जी के पास भी भेजी हों लेकिन उस पर क्या हुआ वह तो माननीय मंत्री जी बतायेंगे क्योंकि जिस तरह से शिकमी काश्तकारों का उन्होंने भला किया है वह तो वही जानते हैं। उनका गला घोटा जा रहा है। आज देहातों में अनेकों प्रकार की परेशानियां हैं। लगान में कुर्की होती है, बेदखली होती है, खेत उनके कब्जे में नहीं रहते। खेत वह बोये हुए हैं और पचासों वर्षों से कब्जा था। नाम शिकमी में चला आता है। और इस कानून के मुताबिक अदालत में मुकदमा दायर है। कब्ज नहीं पाते हैं। लाठी के बल पर उनकी बोयी हुई फसल

कटवा ली जाती है। यह सारी चीजें हैं शिकमी में। दूसरे गांव समाज के बारे में, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी उनमें सुधार करने के लिये यह संशोधन विधेयक लाये हैं, लेकिन मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि गांव समाज में ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि जो गांव समाज की सम्पत्ति है वह उन लोगों को दे दी जाती है। लेखपाल के पास जो सम्पत्ति-रजिस्टर होता है उसमें लिखा है कि जितनी भूमि बंजर थी, जितनी लावारिश जमीन थी, लेकिन श्रीमन्, उन जमीनों का इस तरह से दुरुपयोग किया गया कि गांव के सभापति और उपसभापति ने जब कि नियम यह है कि इन जमीनों को भूमिहीनों को पहले मिलना चाहिये--ऐसा न करके अपने बेटे भतीजों के नाम से इन जमीनों को कर दिया गया। जो पोखरे, परती, खलियान, चरागाह, सार्वजनिक हित की जमीनें थीं उन जमीनों को गांव समाज के द्वारा लोगों को न देकर तहसीलों में भूदान में लेखपाल द्वारा लिखा लिया गया। भूदान द्वारा वह जमीनें उस गांव समाज के प्रेसीडेंट या और लोगों ने जैसे दीं वैसे ही वह भी दी गईं और भूदान के लोगों ने उनका बटवारा किया और बटवारा होने के बाद उन्हीं लोगों को वे जमीनें दी गईं जो कि लाठी वाले हैं, जिनके पास जन शक्ति और सम्पत्ति है, वही उस पर कब्जा किये हुये हैं। जिनको जमीन मिलनी चाहिये उनको नहीं मिली। इस तरह से गांव समाज की सम्पत्ति की जो छीछा लेदर हो रही है वह सारी बातें माननीय मंत्री जी के सामने आ रही हैं। माननीय शिवनारायण जी ने बताया कि यह विधेयक इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिये लाया गया है। श्रीमन्, ठीक है, विधेयक के द्वारा गलतियां सुधारें। लेकिन अगर सारा का सारा कानून ही गलत हो तो वह कैसे सुधारा जा सकता है। लिहाजा जैसा माननीय पांडेय जी ने प्रस्ताव रखा है कि इसको संयुक्त प्रवर समिति में भेजना चाहिए और जो खामियां हैं, वहां उन पर बहस हो उसे देखा जाय, सोचा जाय और सोच विचार कर के तब फिर संयुक्त प्रवर समिति से आये और आकर वह पास हो, इसका मैं भी समर्थन करता हूं। यह नहीं होना चाहिये कि ६ महीने के बाद फिर संशोधन विधेयक लायें और दुबारा फिर ६ महीने के बाद लायें। यह क्या खिलवाड़ मचा रक्खा है किसानों के साथ। एक कानून बना कर लागू किया। किसान परेशान होता है, लड़ता है, झगड़ता है, अपनी भूमि पर कब्जा नहीं पाता है। फिर माल मन्त्री जी संशोधन विधेयक ले आते हैं, यह सदन का समय बर्बाद करना है और किसानों के साथ खिलवाड़ करना है। लिहाजा माननीय मंत्री जी को सोच विचार कर के संशोधन विधेयक लाना चाहिये जिससे किसानों का भला हो। इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति के सामने भेजा जाना चाहिये ताकि एक सुन्दर सीधा सादा कानून वह बनायें जिससे कि किसानों का भला हो।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
५ अप्रैल, १९५६।

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १९-२० के उत्तर पीछे पृष्ठ २४९ पर)

मथुरा जिलें में सन् १९५४-१९५५ तथा १९५६ में हुयें डकैती व कत्ल के अपराधों का विवरण

क्रम-संख्या	वर्ष	अपराध	रिपोर्ट हुई	सजा हुई	छूट गये	न्यायालय में विचाराधीन	जांच जारी है	लापता
१	१९५४	डकैती	२०	..	..	..	..	..
		कत्ल	१५	३	५	३	—	४
२	१९५५	डकैती	१८	..	..	..	..	..
		कत्ल	१५	—	३	९	—	३
३	१९५६	डकैती	५	..	..	..	..	..
		कत्ल	२	—	—	१	१	—

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५० पर)

सन् १९५५ में देवरिया जिले में हुये अपराधों का विवरण

थाना		चोरी	डकैती	बलवा	कत्ल	बैल खोलाई
१—कोतवाली	..	१८	—	६	२	४
२—खुखुन्दू	..	११	—	१	—	२
३—पडरौना	..	१७	—	६	१	१
४—हाटा	..	७	—	२	१	१
५—कसिया	..	१२	—	२	—	—
६—पथेरवा	..	७	—	५	—	४
७—तरकुलवा	..	११	२	१	२	६
८—तरय्या सुजान	..	९	१	२	२	—
९—बिशुन पुरा	..	१०	—	—	—	३
१०—खम्पार	..	४	—	२	१	६
११—बरहज	..	६	—	५	१	४
१२—लार	..	११	—	५	१	७
१३—रुद्रपुर	..	८	—	३	२	१
१४—रामकोला	..	३	—	२	—	—
१५—गौरी बाजार	..	११	—	१	१	४
१६—कैप्टेनगंज	..	२	—	२	२	१
१७—खड्डा	..	९	—	४	—	५
योग	..	१५६	३	४९	१६	४९

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३४–३६ के उत्तर पीछे पृष्ठ २५२ पर)

सन् १९५४–१९५५ व १९५६ (३१–३–५६ तक) जिला जालौन, थाना जालौन में हुये कत्ल के मामलों का विवरण

सन्	रिपोर्ट हुई	पता चला व चालान हुआ	सजायाब हुआ	छूट गया	अदालत में विचाराधीन
१९५४	३	२	१	१	—
१९५५	२	२	—	१	१
१९५६ मार्च तक	—	—	—	—	—

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ २६४ पर)

टेहरी-गढ़वाल राजस्व पदाधिकारियों का (विशेषाधिकार) विधेयक, १९५६

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

टेहरी-गढ़वाल के राजस्व पदधारियों को थानों (Police Stations) के अवधायक पदाधिकारी (Officer incharge) के अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार देने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि टेहरी-गढ़वाल के राजस्व पदधारियों को थानों (Police Stations) के अवधायक पदाधिकारी के अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार दिया जाय ;

अतएव, भारतीय गणतन्त्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम टेहरी—गढ़वाल राजस्व पदधारियों का (विशेषाधिकार) अधिनियम, १९५६ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार टेहरी-गढ़वाल जिले में होगा ।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

कतिपय क्षेत्रों के राजस्व पदधारियों में थाने के अवधायक पदाधिकारी के अधिकार निहित करना।

२—(१) राज्य सरकार की आज्ञा द्वारा तदर्थ घोषणा करने पर लेखपाल, पटवारी अथवा ऐसा अन्य राजस्व पदधारी (Revenue Official), जो निर्दिष्ट किया जाय, ऐसे निर्बधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो निर्दिष्ट की जायं, तत्समय प्रचलित किसी विधि के अधीन पुलिस पदाधिकारी (Police Officer) अथवा थाने के अवधायक पदाधिकारी (Officer incharge) के ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों और कर्त्तव्यों (Functions and duties) का सम्पादन करेंगे, जो निर्दिष्ट किये जायं भले ही उस विधि में कोई बात इससे असंगत हो।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गयी किसी आज्ञा में ऐसे प्रासंगिक एवं आनुषंगिक उपबन्ध हो सकते हैं, जिन्हें राज्य सरकार उपधारा (१) के अधीन की गयी घोषणा के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक समझे ।

(३) उपधारा (१) के अधीन की गयी घोषणा में निर्दिष्ट लेखपाल, पटवारी अथवा राजस्व पदधारी केवल उपधारा (१) के अधीन दी गयी आज्ञा के अनुसार थाने के अवधायक पदाधिकारी के अधिकारों का प्रयोग करने के कारण पुलिस ऐक्ट, १८६१ के अधीन नामांकित (enrolled) पुलिस पदाधिकारी नहीं समझा जायगा ।

धारा २ के अधीन दी गयी आज्ञा राज्य विधान मंडल के समक्ष रखी जायगी।

३—(१) उक्त प्रत्येक आज्ञा की प्रतिलिपि, जिसे धारा २ के अधीन जारी किये जाने का विचार हो, पांडुलेख के रूप में राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष, जबकि उनका सत्र हो रहा हो, ३० दिनों से अन्यून अवधि के लिये रखी जायेंगी, और यदि उस अवधि के भीतर कोई भी सदन उक्त आज्ञा के जारी किये जाने का अननुमोदन न करे अथवा केवल परिष्कारों सहित

उसके जारी किये जाने का अनुमोदन करे, तो उक्त आज्ञा जारी नहीं की जायेगी, अथवा जैसा कि स्थिति अनुसार अपेक्षित हो, केवल ऐसे परिष्कारों सहित जारी की जायेंगी जिनसे दोनों सदन सहमत हों।

(२) ऐसी प्रत्येक आज्ञा सरकारी गजट में प्रकाशित की जायेगी और ऐसे प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगी।

उद्देश्य और कारण

अल्मोड़ा और गढ़वाल तथा नैनीताल की पहाड़ी पट्टियों के राजस्व पदधारी पुलिस अधिकारियों के कुछ कर्त्तव्यों का पालन करते हैं। चूंकि यह पद्धति बड़े संतोषप्रद ढंग से कार्य करती रही है और पहाड़ी क्षेत्रों में अपराधों की घटनाएं भी बहुत अधिक नहीं रही हैं। अतएव टेहरी-गढ़वाल में भी वैसी ही एक पद्धति प्रचलित करने का प्रस्ताव है। वहां राजस्व पदधारियों के पुलिस कार्य में प्रशिक्षित न होने के कारण अभी तक ऐसा नहीं किया गया था। अब वे प्रशिक्षित हो चुके हैं और उन्हें पुलिस के अधिकार देने का प्रस्ताव है। अल्मोड़ा आदि में राजस्व पदधारियों को ये अधिकार शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट ऐक्ट, १८७४ की धारा ६ के अधीन दिये गये थे, किन्तु अब यह ऐक्ट गवर्नमेन्ट आफ इंडिया (एडैप्टेशन आफ इंडियन लाज) आर्डर, १९३७ द्वारा निरस्त हो चुका है। अतः टेहरी-गढ़वाल में पुलिस के कृत्यों का सम्पादन करने के लिये राजस्व पदधारियों को पुलिस के अधिकार देने के प्रयोजन से यह विधेयक पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव है।

सम्पूर्णानन्द,
मुख्य मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—उ० पी० २३ एल० ए०—१९५६—७९६।